



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230099
CG-DL-E-01102021-230099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943

No. 298]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसजी) 06/2019

विषय: भारत में "आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच – अंतिम जांच परिणाम – विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 और रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के तहत कार्यवाहियों के संबंध में।

फा. सं. 22/6/2019-डीजीटीआर.— क. प्रस्तावना

1. आयातों में उनकी उछाल के कारण गंभीर क्षति/गंभीर क्षति के खतरे से समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग की रक्षा करने के लिए भारत में "आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल" (जिन्हें आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" अथवा "आईपीए" भी कहा गया है) के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में क्षोपाय लगाए जाने की मांग करते हुए दीपक फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) द्वारा रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 (जिन्हें यहां आगे "मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) की धारा 9क के तहत प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष दिनांक 28 अगस्त, 2019 को एक आवेदन

पत्र दायर किया गया था। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में उछाल के कारण घरेलू उद्योग ने अपने बाजार हिस्सा खोया है और उसकी उत्पादन क्षमताओं तथा क्षमता उपयोग में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप हानियां हुई हैं जिससे घरेलू उद्योग पंगु हो गया है। इस कारण आवेदक ने अपनी क्षति को कम करने के लिए उपाय के रूप में रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) लगाए जाने का अनुरोध किया था।

ख. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपनाई गई उचित प्रक्रिया

2. उपर्युक्त लिखित आवेदन पत्र के आधार पर और स्वयं संतुष्ट होने पर घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाने वाले बड़े हुए आयातों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर विश्वास करते हुए विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के नियम 5 के प्रावधानों और रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 के अनुसार उन बड़ी हुई मात्राओं, पूर्ण अथवा घरेलू उत्पादन में तुलनात्मक रूप से संबद्ध सामानों के आयातों से हुई गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातों के विरुद्ध रक्षोपाय लगाए जाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय लगाए जाने की आवश्यकता दिनांक 04 नवंबर, 2019 की जांच की शुरुआत की सार्वजनिक सूचना 22/6/2019-डीजीटीआर द्वारा शुरू की गई थी।
3. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6 के उप नियम (2) और (3) के अनुसार, जांच की शुरुआत की अधिसूचना दिनांक 4 नवंबर, 2019 और घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) की एक प्रति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में केंद्र सरकार, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से और उपर्युक्त आवेदन पत्र में उल्लिखित हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(4) के तहत निर्धारित किए गए अनुसार निर्यातकों/आयातकों/घरेलू उत्पादकों को उत्तर दिए जाने के लिए प्रश्नावली ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे जांच की शुरुआत की सार्वजनिक सूचना जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें।
4. जांच की शुरुआत की सूचना और मौखिक सुनवाई के उत्तर में, अनुरोध और कुछ प्रश्नावली के उत्तर निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए थे:

1.	द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रसियन फेडरेशन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया
2.	ब्राजील दूतावास
3.	स्पेन दूतावास
4.	मेक्सिको दूतावास
5.	यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन टू इंडिया
6.	इंडोनेशिया गणराज्य दूतावास
7.	तैपई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया
8.	अलकाइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड
9.	इनियोस सॉल्वैंट्स
10.	अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
11.	कोरिया सरकार
12.	पनरेक क्विमिका
13.	झुहाई लांग सक्सेस केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमिटेड
14.	केलिन केमिकल (झांगजियांग) कं. लिमिटेड,
15.	एलजी केम लिमिटेड,
16.	आईएसयू केमिकल कं. लिमिटेड

17.	झेजियांग सिन्हुआ केमिकल कं. लिमिटेड
18.	देझोज़ डेटियन केमिकल कं. लिमिटेड
19.	i. यानचेंग सुपर केमिकल टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड ii. शेडोंग डाडी सुपु केमिकल कं. लिमिटेड
20.	कोरिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन
21.	चीन पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्री फेडरेशन
22.	निशिंगंधा पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
23.	एलसीवाई केमिकल कारपोरेशन
24.	ताइवान फील्डरिच कारपोरेशन
25.	माइक्रो लैब्स लिमिटेड
26.	श्री बांके बिहारी लाल बोर्ड मिल्स
27.	ट्राइडेंट चेम्फा लिमिटेड
28.	अनुपम केमिकल इंडिया लिमिटेड
29.	चेमेक्ससिल
30.	सुप्रिया लाइफसाइंस
31.	एलसीवाई ताइवान कंपनी
32.	बल्क ड्रग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
33.	सिग्रेट केमिकल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
34.	संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

- प्राधिकृत अधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की। दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना 01/2020 के अनुसार, सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों, सभी अगोपनीय रुपांतर (एनसीवी) देखने में सक्षम होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुझाव दिया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रुपांतर कोविड-19 महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल देखने में उनके सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों के मद्देनजर ई-मेल के माध्यम से एक-दूसरे से आदान-प्रदान करें।
- घरेलू उद्योग के अनुरोध पर और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों का संज्ञान लेते हुए, जांच को पूरा करते हुए उपलब्ध समयावधि का सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पाँच बार विस्तार किया गया था, और अंतिम बार 30 सितम्बर, 2021 तक का विस्तार किया जा रहा है।
- एक मौखिक सुनवाई 10 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई थी। कोविड-19 महामारी और उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन को देखते हुए, सार्वजनिक सुनवाई डिजिटल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। प्राधिकृत अधिकारी के बदल जाने के कारण, एक दूसरी मौखिक सुनवाई आवश्यक हो गई थी जो 15 फरवरी, 2021 को डिजिटल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी।
- नियमावली के नियम 6 के उप नियम (6) के अनुसार जिन हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में भाग लिया, उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत अपने विचारों का लिखित अनुरोध दायर करें। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर लिखित अनुरोधों की प्रति अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी, जैसा कि मौखिक सुनवाई और उपर्युक्त

प्रक्रिया में सलाह दी गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को किसी भी हितबद्ध पक्षकार के लिखित अनुरोधों के प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं, दायर करने का अवसर भी दिया गया था।

9. मौखिक सुनवाई अथवा अन्यथा के अनुसरण में, सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की उपयुक्त रूप से जांच की गई है और संगत पैराओं में उन्हें हल किया गया है। चूंकि कई मुद्दे दोहराए गए हैं, अतः उन्हें सामूहिक रूप से संबंधित पैराओं में हल किया गया है।
10. प्राधिकृत अधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से वैश्विक कोविड-19 महामारी की स्थिति के मद्देनजर जांच की अवधि के बाद की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए सर्वाधिक हाल के आंकड़े प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध किया।
11. प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिश केंद्र सरकार अथवा वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एफ टी डी आर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से लागू की जा सकती है।

ग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर अनुरोध

I. घरेलू उद्योग

12. घरेलू उद्योग के लिखित अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:

- (i) विचाराधीन उत्पाद आईपीए है, जो प्रशुल्क कोड 29051220 के तहत आता है।
- (ii) घरेलू उद्योग आयातित सामानों की समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।
- (iii) एक मात्र उत्पादक के रूप में उत्पादक का उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है।
- (iv) आयातों में अचानक, तेजी से और काफी उछाल आया है। आयात इस अवधि में 86 प्रतिशत तक बढ़े हैं, यद्यपि मांग 31 प्रतिशत तक बढ़ी है।
- (v) आयात भी उत्पादन एवं खपत की तुलना में बढ़े हैं।
- (vi) आयातों में उछाल निम्नलिखित कारणों से अप्रत्याशित घटनाओं के आयात के कारण है:
 - i. फिनोल के लिए मांग बढ़ी, जिससे फिनोल और उसके सह-उत्पाद एसिटोन का उत्पादन बढ़ा जिससे एसिटोन के लिए आपूर्ति आधिक्य सृजित हुआ और एसिटोन की कीमतें तेजी से गिरीं।
 - ii. एसिटोन की अधिक आपूर्ति से क्षमता और कच्ची सामग्री के रूप में एसिटोन का प्रयोग करने वाले आईपीए के उत्पादन में वृद्धि हुई तथा आईपीए की अधिक क्षमता सृजित हुई।
 - iii. चूंकि एसिटोन की कीमत गिरी, अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित प्रोपिलीन आधारित आईपीए एसिटोन आधारित आईपीए की तुलना में गैर-प्रतिस्पर्धी हो गया।
 - iv. इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के लिए निचले स्तर के संयंत्रों की इस अवधि के दौरान बंदी हुई।
- (vii) जीएटीटी प्रावधानों के तहत भारत द्वारा किए गए दायित्वों के परिणामस्वरूप आयात बढ़े।
- (viii) इसके अतिरिक्त, चीन जन. गण., सिंगापुर और ताइवान में उत्पादकों ने भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाया और दूसरे देशों को निर्यातों की अपेक्षा बहुत तेज गति से भारत को निर्यातों में वृद्धि हुई।
- (ix) भारत चीन जन. गण. और सिंगापुर से निर्यातकों के लिए एक सबसे बड़ा बाजार और कोरिया गणराज्य तथा ताइवान के लिए दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
- (x) आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती हो रही है और उनकी कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से काफी कम पर हैं।
- (xi) आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत के बराबर कीमतों पर आ रहे हैं।
- (xii) आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव है।
- (xiii) आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से को ले लिया है और उसकी बिक्री में गिरावट आ गई है।
- (xiv) बढ़े हुए आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- (xv) घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में गिरावट आई है और नकारात्मक हुए।

- (xvi) आयातों ने घरेलू उद्योग के लिए हानिरहित व्यापार करना असंभव कर दिया है।
- (xvii) परिवर्ती लागत से कम पर आयात घरेलू उद्योग के प्रचालनों की अर्थक्षमता प्रभावित करेंगे क्योंकि घरेलू उद्योग हानियों से बचने के लिए अपने संयंत्र बंद करने के लिए मजबूर होगा।
- (xviii) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता जुलाई, 2019 में और बुरी हुई है।
- (xix) बड़े हुए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच स्पष्ट कारणात्मक संपर्क है।
- (xx) बड़े हुए आयातों में सकारात्मक रूप से समायोजन करने के लिए आवेदक 100,000 मी. टन की क्षमता वाला एसिटोन आधारित संयंत्र स्थापित कर रहा है।
- (xxi) संयंत्र स्थापित करने और प्रचालन स्थिर करने के लिए आवेदक को 4 वर्षों की अवधि के लिए उपायों की आवश्यकता है।
- (xxii) एसिटोन मार्ग के माध्यम से आईपीए का उत्पादन, उत्पादन लागत काफी कम करेगा और आवेदक को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने देगा।
- (xxiii) रक्षोपाय लगाना जन हित के विरुद्ध नहीं है क्योंकि आईपीए प्रमुख रूप से फार्मास्युटिकल्स में प्रयुक्त किया जाता है जहां इसका कुल खपत में अत्यधिक कम हिस्सा ही होता है। यहां तक कि यदि आवेदक उपाय लगाए जाने की स्थिति में अपनी कीमतें क्षति रहित कीमत तक बढ़ाता है तो इसका केवल 0.41 प्रतिशत औसत प्रभाव होगा।
- (xxiv) जब आवेदक द्वारा किये गये आयातों को बाहर रखा जाता है तब आयातों में वृद्धि की दर अधिक होती है क्योंकि अन्य पक्षकारों द्वारा किये गये आयातों में आवेदक द्वारा किये गये आयातों की तुलना में तेज गति से वृद्धि हुई।
- (xxv) आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है चाहे घरेलू उद्योग द्वारा किये गये आयातों को रखा जाता है अथवा नहीं।
- (xxvi) घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में निर्माण और व्यापार दोनों की दृष्टि से गिरावट आई।
- (xxvii) हाल की अवधि में अन्य आयातों की आयात कीमत घरेलू उद्योग की आयात कीमत की तुलना में तुलनीय थी और अपेक्षाकृत कम भी थी। आयातों की कमतर कीमत के फलस्वरूप आयातों में अचानक वृद्धि हुई है।
- (xxviii) पूर्व में घरेलू उद्योग को निर्माण की तुलना में व्यापार में कमतर लाभ हुआ था। हाल की अवधि में, घरेलू उद्योग को निर्माण और व्यापार दोनों में हानि हुई।
- (xxix) अंशदान मार्जिन में इस अवधि के दौरान गिरावट आई है। घरेलू उद्योग आयातों पर मार्कअप जोड़ने में सक्षम नहीं है क्योंकि अन्य पक्षकारों ने कमतर कीमत पर आयात किया।
- (xxx) निर्मित और व्यापार किये गये उत्पादों दोनों के लिए घरेलू उद्योग की माल सूची में वृद्धि हुई है।
- (xxxi) आई पी ए के लिए मांग में कोविड लॉकडाउन में अस्थायी रूप से वृद्धि हुई। उसके बाद मांग 2018-19 में उस स्तर तक गिर गयी है, इस प्रकार कोटा प्रतिबंधों के लिए मांग पर विचार उसी क्षेत्र में किया जाना चाहिए जो 2018-19 में था।
- (xxxii) इथोनोल सेनिटाइजर के लिए एक अव्यय के रूप में आई पी ए की तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है। आई पी ए की कीमत केवल तब सेनिटाइजरों के उपयोग के लिए विनियमित की गई थी जब सेनिटाइजर जुलाई 2020 तक एक आवश्यक वस्तु था।
- (xxxiii) यदि प्राधिकृत अधिकारी हाल की अवधि पर विचार करते हैं तब भविष्य की अवधि और दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाना चाहिए। आईसीआईएस – एलओआर यह उल्लेख करता है कि आई पी ए की कीमत में आगे और गिरावट आयेगी, एसीटॉन की कीमत प्रोपिलीन की कीमत से कम हो जायेगी और प्रोपिलीन आधारित आई पी ए एसीटॉन आधारित आई पी ए की तुलना में कम लाभप्रद हो जायेगी।
- (xxxiv) दीपक फेनोलिस लिमिटेड जो समान वस्तुओं का एक घरेलू उत्पादक है, ने एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में भाग लिया है और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- (xxxv) घरेलू उद्योग ने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी समय सीमाओं का पालन किया है और घरेलू उद्योग की प्रश्नावलियों का अगोपनीय रूपांतर विधिवत परिचालित किया था।

- (xxxvi) घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के बाद की 6 महीने की अवधि अर्थात दिसंबर 2020 तक के लिए आंकड़े उपलब्ध कराये हैं और अधिक हाल के आंकड़ों पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कोविड-19 के अस्थायी प्रभावों से प्रभावित हुआ है।
- (xxxvii) निर्यातकों और प्रयोक्ताओं ने यह तर्क नहीं दिया है कि घरेलू उत्पाद आयात किये गये उत्पाद से अलग है। यद्यपि इस उत्पाद में कोई बदलाव नहीं आया है, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 45 प्रतिशत से घटकर 32 प्रतिशत हो गया है क्योंकि आयातों में वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि घरेलू और आयात किये गये उत्पाद एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और वे तुलनीय हैं।
- (xxxviii) हितबद्ध पक्षकारों के दावे के विपरीत, घरेलू उद्योग ने न तो रक्षोपाय के चुनिंदा उपयोग के लिए अनुरोध किया है और न ही कानून के अंतर्गत इस प्रकार के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई है।
- (xxxix) रक्षोपाय से आयात पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस प्रकार भारत में एकाधिकारी स्थिति पैदा नहीं होगी।
- (xi) हितबद्ध पक्षकारों ने जो पिछली सुनवाई में अनुरोध प्रस्तुत किए थे, उन्होंने वर्तमान सुनवाई में भी भाग लिया है। इसलिए यह संभावना नहीं है कि चीनी नए साल की छुट्टी के कारण किसी भी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दूसरी सुनवाई के समय की गयी प्रस्तुतियां में कोई बाधा आयी होगी।
- (xli) इस संबंध में दावों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सभी प्रमुख उत्पादकों के नामों के संबंध में उपलब्ध जानकारी प्रदान की है।
- (xlii) संधीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने खुद को एक इच्छुक पार्टी के रूप में स्थापित नहीं किया है क्योंकि उसने आयातक की प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर नहीं की है।
- (xliii) कितना कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए उसके लिए दीपक फिनोलिक्स द्वारा पहले से ही व्यावसायिक क्षमता और अब जो क्षमता जोड़ी जा रही है, उस पर विचार करना आवश्यक है। कंपनी पहले ही 30,000 मीट्रिक टन का व्यवसायीकरण कर चुकी है और अब अन्य 30,000 मीट्रिक टन के व्यावसायीकरण पर काम कर रही है।

II. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड

13. दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड, जिसने जांच की अवधि के बाद उत्पादन आरंभ किया, ने आवेदक द्वारा दायर याचिका का समर्थन किया और निम्नलिखित अनुरोध किया:

- क. अप्रत्याशित घटनाओं और जीएटीटी के तहत किए गए दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप आयातों में हाल में अचानक, तीव्र और काफी उछाल है।
- ख. डीपीएल ने अप्रैल, 2020 में एसिटोन मार्ग के माध्यम से उत्पादन शुरू किया है और दूसरा संयंत्र स्थापित कर रहा है जिसके अप्रैल, 2021 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।
- ग. एसिटोन आधारित आईपीए प्रोपिलीन आधारित आईपीए की तुलना में अधिक लागत प्रभावी तरीका है।
- घ. रक्षोपाय लगाना जनहित में है क्योंकि वह सैनिटाइजर के लिए अधिक पसंदीदा इनपुट नहीं है और प्रमुख रूप से फार्मास्युटिकल में प्रयुक्त किया जाता है जहां आईपीए के कारण लागत कोई खास नहीं है।

III. स्पेन दूतावास

14. स्पेन दूतावास के लिखित अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:

- क. वर्तमान परिस्थितियों में रक्षोपाय उपयुक्त नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को क्षति मुख्य रूप से चीन जन. गण. से है जो बड़े हैं। यदि चीन जन. गण. से आयात समान रहते तो कुल आयातों में गिरावट आई होती और रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए कोई कानूनी आधार नहीं होता।
- ख. इस स्थिति को पाटनरोधी अथवा सब्सिडीरोधी उपायों का प्रयोग बेहतर ढंग से हल किया जा सकता है।
- ग. स्पेन की कंपनी आईटीडब्ल्यू द्वारा निर्धारित आईपीए घरेलू सामानों की समान वस्तु नहीं है क्योंकि इसकी भिन्न भौतिक विशेषताएं हैं और घरेलू उत्पाद में परस्पर परिवर्तनीय रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। आईटीडब्ल्यू केवल फार्मास्युटिकल ग्रेड के आईपीए का निर्यात करता है जिसका भारत में प्रसंस्करण किया जाता है और पुनः यूरोप तथा अमेरिका को निर्यात किया जाता है।

- घ. याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित उत्पाद यूरोपीय मानकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार फार्मास्युटिकल ग्रेड आईपीए को जांच के क्षेत्र से हटाया जाना चाहिए।
- ड. अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं, यथा – क्षति की अवधि में कुल लागतों में वृद्धि। याचिकाकर्ता द्वारा अपने उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किए गए निवेश समाप्त हो गए प्रतीत होते हैं।
- च. याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. के विरुद्ध यूएसए द्वारा प्रशुल्क लगाये जाने की अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में पहचान की थी। तथापि, अब आईपीए पर ऐसे कोई प्रशुल्क लागू नहीं हैं।
- छ. कोविड-19 के कारण सैनिटाइजरो और विसंक्रामकों के लिए वैश्विक मांग अधिक रहेगी और 2024 तक बढ़ने की उम्मीद है। विसंक्रामकों की कमी के समय रक्षोपाय की सलाह नहीं दी जाती है।
- ज. रक्षोपाय लगाना जनहित के विरुद्ध है क्योंकि आईपीए अनिवार्य वस्तुओं की सूची में है।
- झ. याचिकाकर्ता ने आईपीए के आपूर्तिकर्ता से सैनिटाइजर के आपूर्तिकर्ता में अपना ध्यान बदलते हुए सैनिटाइजर के व्यापार में प्रवेश किया है।

IV. ब्राजील दूतावास

15. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (एएस) के अनुच्छेद 9.1 में यह उल्लिखित है कि "रक्षोपाय किसी विकासशील देश सदस्य के मूल के उत्पाद के विरुद्ध तब तक लागू नहीं किए जाएंगे, जब तक आयातक सदस्य में संबंधित उत्पाद के आयातों में उसका हिस्सा 3 प्रतिशत से अधिक न हो जाए, बशर्ते कि 3 प्रतिशत आयात हिस्सा से कम वाले विकासशील देश सदस्यों का सामूहिक रूप से संबंधित उत्पाद के कुल आयातों के 9 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा न हो।"
16. भारतीय सरकारी व्यापार आंकड़ों पर आधारित अनुमान यह दर्शाते हैं कि आईपीए के ब्राजीलियाई निर्यात पिछले पांच वर्षों के दौरान शून्य थे। अतः ब्राजीलियाई निर्यात भारत के कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम थे। यदि इस स्थिति में सभी विकासशील देश साथ-साथ संबंधित उत्पाद के कुल आयातों के 9 प्रतिशत से कम दर्शाते हैं, तो यह अनिवार्य होगा कि ब्राजील को लगाए जा सकने वाले किसी अनंतिम अथवा अंतिम शुल्क से अलग किया जाए।
17. ब्राजील सुनिश्चित है कि भारत उन उच्च मानकों से अवगत है जो रक्षोपाय जांच में लगाए जाने चाहिए और उसे पूरा विश्वास है कि भारत आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल पर किसी लगाए जाने के उपाय से ब्राजील को प्रभावी रूप से अलग करने के अपने दायित्व को पूरा करेगा।

V. द ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रसियन फेडरेशन इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया

18. रूसी व्यापार प्रतिनिधित्व ने उल्लेख किया कि रूस को प्रस्तावित उपायों के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि (क) आयातों की मात्रा कम है, (ख) रूस में उत्पादकों के पास अधिशेष क्षमताएं नहीं हैं, और (ग) रूस से वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है।

VI. तैपई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ताइवान

19. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच की शुरुआत की सूचना में प्राधिकृत अधिकारी ने जांच की अवधि के रूप में तीन वर्ष और तीन माह की अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक मानी है, परंतु उसने विशेष रूप से "सर्वाधिक हाल की अवधि" के रूप में जांच की अवधि जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक अंतिम 6 माह की अवधि भी मानी है।
20. याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2016 से शुरू करके जून, 2019 तक वार्षिक आधार पर आर्थिक मानदंडों के संबंध में सूचना और आयात आंकड़े दिए हैं। तथापि, याचिकाकर्ता को जांच की शुरुआत की सूचना में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिज्ञात 6 माह की सर्वाधिक हाल की अवधि के लिए अलग से आयात आंकड़े और आर्थिक मानदंडों पर उसके निष्पादन से संबंधित आंकड़े भी प्रदान करने चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा अलग से इन आंकड़ों को प्रस्तुत किए बिना हम आयातों में वृद्धि के संबंध में और परिणामस्वरूप "सर्वाधिक हाल की अवधि" में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकते।
21. याचिकाकर्ता ने अन्य 12 माह की अवधि के साथ 15 माह की अवधि (अप्रैल, 2018 से जून, 2019) की तुलना की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आयात काफी बढ़े हैं। हमारा विश्वास है कि यह तुलना भ्रामक है क्योंकि उसमें विभिन्न आधारों पर आयात मात्रा की तुलना की गई है। अतः हम प्राधिकृत अधिकारी से सिफारिश करते हैं कि वे 12 माह के आधार से आयात मात्रा की तुलना करें।

22. अधिकतर आयात चीन जन. गण. से हैं। याचिकाकर्ता का प्राथमिक दावा भी यह है कि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं, यथा – कच्ची सामग्री एसिटोन की अधिक आपूर्ति और यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंधों के कारण चीन जन. गण. द्वारा भार निर्यात भारत को भेजने, के कारण चीन जन. गण. से आयातों में काफी वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता के लिए उपयुक्त उपाय सभी देशों के विरुद्ध रक्षोपाय लगाना नहीं है बल्कि एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध है।
23. पूरी जांचावधि के दौरान ताइवान से आयातों की मात्रा में वृद्धि नहीं है। वर्ष 2016-17 में ताइवान से आयात 12,195 मी. टन थे। ताइवान से आयात बढ़कर 15,381 मी. टन हो गए। तथापि, ताइवान से आयात 2018-19 में उसी स्तर पर रहे हैं और वस्तुतः वर्ष 2017-18 की तुलना में 15,217 मी. टन तक थोड़े से कम हुए।
24. जांचावधि के दौरान आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल की मांग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की क्षमता में तदनु रूप वृद्धि नहीं है। आयात आवश्यक होंगे क्योंकि घरेलू उद्योग भारत में आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल की मांग पूरी नहीं कर सकता। वर्तमान परिस्थितियों में आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल की मांग उसके विसंक्रामक गुणधर्मों तथा सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटकों, औसत निर्माण प्रक्रिया, हैंड सैनिटाइजर आदि के संश्लेषण के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग में प्रयोग के कारण बढ़ने की आशा है।
25. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल की आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने प्राधिकृत अधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि वे पिछले तीन वर्षों के लिए आयातों की मात्रा के आधार पर प्रशुल्क प्रतिबंधों की सिफारिश करें। इसके अतिरिक्त, यदि कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की क्षति होती है तो वर्तमान जांच के अनुसरण में मात्रा पर विशेष सीमा लगाना घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का उपाय करने तथा उसके सकारात्मक समायोजन को सुकर बनाने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं होगा। प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) उपाय का सर्वाधिक उपयुक्त रूप होता।

VII. विदेश व्यापार महानिदेशालय, इंडोनेशिया सरकार

26. इसी तरह, इंडोनेशिया सरकार ने भी अनुरोध किया कि इंडोनेशिया को भी प्रस्तावित उपायों के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए क्योंकि जांचाधीन अवधि के दौरान वहां से कोई आयात नहीं हैं और वह एक विकासशील देश है।

VIII. यूरोपीय आयोग

27. यूरोपीय आयोग द्वारा किये गये अनुरोध निम्नलिखित हैं-

- (i) भारतीय प्राधिकारियों को “प्रथम दृष्टया” यह घोषित करने की बजाय आयातों में वृद्धि की प्रकृति के बारे में और अधिक ब्यौरा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है कि अप्रैल – दिसंबर 2018 और जनवरी – जून 2019 के बीच आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- (ii) दो अलग अलग अवधियों का उपयोग वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, आयातों में वृद्धि आयातों की मात्रा और न कि मूल्य के आधार पर होने की आवश्यकता है।
- (iii) आयातों में वृद्धि के पीछे मुख्य कारक चीन है जबकि अन्य उद्गम देशों से आयात स्थिर रहे हैं अथवा उसमें कमी आई है। इस संबंध में आयोग इस तथ्य को दोहराना चाहता है कि इसकी प्रकृति बहुत सीमित होने के कारण रक्षोपाय (“एस एफ जी”) तंत्र का उपयोग आपवादिक रूप से किया जाना है और उसके साथ ही यह देखा जाना है कि रक्षोपाय सभी आयातों को उनके उद्गम देश पर विचार किये बिना प्रभावित करता है और विशेष रूप से इसलिए कि पाटनरोधी और सब्सिडीरोधी उपायों के विपरीत वे निष्पक्ष आयातों का लक्ष्य रखते हैं।
- (iv) यह नहीं दर्शाया गया है कि आयातों में वृद्धि गेट के अनुच्छेद XIX के संदर्भ में एक प्रत्याशित घटनाक्रम का परिणाम था।
- (v) इस कारण से आयोग जांच करने वाले प्राधिकारियों से परिवादी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को शुरू से अंत में सत्यापन करने का अनुरोध करता है। उदाहरण के लिए परिवादी को जांच की अवधि के दौरान लागतों में अनुचित अनुपात में वृद्धि को स्पष्ट करना चाहिए।
- (vi) उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को किसी वास्तविक अथवा आसन्न गंभीर क्षति, जो बड़े हुए आयातों के कारण हुआ है, से हानि हो रही है।

IX. कोरिया गणराज्य सरकार जिसका सर्वदा ने प्रतिनिधित्व किया

28. कोरिया सरकार ने अपने लिखित अनुरोधों में निम्नलिखित उल्लेख किए हैं:

- (i) जांच की शुरुआत कमी वाली है क्योंकि इसमें इस संबंध में नियम 5(2)(ग) के तहत विवरण नहीं है कि क्या आवेदन पत्र रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी रक्षोपाय को दायर किया गया है तथा प्रगामी उदारीकरण के ब्यौरे नहीं हैं।
- (ii) मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली में प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे शिकायत संबंधी प्राधिकारी को भेजें, यदि वे पाते हैं कि क्षति, पाटन अथवा सब्सिडीकरण के कारण है।
- (iii) याचिकाकर्ता ने व्यापार सूचना 10/2018 के तहत अपेक्षानुसार अगोपनीय रूपांतर में अपने आयातों के ब्यौरे नहीं दिए हैं।
- (iv) घरेलू उद्योग का प्रमुख व्यापार ट्रेडिंग है और आयातों में आरोपित उछाल स्व-प्रभावित है जो उसके द्वारा प्रकट नहीं किया गया है।
- (v) याचिकाकर्ता ने प्रकट किया कि उसने मौखिक सुनवाई में पहली बार ही आईपीए का आयात किया।
- (vi) जूरी एक्स इंजूरिया नॉन ऑरिटर के सिद्धांतों को अपनाते हुए अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने गलत कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता और नलस कमोडम कैपेर पोटेस्ट डि इंजूरिया सुआ प्रोप्रिया अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने गलत कार्य का लाभ नहीं ले सकता, याचिकाकर्ता को खुद के द्वारा हुए बड़े हुए आयात के विरुद्ध उपाय का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- (vii) आयातों में वृद्धि का मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा आयातों को हटाने के बाद किया जाना चाहिए क्योंकि ये आयात क्षति का कारण नहीं हो सकते।
- (viii) चूंकि कोरिया से निर्यातों की मात्रा कम हुई है और ये आयात क्षति का पर्याप्त कारण नहीं हैं, अतः उन्हें भारत-कोरिया सीडीपीए के अनुसरण में प्रस्तावित उपायों के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए।
- (ix) कोरिया गणराज्य से निर्यात याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों को हटाने के बाद देखे जाने चाहिए। यह देखा जाएगा कि कोरिया से अन्य आयात कुल आयातों का नगण्य हिस्सा हैं।
- (x) यद्यपि विगत चार वर्षों में आयात कीमतों में सतत वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सतत गिरावट आई है।
- (xi) घरेलू उद्योग को हानियां महंगे इनपुट के आधार पर अदक्ष उत्पादन प्रक्रिया से हुई हैं।
- (xii) विलायकों की कीमतों में तेजी से गिरावट, यूएसए की असंगत नीतियां और चीन से आईपीए के पाटन सहित कई अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित किया है।
- (xiii) यदि रक्षोपाय लगाए जाते हैं तो कोटा पिछले तीन वर्षों में आयातों के औसत से कम नहीं होना चाहिए और आईपीए के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए उसे उदारीकृत किया जाना चाहिए।
- (xiv) एसिटोन का वैश्विक अधिशेष, एसिटोन की गिरती हुई कीमतें, चीन जन. गण. में बढ़ी हुई क्षमताएं और चीन जन. गण. में सीमित मांग अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में नहीं हैं।
- (xv) घरेलू उद्योग ने आईपीए की वैश्विक अतिरिक्त क्षमता दर्शाने में साक्ष्य नहीं दिया है।
- (xvi) भारत – लौह एवं इस्पात उत्पाद ने डब्ल्यूटीओ पैनल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार याचिकाकर्ता को कोरिया गणराज्य के लिए अप्रत्याशित घटनाएं दर्शानी चाहिए, यदि वह मानता है कि कोरिया गणराज्य से आयात क्षति का पर्याप्त कारण हैं। तथापि, वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने जेनरिक वैश्विक घटनाओं और चीन जन. गण. से संबंधित घटनाओं पर विश्वास किया है।
- (xvii) याचिकाकर्ता ने अप्रत्याशित घटना के लिए आईसीआईएस रिपोर्टों पर विश्वास किया है। तथापि, डाई स्टाफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में सेसटेट द्वारा यह माना गया था कि पत्रिका के प्रश्नों से निकाले गए आंकड़े तथ्य नहीं बनते और केवल सरकारी प्रकाशन सर्वोत्तम सूचना के स्रोत के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं।
- (xviii) आईसीआईएस रिपोर्टों को गोपनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि याचिकाकर्ता किसी अन्य पक्षकार की ओर से गोपनीयता का दावा नहीं कर सकता तथा प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1927 में उल्लेख है कि न्यायिक कार्रवाई के प्रयोजन के लिए किसी कार्य को पुनः प्रस्तुत करने में प्रतिलिप्याधिकार का अतिक्रमण नहीं है।
- (xix) प्राधिकृत अधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसका पता लगाने के लिए कि क्या बदली हुई परिस्थितियों में संरक्षण की अब भी आवश्यकता है, घरेलू उद्योग की मौजूदा बिक्री कीमतों और लाभप्रदता पर विचार करें।
- (xx) यह तथ्य कि व्यापार में याचिकाकर्ता की लाभप्रदता में गिरावट आई, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के निर्धारण के लिए संगत नहीं है। हालांकि, यह नोट करना उचित है कि घटी हुई लाभप्रदता के बावजूद याचिकाकर्ता ने इन आयातों को घाटे में और

उन कीमतों पर बेचने का निर्णय लिया है, जो अपने निजी उत्पादन की बिक्री करने पर ध्यान देने की बजाय कीमत में कटौती कर रहा था।

- (xxi) आयातों की मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त मशीनरी नहीं है और कोटा के शेष स्तर के संबंध में दावेदारों को वास्तविक समय अद्यतन नहीं प्रदान करता। ऐसी स्थिति में, भारत को पहले ही भेजे जा रहे सामान या तो पत्तन पर अलग किए जाएंगे, मंजूरी से इंकार किया जाएगा अथवा प्रतिबंधित मदों के रूप में नष्ट किए जाएंगे, जिससे निर्यातकों को भारी हानियां होंगी।
- (xxii) एस जी (क्यू आर) का नियम 9(ii) यह अधिदेश देता है कि आयातों की मात्रा हाल की अवधि के स्तर से कम नहीं होनी चाहिए जो पिछले तीन प्रतिनिधिक वर्षों में आयात का औसत होगा, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। इस कारण से, चूंकि दिसंबर 2020 तक के आयात आंकड़े उपलब्ध हैं। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि यदि रक्षोपाय शुल्क को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक माना जाता है तब कोटे का निर्धारण करते समय नियम 9(ii) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसी पर विचार किया जाना चाहिए।
- (xxiii) वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए, आईपीए पर रक्षोपाय लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे देश में आईपीए की कमी और उसकी कीमतों में वृद्धि होगी। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि भारत में 30 जून, 2020 तक मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु के रूप में अधिसूचित किया था।

X. कोरिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एसोसिएशन के माध्यम से एलजी केम लि., आईएससी केमिकल कं. लि. जिसका प्रतिनिधित्व डब्ल्यूटीसी ने किया

29. एसोसिएशन ने अपने प्राथमिक अनुरोधों और सुनवाई के बाद लिखित अनुरोधों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आवेदक ने जांच की शुरुआत का औचित्य बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिए हैं।
- ख. आवेदक ने आयातों में वृद्धि बढ़ा चढ़ाकर दी है और जानबूझकर क्षति बनाई है।
- ग. आयातों और क्षति में वृद्धि के बीच कारणात्मक संपर्क नहीं दर्शाया गया है।
- घ. आवेदक ने यह तथ्य प्रकट न कर प्राधिकृत अधिकारी को भ्रमित करने का प्रयास किया है कि उसने संबद्ध सामानों का आयात किया है।
- ङ. आवेदक ने आईसीआईएस रिपोर्टों को गोपनीय होने का दावा किया है जो व्यापार सूचना 1/2013 के पैरा (iv) के उल्लंघन में है। वे आईसीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और वाणिज्यिक प्रतिबंधों के आधार पर गोपनीय होने का दावा नहीं किया जा सकता।
- च. आवेदक ने मौखिक सुनवाई से ठीक पहले पेपरबुक में सर्वाधिक हाल की अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं। तथापि, चूंकि आवेदक ने संशोधित याचिका दायर नहीं की है, अतः उत्तरदाता टिप्पणी देने में असमर्थ हैं।
- छ. चूंकि डीपीएल ने 3 जनवरी, 2020 को उत्तर दायर किया है, यद्यपि वह याचिका का भाग नहीं था, अतः दायर उत्तर को रद्द किया जाना चाहिए।
- ज. चूंकि डीपीएल संबद्ध सामानों का उत्पादन नहीं कर रहा है, अतः उसे जांच का भाग नहीं होना चाहिए क्योंकि उसे हुई क्षति निर्धारित नहीं की जा सकती।
- झ. आयातित काफी मात्राएं होने के बावजूद आवेदक ने व्यापार सूचना 6/2018 के अनुसार आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।
- ञ. जांच की कार्रवाई करने से पूर्व प्राधिकृत अधिकारी को आयात के प्रयोजन की जांच करनी चाहिए कि क्या आयात नियमित रूप से अथवा विशेष परिस्थितियों के कारण किए गए थे, क्या आयात उत्पाद रेंज को पूरा करने अथवा आरएंडडी प्रयोजन के लिए और आयातों की मात्रा के लिए किए गए थे।
- ट. आवेदक ने प्रयोक्ताओं को विकल्प प्रदान किए बिना एक नया संयंत्र स्थापित करने के लिए चार वर्षों के समय का अनुरोध किया है। आवेदक भारत में मांग पूरी नहीं कर सकता और यदि रक्षोपाय लगाए जाते हैं तो आईपीए की नियमित आपूर्ति रुक हो जाएगी।
- ठ. समायोजन योजना अर्थक्षम नहीं है क्योंकि उसमें यह माना जाता है कि एसिटोन मार्ग लागत प्रभावी है और प्रोपिलीन मार्ग से 30 प्रतिशत सस्ता है। तथापि, एसिटोन की कीमत में काफी उतार-चढ़ाव होता है। यदि एसिटोन की कीमत चार वर्ष के अंत में कम नहीं होती है तो समायोजन योजना कार्यरूप नहीं लेगी।

- ड. अर्थक्षम समायोजन योजना के अभाव में प्राधिकृत अधिकारी ने फ़ैलिक एनिहाइड्राइड, 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ़्लैट उत्पाद, अनरॉट एल्युमीनियम के नॉन अलॉयड इंगट और फ़्लैक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉल्योल से संबंधित जांचों में रक्षोपाय नहीं लगाए हैं।
- ढ. आवेदक ने एलजी केम. द्वारा कुल आयातों के 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक का आयात किया है, इस प्रकार आवेदक ने खुद को ही क्षति पहुँचाई है।
- ण. भारत-कोरिया सीईपीए के अनुसार, चूंकि कोरिया गणराज्य से आयात क्षति का पर्याप्त कारण नहीं है, अतः उन्हें प्रस्तावित रक्षोपाय से अलग किया जाना चाहिए।
- त. कोरिया गणराज्य से आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं क्योंकि उनमें गिरावट आई है और इस प्रकार उन्हें अलग किया जाना चाहिए।
- थ. कोरिया गणराज्य से आयात उत्पाद की आपूर्ति स्थिर करने में योगदान कर रहे हैं क्योंकि आवेदक मांग की आपूर्ति नहीं कर सकता।
- द. आवेदक ने चीन जन. गण. से भी संबद्ध सामानों का आयात किया है जिनकी सूचना प्राधिकृत अधिकारी को नहीं दी गई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति स्व-प्रभावित है।
- ध. आईपीए के लिए मांग में कोविड-19 के कारण वृद्धि हुई है तथा और अधिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान है, जबकि घरेलू उत्पादक की क्षमता स्थिर है। रक्षोपाय लगाने से आपूर्ति के स्रोत बंद हो जाएंगे।
- न. चूंकि घरेलू बाजार में केवल एक उत्पादक है, अतः ऐसी संभावना है कि वह बाजार पर प्रभावी होगा और बाजार प्रवेश के लिए बाधाएं तैयार करेगा।
- प. आवेदक अपनी निजी अदक्षताओं के लिए संरक्षण की मांग कर रहा है।
- फ. एसिटोन आधारित आईपीए महंगा हो गया है जबकि प्रोपिलीन आधारित आईपीए सस्ता हो गया है।
- ब. जैसा कि मिथाइल एसिटोसिटेट के मामले में जांच परिणामों में नोट किया गया है, यह सिद्ध करना आवेदक का दायित्व है कि रक्षोपाय लगाना जनहित में होगा। इस पहलू को याचिका में और जांच की शुरुआत की अधिसूचना में हल नहीं किया गया है।
- भ. यदि डीजीटीआर मात्रात्मक प्रतिबंध उपायों की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं तो यह पिछले तीन वर्षों में आयातों के औसत और भारतीय बाजार में प्रति वर्ष मांग में वृद्धि के प्रभाव के आधार पर होगा।
- म. याचिकाकर्ता की क्षमता 2016-17 से स्थिर अर्थात् 70,200 मी. टन रही और अपना ग्राहक आधार पूरा करने तथा बनाए रखने के लिए, याचिकाकर्ता चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से आईपीए का निरंतर आयात करता रहा है। याचिकाकर्ता सामान्य परिस्थितियों में मांग पूरी करने में असमर्थ है, अतः उनसे इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इस महामारी की स्थिति में बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाएं।
- य. यदि मात्रात्मक प्रतिबंध तत्काल लगाए जाते हैं तो इससे उद्योग प्रभावित होगा क्योंकि वे उच्चतर दरों पर उत्पाद की खरीद करने के लिए मजबूर होंगे।
- कक. कोरिया गणराज्य से आयातों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। साथ ही, याचिका में स्पष्ट रूप से चीन जन. गण. से आयातों पर जोर है और उल्लिखित है कि चीन जन. गण. से आयात प्रमुख रूप से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं।
- खख. याचिकाकर्ता की समायोजन योजना अर्थक्षम प्रतीत नहीं होती क्योंकि एसिटोन की कीमतें 2.5 गुना से अधिक बढ़ी हैं।
- गग. कोविड महामारी के मद्देनजर, बाजार अनुसंधान 2020-2024 के दौरान आईपीए की वैश्विक मांग 522,000 टीपीए तक पहुँचने का अनुमान लगाता है। अतः घरेलू उद्योग की समायोजन योजना पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वह जनहित में नहीं होगी।
- घघ. घरेलू उद्योग ने आधार वर्ष के दौरान 100 मी. ट. से जनवरी – जून, 2019 के बीच 120 मी. ट. (सूचीबद्ध) तक विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। यदि घरेलू उद्योग शामिल देशों के सभी उत्पादकों से बहुत अधिक राशि पर संबद्ध वस्तुओं का आयात कर रहा है और उसकी बिक्री घरेलू बाजार में लाभप्रद मार्जिन पर कर रहा है तब किस प्रकार से वे क्षति का दावा कर सकते हैं जब वे इससे अधिकतम लाभ उठा रहे हैं।

ड. कोरिया गणराज्य से आयातों में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है और इसके विपरीत संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति के लिए कोरिया गणराज्य से आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

XI. चीन पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्री फेडरेशन जिसका प्रतिनिधित्व डब्ल्यूटीसी ने किया

30. चीन पेट्रोलियम एंड केमिकल इंडस्ट्री फेडरेशन ने जांच प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित अनुरोध किए:

- क. रक्षोपाय जांच की शुरुआत के लिए स्थितियों की मौजूदगी सिद्ध करने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है।
- ख. याचिकाकर्ता ने बड़े हुए आयात बढ़ा-चढ़ाकर दिए हैं और घरेलू उद्योग को जान-बूझकर क्षति बनाई है।
- ग. याचिकाकर्ता ने सर्वाधिक हाल की अवधि के लिए अर्थात् जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक के लिए आंकड़े नहीं दिए हैं।
- घ. याचिकाकर्ता ने आयातों में आरोपित वृद्धि और आरोपित क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क सिद्ध नहीं किया है।
- ड. चीन जन. गण. से 50 प्रतिशत से अधिक आयात डीएफपीसीएल द्वारा किए गए हैं, जिसे याचिका के अगोपनीय रूपांतर अथवा जांच की शुरुआत की अधिसूचना में प्रकट नहीं किया गया है।
- च. आवेदक भारतीय आईपीए उद्योग का एकाधिकारी नियंत्रक बना हुआ था और भारत में आईपीए की कीमत निर्धारित किया करता था क्योंकि उसका घरेलू आईपीए और आयातित आईपीए पर नियंत्रण था। 2018-19 के दौरान आईपीए की मांग में वृद्धि हुई है और अन्य आयातक बाजार में आए हैं।
- छ. डीएफपीसीएल ने विदेशी बाजारों को पुनः आयात करने के लिए आईपीए का आयात किया, यह याचिका में नहीं दिया गया है।
- ज. चीन जन. गण. से आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं बल्कि भारत में मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा कर रहे हैं।
- झ. याचिकाकर्ता अपने उत्पादन का 100 प्रतिशत आयात कर रहा है और दावा की गई क्षति पूरी तरह से स्व-प्रभावित क्षति है।
- ञ. यदि मात्रात्मक प्रतिबंध उपाय चीन जन. गण. के संबंध में लगाए जाते हैं तो वे पिछले तीन वर्षों में औसत आयात और भारत में प्रति वर्ष आईपीए की मांग में वृद्धि के पर्याप्त प्रभाव के आधार पर होने चाहिए।
- ट. याचिकाकर्ता ने एसिटोन की कीमतों, एसिटोन आधारित आईपीए की बढ़ती हुई अर्थक्षमता और आईपीए की अत्यधिक क्षमता के संबंध में आईसीआईएस रिपोर्टों के बारे में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के उल्लंघन में है।
- ठ. याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. से काफी मात्रा में आयात किए हैं, परंतु आयातक प्रश्नावली को भरने करने में विफल रहे हैं।
- ड. चार वर्षों के बाद प्रभाव में आने वाली योजना को अर्थक्षम समायोजन योजना नहीं कहा जा सकता।
- ढ. समायोजन योजना इस अवधारणा पर आधारित है कि एसिटोन मार्ग से संबद्ध सामानों का उत्पादन लागत दक्ष है, परंतु एसिटोन की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव आता रहा है और इस प्रकार उपर्युक्त योजना कारगर नहीं होगी।
- ण. याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. से आईपीए का काफी मात्रा में आयात किया और घरेलू उद्योग को क्षति स्व-प्रभावित है।
- त. चीन जन. गण. से आयात घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचा रहे हैं बल्कि निचले स्तर के उद्योग को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति स्थिर करने में योगदान कर रहे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता अकेले मांग पूरी करने में असमर्थ हैं।
- थ. याचिकाकर्ता एक मात्र उत्पादक और आयातक होने के नाते लाभ ले रहा है। तथापि, जब दूसरे व्यापारी बाजार में प्रवेश करते हैं तो याचिकाकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष आया है और संरक्षण की मांग की है जो भारत में उपलब्ध व्यापार उपायों का अनुचित लाभ लेना है।
- द. याचिकाकर्ता ने बनावटी क्षति दर्शाने के लिए अपनी कम बिक्री सूचित की है और उनके द्वारा किए गए आयातों की व्यापारिक बिक्री सूचित नहीं की है।

- ध. आयातों के प्रयोजन की जांच की जानी चाहिए कि क्या उत्पाद रेंज को पूरा करने अथवा अनुसंधान अथवा नियमित आयात अथवा आयात विशेष परिस्थितियों को पूरा करने के लिए किए गए।
- न. उपाय लगाना जनहित में नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता एक मात्र उत्पादक होने के नाते बाजार पर प्रभाव बनाएगा और बाजार में प्रवेश के लिए बाधाएं तैयार करेगा जो भारत में उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिवेश और स्वस्थ विकास के लिए हानिकारक है।
- प. मांग-आपूर्ति अंतराल पर विचार करते हुए, रक्षोपाय अनावश्यक रूप से संबद्ध सामानों की नियमित आपूर्ति के स्रोत को बंद करेंगे और अंतिम प्रयोक्ता को उस उत्पाद के लिए अतिरिक्त कीमत देनी पड़ेगी जो अब कम लागत पर उपलब्ध है।
- फ. सिफारिश किया जाने वाला कोई भी उपाय पिछले तीन वर्षों में आयातों के औसत के आधार पर और भारतीय बाजार में आईपीए के लिए मांग में वृद्धि पर विचार कर होना चाहिए।
- ब. सीपीसीआईएफ और उसके उत्पादक/निर्यातक एतद्वारा अनुरोध करते हैं कि रक्षोपाय जांच नियमों के अनुसार आवेदक को डीजीटीआर द्वारा जारी जांच की अधिसूचना के बाद निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करना होता है। तथापि, वर्तमान मामले में केवल याचिकाकर्ता अर्थात् दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने ही नहीं बल्कि दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड (डीपीएल) ने भी प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत किए हैं और क्रमशः 3 जनवरी, 2020 और 16 सितंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार डीजीटीआर में लिखित अनुरोध दायर किए हैं, यद्यपि वह याचिका का भाग नहीं था। अतः हम प्राधिकृत अधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे डीपीएल के अनुरोधों को रद्द करें।
- भ. याचिकाकर्ता प्रयोक्ता उद्योग के लिए कोई विकल्प प्रदान किए बिना नया एसिटोन आधारित संयंत्र स्थापित करने के लिए चार वर्ष के लंबे समय का अनुरोध कर रहा है। याचिकाकर्ता वर्तमान में भारतीय उद्योग की मांग को पूरा करने में असमर्थ है और रक्षोपाय (यदि कोई है) लगाने से उनके लिए संबद्ध सामानों की नियमित आपूर्ति के स्रोत अनावश्यक रूप से बंद हो जाएंगे जिससे भारत के जनहित पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अंतिम प्रयोक्ताओं/आयातकों को उस उत्पाद के लिए अतिरिक्त कीमत देनी पड़ेगी जो कि विदेशी उत्पादकों द्वारा प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के कारण कम लागत पर उपलब्ध था। कोई मात्रात्मक प्रतिबंधात्मक उपाय लगाने से जनहित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा दी गई समायोजन योजना को अर्थक्षम समायोजन योजना नहीं कहा जा सकता। समायोजन योजना इस अवधारणा पर आधारित है कि एसिटोन मार्ग से संबद्ध सामानों का उत्पादन लागत प्रभावी है और प्रोपिलीन आधारित मॉडल से 30 प्रतिशत सस्ता है।

XII. अलकाइल एमाइन्स केमिकल्स लिमिटेड जिसका सर्वदा ने प्रतिनिधित्व किया

31. उत्तरदाता ने अपने प्राथमिक अनुरोधों में और सुनवाई के बाद के अनुरोधों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. चूंकि याचिकाकर्ता को मुख्य आपत्ति चीन से सस्ते आयात हैं, अतः ऐसे मामले में उपयुक्त उपाय पाटनरोधी शुल्क है। यह तर्क कि पाटन शब्द जेनरिक अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, केवल एक विचार है।
- ख. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चीन जन. गण. से संबद्ध सामानों का पाटन मौजूद है क्योंकि चीन जन. गण. से भारी मात्रा में सस्ते आयात हैं। ऐसी स्थिति में, उपयुक्त उपाय रक्षोपाय नहीं हैं बल्कि पाटनरोधी कार्रवाईयां हैं। उपर्युक्त कारण से वर्तमान जांच तत्काल रद्द किए जाने की आवश्यकता है।
- ग. नियम 5(2) अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन पत्र की विषय-वस्तु (i) बड़े हुए आयातों, (ii) गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे, (iii) बड़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क के साक्ष्य से समर्थित होने की आवश्यकता है तथा उसमें (क) सकारात्मक रूप से समायोजित किए जाने के लिए किए गए अथवा योजना बनाए गए प्रयास और (ख) क्या जांच की शुरुआत के लिए आवेदन पत्र सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की एस.8वी के तहत प्राधिकृत अधिकारी रक्षोपाय को भी प्रस्तुत किया गया है, संबंधी विवरण दिया जाना चाहिए। तथापि, (क) आवेदन पत्र में ऐसा कोई विवरण नहीं है कि रक्षोपाय प्राधिकृत अधिकारी को कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया है, (ख) आवेदन केवल समायोजन योजना के संबंध में अनुमान है और समायोजन सुकर बनाने के लिए पर्याप्त प्रगामी उदारीकरण का विवरण नहीं बताता, (ग) अन्य कारक जिनसे आयातों में वृद्धि होती है, यथा – याचिकाकर्ता खुद ही काफी आयात कर रहा है, यह आवेदन पत्र में नहीं दिया गया है, (घ) याचिकाकर्ता ने प्रमुख आयातकों की सूची में खुद का उल्लेख भी नहीं किया है और (ङ) जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 के बीच की सर्वाधिक हाल की अवधि के कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, यद्यपि जांच नवंबर, 2019 में शुरू की गई थी। यह सूचना नियम 5 के तहत आवेदन पत्र की "पर्याप्तता एवं परिशुद्धता" की आवश्यकता की तुलना में महत्वपूर्ण है और उन्हें देखा जाना चाहिए था क्योंकि वे अनिवार्य हैं।
- घ. जांच की शुरुआत की सूचना में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध सामानों का आयात किया। या तो याचिकाकर्ता द्वारा किए गए काफी आयातों के संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचित नहीं

किया गया था अथवा प्राधिकृत अधिकारी ने इससे अवगत होने के बावजूद अपनी जांच की शुरुआत की सूचना में वह प्रकट नहीं किया। पहली स्थिति के मामले में, अनिवार्य तथ्य प्रकट न करने की वास्तविकता मौजूद है जिससे जांच में काफी बाधा पड़ी है और जांच प्रभावित हुई है। बाद की स्थिति के मामले में, जांच अपने आप में आदितः बेकार है क्योंकि प्रथम दृष्टया साक्ष्य यह स्पष्ट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपने आप में सबसे बड़ा आयातक था और इस प्रकार अपने गलत कार्य के लिए संरक्षण की मांग नहीं कर पाया।

- ड. चूंकि नियम 5 की अनिवार्य आवश्यकता पूरी नहीं की गई है, अतः जांच की शुरुआत की सूचना कानून में गलत है। जांच की शुरुआत कानून में एक बार गलत माने जाने पर उस जांच की शुरुआत के अनुसरण में लिया गया बाद का कोई भी कदम कानून में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया और अन्य बनाम अनंत साहा और अन्य [(2011) 5 एससीसी 142] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार भी गलत है।
- च. अनुच्छेद 4.2(ख) एओएस में यह प्रावधान है कि इस संबंध में निर्धारण कि क्या बढ़े हुए आयातों से गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति का खतरा हो रहा है, तभी किया जाएगा, यदि जांच बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क की मौजूदगी दर्शाए। बढ़े हुए आयातों को छोड़कर अन्य कारकों के कारण क्षति बढ़े हुए आयातों के कारण नहीं होनी चाहिए, जैसा कि स्पष्ट किया गया है, अपीलीय निकाय ने यूएस – हीट ग्लूटन, यूएस – लाइन पाइप और यूएस – स्टील सेफगार्ड में पहला तत्व अर्थात् बढ़े हुए आयातों से दूसरे तत्व को गंभीर क्षति होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे के बीच कारण एवं प्रभाव का संबंध होना चाहिए। वर्तमान जांच में घरेलू उद्योग को क्षति स्व-प्रभावित है।
- छ. यद्यपि विगत चार वर्षों में आयात कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है जो आयातों में किसी तथाकथित वृद्धि के साथ कारणात्मक संपर्क बनाते हुए क्षति के अन्य कारण बताती है।
- ज. याचिका में दी गई सूचना में एसिटोन के विपरीत महंगे इनपुट प्रोपिलीन (30 प्रतिशत लागत अंतर) के आधार पर अदक्ष उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हानियां दर्शाई गई हैं। निर्यातकों और अन्य समान रूप से रखे गए हितबद्ध पक्षकारों को घरेलू उद्योग की अदक्षताओं के कारण दंडित नहीं किया जाना चाहिए।
- झ. याचिकाकर्ता ने क्षति पहुँचाने वाले अतिरिक्त तथ्य छिपाए हैं, यथा – (i) विलायकों की कीमतों में तेजी से गिरावट, (ii) यूएसए की असंगत नीतियां और (iii) चीन से आईपीए के पाटन से कंपनी का निष्पादन प्रभावित हुआ है। चूंकि यह याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकृत स्थिति है, अतः उपयुक्त उपाय पाटनरोधी उपाय है न कि रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम।
- ञ. रक्षोपाय प्रतिबंध इस अवधारणा पर कमीहीन उपाय कार्यवाही हैं कि उचित व्यापारिक परिस्थितियों के तहत बढ़े हुए आयातों से गंभीर क्षति हुई है और सावधानी से लागू किया जाना चाहिए। एसजी (क्यूआर) नियमावली में नियम 8(ख) के तहत गलत दी गई शिकायतों के विरुद्ध अंतर्निर्मित रक्षोपाय का प्रावधान है जिससे प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि पाटन के कारण क्षति को बढ़े हुए आयातों के कारण न माना जाए। प्राधिकृत अधिकारी को चाहिए कि वे शिकायत को पाटनरोधी जांच के लिए भेजें क्योंकि घरेलू उद्योग खुद ही क्षति के लिए प्रमुख कारण के रूप में चीन के लिए पाटित आयातों को मानता है।
- ट. यद्यपि याचिकाकर्ता ने दावा किया कि क्षमता उपयोग में गिरावट आई है और केवल बढ़े हुए आयातों के कारण ही उसने असामान्य मंदी का सामना किया है, अतः 2019-20 की पहली तिमाही के लिए याचिकाकर्ता की कारपोरेट प्रस्तुति में यह उल्लेख है "... उत्पादन मात्राएं भी अस्थायी रूप से प्रभावित हुई थीं क्योंकि संयंत्र प्रोपिलीन की अनुपलब्धता के कारण बंद किया गया था; प्राथमिक रूप से आपूर्तिकर्ता की ओर से वार्षिक रख-रखाव बंदी से संचालित था"। 2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए कारपोरेट प्रस्तुति में यह उल्लेख है "आईपीए और एसिड की उत्पादन मात्राएं एमआईडीसी द्वारा कच्चे पानी की आपूर्ति रुकने के कारण प्राथमिक रूप से प्रभावित हुई थीं और आईपीए संयंत्र बंद हुआ।" याचिकाकर्ता ने अन्य कारकों के रूप में संयंत्र की बंदी और कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता का उल्लेख करने में चूक की है जो कि जांच में संगत अत्यधिक छिपाया हुआ तथ्य है।
- ठ. याचिकाकर्ता की लागत और कीमतों से आयात की पहुँच कीमत की तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि संबद्ध सामानों के आयातों में याचिकाकर्ता को अपनी बिक्री कीमत बढ़ाने से प्रतिबंधित नहीं किया। आयातों के पहुँच मूल्य में वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक रही है। इसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता अपनी बिक्री कीमत आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ा पाया। तथापि, याचिकाकर्ता कोई कदम उठाने में विफल रहे। अतः यह दावा कि याचिकाकर्ता सस्ते आयातों के कारण कीमतें बढ़ाने में असमर्थ थी, गलत है।

- ड. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख के तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई विगत जांचों, अर्थात् बेयर एलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच (दिनांक 29 सितंबर, 2014 का जांच परिणाम); 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पादों के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच – दिनांक 23 मार्च, 2015 के अंतिम जांच परिणाम; भारत में "अनरॉट एल्युमीनियम के नॉट अलॉयड इंगट्स" के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच – दिनांक 7 अक्तूबर, 2014 के अंतिम जांच परिणाम, प्राधिकृत अधिकारी ने जांच को रद्द किया क्योंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं थी।
- ढ. प्राधिकृत अधिकारी ने जांच की अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2019 और जनवरी, 2019 से जून, 2019 तक सर्वाधिक हाल की अवधि के रूप में निर्धारित की है। चूंकि जांच 10 माह से अधिक पूर्व शुरू की गई थी और जांच की अवधि एवं वर्तमान अवधि के बीच 15 माह से अधिक का समय निकल गया था, अतः जांच की अवधि के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था को कोविड-19 में बड़ा झटका मिला। चूंकि बीमारी से लड़ने के लिए आईपीए एक अनिवार्य वस्तु है, अतः सीमित आपूर्ति के कारण मांग तथा कीमतों में वृद्धि हुई है। चूंकि कीमतें बढ़ी हैं, अतः प्राधिकृत अधिकारी को सबसे हाल के आयात आंकड़ों पर विचार करना चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि क्या आयात उन स्थितियों में अब भी भारत में आ रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है तथा वर्तमान बिक्री कीमतों और याचिकाकर्ता की लाभप्रदता की जांच यह मापने के लिए करनी चाहिए कि क्या अब भी संरक्षण की आवश्यकता है।
- ण. आवेदन पत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करना रह गया है अर्थात् घरेलू उद्योग खुद ही भारत में संबद्ध सामानों का आयात करता है जो आयातों में "उछाल" के प्रति काफी योगदान कर रहा है। याचिका के भाग V में प्रश्न II पर याचिकाकर्ता ने दावा किया कि आयात ही एक मात्र कारण हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहा है। इसके अतिरिक्त, व्यापार सूचना के अनुपालन के विवरण में घरेलू उद्योग ने आयातों की तुलना में आंकड़े नहीं दिए हैं जो ± 5 प्रतिशत की रेंज में भारत में कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में दिये जाने चाहिए थे।
- त. याचिकाकर्ता ने मौखिक सुनवाई के दौरान अर्थात् जांच की शुरुआत के लगभग 10 माह बाद पहली बार यह तथ्य स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता का पूर्व प्रभावी व्यापार ट्रेडिंग है जो उसके कुल राजस्व का 63.17 प्रतिशत है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता आयातों में तथाकथित उछाल के लिए खुद ही जिम्मेदार है और स्पष्ट रूप से "स्वप्रभावित" है।
- थ. जूरी एक्स इंजूरिया नॉन ऑरिटर के सिद्धांत अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने गलत कार्यों से उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता और नलस कमोडम कैपेर पोटेस्ट डि इंजूरिया सुआ प्रोप्रिया अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने गलत कार्य का लाभ नहीं ले सकता, लागू किये जाने चाहिए।
- द. क्या आयात बढ़ी हुई मात्राओं में हैं, इसका मूल्यांकन याचिकाकर्ता द्वारा किए गए उन आयातों को हटाने के बाद किया जाना चाहिए जिन पर उसे क्षति पहुँचाने के संबंध में विचार नहीं किया जा सकता। आयातों की मात्रा तथा मूल्य, दोनों बताए जाने चाहिए और यह जांच करने से पहले हटाए जाने चाहिए कि क्या (i) आयात रक्षोपाय करार के अनुसार बढ़े हैं; (ii) क्या बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ध. याचिकाकर्ता खुद ही विगत पांच वर्षों से संबद्ध सामानों का अकेला सबसे बड़ा आयातक है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता इस तथ्य से पूर्णतः अवगत था कि संबद्ध सामानों के आयातों में वृद्धि वस्तुतः अकेले उसके कारण ही हुई है। यह तथ्य खुद ही याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को नकारता है कि आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित घटना थी। जो कंपनी निरंतर विगत पांच वर्षों से प्रत्येक वर्ष कुल आयातों के लगभग 50 प्रतिशत का आयात करती है, वह यह दावा नहीं कर सकती कि आयातों से उसे क्षति हो रही है।
- न. जिस समय घटनाएं अप्रत्याशित थीं, उसी समय की बात है जिस पर संगत प्रशुल्क रियायतों की बातचीत की गई थी, अर्थात् जिस समय संबंधित सदस्य ने डब्ल्यूटीओ से सहमति दी थी। गंभीर क्षति पहुँचाने वाले आयातों में वृद्धि और "प्रत्याशित घटनाओं" के बीच "तर्कसंगत संयोजन" होना चाहिए। आयातों में वृद्धि स्वयं ही अप्रत्याशित घटनाएं नहीं हैं। पैरा 7 में जांच की शुरुआत की सूचना में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विचार की गई अप्रत्याशित घटनाओं के उदाहरण अर्थात् एसिटोन का वैश्विक अधिशेष, एसिटोन की गिरती हुई कीमतें, चीन जन. गण. में बढ़ी हुई क्षमताएं और चीन में संबद्ध सामानों के लिए सीमित मांग अप्रत्याशित घटनाओं के रूप में अर्हता नहीं लेते।
- प. जहां तक दावा की गई अप्रत्याशित घटनाओं का खुद ही संबंध है, याचिकाकर्ता एसिटोन की कीमतों में विश्व व्यापी कटौती पर विचार करते हैं, जिससे आईपीए का उत्पादन करने वाले प्रोपिलीन आधारित संयंत्र गैर-प्रतिस्पर्धी हो गए, एक अप्रत्याशित घटना है। चूंकि याचिकाकर्ता प्रोपिलीन पद्धति पर आधारित भारत में एक मात्र घरेलू उत्पादक है, अतः इससे एसिटोन पद्धति पर आधारित संबद्ध सामानों के सस्ते आयातों में वृद्धि हुई है। इस संबंध में, अर्जेंटीना-प्रीजर्व पीचेस के आयातों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय में पैनल की रिपोर्ट संगत है क्योंकि डब्ल्यूटीओ पैनल ने यह निर्णय दिया था कि भले ही वर्तमान जांच में उल्लिखित समान घटनाएं अप्रत्याशित घटनाएं हों और यह माना गया था कि इन घटनाओं

के लिए अप्रत्याशित माना जाए, यह दर्शाया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने दायित्व करते समय उसका पूर्वानुमान क्यों नहीं लगाया। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को वास्तव में यह दर्शाना चाहिए कि संबद्ध सामानों का उत्पादन करने की एसिटोन आधारित पद्धति प्रोपिलीन आधारित पद्धति से सस्ती है, जिससे प्रोपिलीन आधारित पद्धति गैर-प्रतिस्पर्धी हो रही है, उस समय नहीं देखी गई थी जब भारत ने जीएटीटी के तहत अपने दायित्व निभाए। इस स्तर पर घरेलू उद्योग के लिए उस संगत समय पर किसी भी प्रक्रिया के आधार पर उत्पादन लागत के बीच समानता स्थापित करने के लिए कुछ साक्ष्य देने अपेक्षित थे, जब भारत ने जीएटीटी के तहत अपने दायित्व निभाए।

- फ. (i) एसिटोन की कीमतों में गिरावट (अनुबंध-3.3), (ii) एसिटोन आधारित आईपीए की बढ़ी हुई अर्थक्षमता (अनुबंध-3.4); (iii) आईपीए की अतिरिक्त क्षमताओं (अनुबंध-3.5) के संबंध में याचिकाकर्ता दी गई पूरी सूचना आईसीआईएस रिपोर्टें हैं जिन्हें गोपनीय होने का दावा किया गया है। डाई स्टफ मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार में यह माना गया था कि (i) पत्रिकाओं के प्रश्न से लिए गए आंकड़े "तथ्य" नहीं बनते, असंगत हैं और किसी जांच में साक्ष्य के रूप में उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता; (ii) "सर्वोत्तम" सूचना के स्रोत के रूप में केवल सरकारी प्रकाशनों को ही स्वीकार किया जा सकता है। अतः अनुबंध-3.3-3.5 में निहित सूचना रद्द की जानी चाहिए और अप्रत्याशित परिस्थितियों की मौजूदगी निर्धारित करते समय उन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।
- ब. इस तर्क के संबंध में कि विश्व को एसिटोन की अधिक आपूर्ति से हानि हो रही है, याचिकाकर्ता ने एक चीनी कंपनी द्वारा जेनरिक आर्टिकल पर ही विश्वास किया है जिसकी विश्वसनीयता यह दावा करने के लिए अज्ञात है कि चीन में क्षमताएं बढ़ी हुई हैं और आईपीए की सीमित मांग है। इन कंपनियों की ऑनलाइन पोस्टों को विश्वसनीय साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार, अनुबंध-3.7 और 3.8 को भी अलग किया जाना चाहिए क्योंकि वे प्रकृति में समाचार रिपोर्टें हैं।
- भ. प्रमुख इनपुट की कीमतों में वृद्धि अथवा गिरावट अप्रत्याशित घटना नहीं कहीं जा सकती। कीमतों में अस्थिरता खुले बाजार में, विशेषकर एसिटोन जैसे कच्चे सामानों के संबंध में एक असामान्य बात नहीं है। "अप्रत्याशित घटना" शब्द अपना संगत अर्थ खो देगा, यदि कीमतों में गिरावट अप्रत्याशित कही जाए। एसिटोन कीमतों में कमी और सस्ते आईपीए का दावा याचिका में दिए गए आंकड़ों का विरोधाभासी है जो आयात कीमतों में तेजी से वृद्धि दर्शाता है।
- म. घरेलू उद्योग आईपीए की अतिरिक्त वैश्विक क्षमता दर्शाने वाला कोई सकारात्मक एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है। एसिटोन का तथाकथित वैश्विक अधिशेष यथातथ्यतः आईपीए के अधिशेष का निष्कर्ष नहीं बनाता क्योंकि यह माना जा सकता है कि एसिटोन का अधिशेष उत्पादन केवल आईपीए के उत्पादन में उपयोग में लाया जाएगा क्योंकि इसका प्रयोग आइसोफोरोन, डायक्टोन, मिथाइल मेथाक्रिलेट, बायसफेनोल आदि सहित अन्य रसायनों के निर्माण के लिए भी किया जाता है।
- य. यह कि एसिटोन आधारित संयंत्रों की तुलना में प्रोपिलीन आधारित संयंत्रों की गैर-प्रतिस्पर्धात्मकता अप्रत्याशित घटना है, पूर्णतः आधारहीन है क्योंकि विश्व भर में कंपनियां अधिक दक्ष प्रौद्योगिकी में चली गई हैं, जबकि याचिकाकर्ता ने समय पर काम नहीं किया। यहां तक कि आईपीए उत्पादन यूनिटों को भी अन्यत्र स्थापित होने और वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम होने के लिए पर्याप्त समयावधि लेनी चाहिए थी। यदि याचिकाकर्ता बदलते हुए बाजार प्रभावों और अपने संयंत्र की स्थापना से पूर्व सर्वोत्तम विनिर्माण परिपाटियों का अध्ययन करने की अनदेखी करता है तो वह "अप्रत्याशित घटना" नहीं है बल्कि दूरदर्शिता का अभाव है।
- कक. अप्रत्याशित घटनाओं को आईसीआईएस रिपोर्टों के रूप में साक्ष्य के माध्यम से औचित्य बताए जाने की मांग की गई है जिन्हें कि घरेलू उद्योग द्वारा यह कारण उल्लिखित करते हुए गोपनीय होने का दावा किया गया है कि इसमें "तृतीय पक्षकार की सूचना है जिसे प्रकट करने के लिए याचिकाकर्ता अधिकृत नहीं हैं" निहित है। इन रिपोर्टों में निहित सूचना गोपनीय नहीं मानी जा सकती क्योंकि यह घरेलू उद्योग से संबंधित व्यापारिक स्वामित्व की सूचना नहीं बनेगी। घरेलू उद्योग किसी अन्य पक्षकार की ओर से सूचना के संबंध में गोपनीयता का दावा भी नहीं कर सकता। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 52 के अनुसार न्यायिक कार्यवाहियों की प्रक्रिया में प्रतिलिपि किए गए कार्य को प्रस्तुत करने के लिए किसी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है। गोपनीयता के दावे से हितबद्ध पक्षकारों की यह विवेक्षण करने की क्षमता परिणत ही है कि क्या रिपोर्टें विश्वसनीय हैं और घरेलू उद्योग के दावे को सिद्ध करती हैं। प्राधिकृत अधिकारी को या तो याचिकाकर्ता को अनुबंध 3.3 से 3.5 प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए या एसजी (क्यूआर) नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार उस पर विचार की अनदेखी करनी चाहिए।
- खख. प्राधिकृत अधिकारी को याचिकाकर्ता को निर्देश देना चाहिए कि वे समग्र रूप से जांच की अवधि के दौरान तथा वार्षिक आधार पर आयातों में अपना हिस्सा प्रकट करें क्योंकि रक्षोपाय का अनुरोध करने का अधिकार उन स्थितियों में आयातों में वृद्धि है जिनसे गंभीर क्षति होती है। अतः हितबद्ध पक्षकारों को याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और उन कीमतों के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए जिन पर वे यह मापने के लिए की गई थीं कि क्या याचिकाकर्ता खुद

- ही आयातों में वृद्धि तथा आरोपित कीमत न्यूनीकरण एवं हास के लिए जिम्मेदार था। प्रतिशत संदर्भ में रेंज के रूप में याचिकाकर्ताओं का हिस्सा दिया जाना चाहिए और उन आयातों द्वारा कीमत कटौती भी दर्शाई जानी चाहिए।
- गग. न तो एसजी (क्यूआर) नियमावली में कोई मशीनरी प्रावधान है और न ही भारतीय कानून के तहत कोई अन्य मशीनरी प्रावधान विद्यमान है जो आयातों की मॉनीटरिंग कर सके और संबंधित दावेदारों को सतर्क कर सके कि किसी देश के लिए संबंधित कोटा यूरोपीय संघ और यूएस के कोटा के समान समाप्त होने वाला है।
- घघ. केवल एफटीडीआर अधिनियम की धारा 9क उन आयातों की मंजूरी के लिए किसी प्रावधान के बिना मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने की अनुमति देती है जो किसी देश को आबंटित मात्रा से अधिक होते हैं। कोटा से अधिक के आयातों पर प्रशुल्क लगाने के बाद मंजूरी की अनुमति देने के लिए प्रावधान के अभाव में भारत में पहले से ही पारगमन में संबद्ध सामान या तो पत्तन से अलग कर दिए जाएंगे, भारत में मंजूरी इंकार कर दी जाएगी अथवा रक्षोपाय के भुगतान के बाद मंजूरी की अनुमति दिए जाने के लिए विरोध किए गए अनुसार प्रतिबंधित मद के रूप में नष्ट की जाएंगी। मात्रात्मक प्रतिबंध तब तक नहीं लगाए जाने चाहिए जब तक कोटा लागू करने का कोई मशीनरी प्रावधान तैयार न किया जाए।
- ङङ. विश्व अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से एक बड़ा झटका लगा और चूंकि सैनिटरी उत्पादों के लिए आईपीए एक अनिवार्य वस्तु है, अतः मांग तथा कीमतों में वृद्धि हुई थी। रक्षोपाय जांचों में एक व्यावहारिक नियम यह है कि घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों और आयातों की जांच करते समय सर्वाधिक हाल के उपलब्ध आंकड़ों पर विचार किया जाए। यदि उत्तरदाता द्वारा दी गई नवीनतम प्रवृत्तियों की जांच की जाए तो आयात कीमतों में जांच की अवधि के अंत और जुलाई, 2020 के दौरान वर्तमान विद्यमान कीमत के बीच 115 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, आयात कीमतें मार्च, 2020 और जुलाई, 2020 के बीच 87 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। विगत वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत से अधिक तक आयात कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि सबसे हाल की प्रवृत्तियों की जांच की जानी चाहिए। चूंकि आयात आंकड़े बाजारा स्रोतों से लिए जाते हैं, अतः प्राधिकृत अधिकारी से अनुरोध है कि वे डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से उपर्युक्त आंकड़ों का सत्यापन करें।
- चच. एओएस तथा रक्षोपाय (क्यूआर) नियमावली, दोनों में प्राधिकृत अधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे इस बात की जांच करें कि क्या रक्षोपाय लगाना जनहित में होगा अथवा नहीं। "जनहित" शब्द एक बहुत ही व्यापक शब्द है और अपनी परिधि में संबद्ध वस्तु के प्रयोक्ताओं के हित सहित व्यापक सामुदायिक हित को ध्यान में रखते हुए आम सामाजिक कल्याण शामिल करता है न कि केवल घरेलू उद्योग के हित। रक्षोपाय केवल इस कारण घरेलू उद्योग को स्वतः संरक्षण प्रदान करने के लिए नहीं बने हैं कि उसे क्षति हो रही है अथवा गैर-प्रतिस्पर्धी है। औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं के हित अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।
- छछ. मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने से याचिकाकर्ता को किसी महत्वपूर्ण लाभ के बिना निचले स्तर के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विचाराधीन उत्पाद के कई महत्वपूर्ण प्रयोग हैं और विभिन्न महत्वपूर्ण फार्मास्युटिकल उद्योगों में वह एक महत्वपूर्ण इनपुट है। प्रयोगों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ग्लाइफोसेल (हर्विसाइड) का विनिर्माण, (ii) सोडियम आइसोप्रॉक्साइड और लीथियम डायसोप्रोपिलामाइड जैसे प्रमुख मध्यवर्ती का विनिर्माण, जो स्टेटिन्स, एंटी रेट्रोवेरल्स आदि जैसी जीवनरक्षक औषधियों के संश्लेषण में व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, (iii) एटोरेवेस्टाटिन्स जैसी स्टेटिन्स के विनिर्माण में प्रयुक्त डायसोप्रोपिलामिन का विनिर्माण, जिसका प्रयोग हृदय संबंधी रोग के उपचार में कॉलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है, (iv) आइसोप्रोपिल एल्कोहॉल स्बैक्स और स्वाइप्स का प्रयोग एंटी सेप्टिक गुणधर्मों के कारण घाव की सफाई के लिए किया जाता है, (v) एमॉक्सिलीन, मोटेनुकास्ट, लिवेटिरासिटन, फ्लोक्सेटिन हाइड्रोक्लोराइड और ओमेप्राजोल जैसी कई फार्मास्युटिकल औषधियों में एक्सिपिएंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, (vi) आईपीए फार्मास्युटिकल और एग्रेकेमिकल-फॉर्मूलेशनों में कई जीवनरक्षक औषधियों में क्रिस्टीलाइजेशन के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक पर्यावरण के अनुकूल घोलक है, (vii) विसंक्रामक गुणधर्मों के कारण कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉस्कटो रेपेलेंट में प्रयुक्त किया जाता है।
- जज. हमेशा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत में पर्याप्त घरेलू क्षमता नहीं है। मात्रात्मक प्रतिबंधों से घरेलू उद्योग को लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वह स्वीकार्य रूप से संबद्ध सामानों का अदक्ष उत्पादक है और इसमें सीमित क्षमता है जबकि अंतिम प्रयोक्ता सीधे ही प्रभावित होंगे। वस्तुतः यह याचिकाकर्ता की ओर से आयात प्रतिस्पर्धी को मोड़ने और अपनी कीमतें और मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रयास प्रतीत होता है।
- झझ. घरेलू विकल्पों के अभाव के साथ संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा पर कोई प्रतिबंध उन फार्मास्युटिकल उत्पादों की अप्रतिबंधित और वहनीय आपूर्ति चाहने वाले रोगियों सहित अंतिम उपभोक्ताओं और निचले स्तर के महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए हानिकारक होगा। प्रयोक्ता उद्योग को घरेलू विकल्पों के अभाव में संबद्ध सामानों का आयात करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।

- अज. उत्तरदाता संबद्ध सामानों के प्रयोक्ता हैं जिनका प्रयोग मोनो आइसोप्रोपिल अमीन्स (एमआईपीए) के विनिर्माण में किया जाता है। हाल ही में 12 फरवरी, 2018 को डीजीटीआर ने पांच वर्षों की अवधि के लिए एमआईपीए पर पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की जो दिनांक 21.03.2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 14/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा लगाया गया था। यदि प्राधिकृत अधिकारी संबद्ध सामानों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश करने का निर्णय लेते हैं तो एमआईपीए पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का पूरा प्रयोजन बेकार हो जाएगा क्योंकि एमआईपीए के प्रमुख इनपुट अर्थात् आईपीए की उपलब्धता प्रतिबंधित हो जाएगी और इसके परिणामस्वरूप कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि भी होगी। परिणामस्वरूप, वर्तमान मामले में प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिश स्वतः ही निचले स्तर के उत्पाद के संबंध में दूसरी पाटनरोधी जांच में प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिश की विरोधी होगी और पाटनरोधी शुल्क लगाना निरर्थक हो जाएगा। पूरा एमआईपीए उद्योग फिर अनार्थिक और घाटा करने वाली कंपनी बन जाएगा।
- टट. घरेलू उद्योग में उपलब्ध क्षमता भारत में मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उसने दावा किया है कि विस्तार के लिए चार वर्ष और की आवश्यकता होगी। भारतीय मांग 2018-19 में लगभग 2,16,494 मी. टन थी जबकि वर्तमान में घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता केवल 70,200 मी. टन है। मांग कोविड-19 के अनुसरण में अत्यधिक बढ़ी, अतः मात्रात्मक प्रतिबंधों से उस संक्रमण के विरुद्ध संरक्षण तथा उसे रोकने के लिए अपेक्षित सैनिताइजरो और विसंक्रामकों की उपलब्धता में भारी कमी आएगी जिनका जनता के स्वास्थ्य पर भारी दुष्परिणाम होता है। आईपीए की उपलब्धता में कमी से कीमत में वृद्धि होगी जिससे निचले स्तर की वस्तुओं की उत्पादन लागत महंगी होगी और आम जनता की पहुँच से बाहर होगी।
- ठठ. भारत में 30 जून, 2020 तक सैनिताइजरो को अनिवार्य वस्तुओं के रूप में घोषित करने के लिए इसी अधिनियम के तहत आदेश अधिसूचित किया और जिस अधिकतम कीमत पर सैनिताइजरो की बिक्री की जा सकती है, वे निर्धारित कीं।
- डड. याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पूर्ण दृष्टि से और तुलनात्मक दृष्टि से आयातों में अचानक तेजी और काफी वृद्धि हुई है तथा जो उद्योग को रोकने के लिए मात्रात्मक उपायों की आवश्यकता सिद्ध करती है। याचिकाकर्ता ने अपने लिखित अनुरोधों में यह उल्लेख किया कि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है और घरेलू उद्योग अपना उत्पादन रोकने तथा ट्रेडिंग के लिए खुद उत्पाद का आयात करने के लिए मजबूर था। यह कार्य यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को न खोये जिनके साथ उसने अपने दीर्घकालिक संबंध बनाए थे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग अपना बाजार बनाए रखने के लिए हानियों पर अपने उत्पादन की बिक्री करने के लिए मजबूर था। अतः यह सिद्ध है कि आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाने के लिए उन स्थितियों में किए जा रहे हैं। अतः घरेलू उद्योग ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि उसने संबद्ध सामानों का आयात किया है। आवेदन प्रपत्र के भाग V में प्रश्न II किसी प्रकटन तक प्रतिबंधित नहीं है कि आयात किए गए हैं, परंतु भारत में आयातों के ± 5 प्रतिशत की रेंज के भीतर प्रतिशत (%) के रूप में उसके द्वारा किए गए उन आयातों के आंकड़े देने के लिए याचिकाकर्ता पर महत्वपूर्ण दायित्व भी डालता है। याचिकाकर्ता लिखित अनुरोधों में ये आंकड़े देने में भी विफल रहा। अनुपालन न करना रद्द करने के लिए एक तत्काल आधार है क्योंकि यह उस सूचना के संबंध में अपनी टिप्पणी देने से पक्षकारों को परिगत करता है जो महत्वपूर्ण है।
- ढढ. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चूंकि उसने ग्राहक बनाए रखने में संघर्ष किया, अतः वह यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडिंग के लिए खुद उत्पाद का आयात करने और अपने उत्पादन को रोकने के लिए मजबूर था कि वह अपने ग्राहकों को न खोये और यह कि वह खुद अपना उत्पादन हानि पर बेचने के लिए मजबूर था ताकि वह अपना बाजार बनाए रख सके और इस प्रकार इन परिस्थितियों में आयात किए जा रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही है।
- णण. याचिकाकर्ता ने स्वयं ही स्वीकार किया है कि उसने अत्यधिक मात्राओं में सामानों का आयात किया है, क्षति स्वप्रभावित है। याचिकाकर्ता उस समय कीमत कटौती पर आयातों द्वारा कीमत न्यूनीकरण और ह्रास की शिकायत नहीं कर सकते, जब इस सस्ती कीमतों के आयात याचिकाकर्ता द्वारा खुद ही किए गए हैं और कम कीमतों पर प्रयोक्ता उद्योग को बेचे गए हैं। यद्यपि यह हो सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादन पर लाभ नहीं कमाया हो, उसने उसके द्वारा किए गए आयातों की ट्रेनिंग करते समय लाभ कमाया ही है। परिणामस्वरूप, आयातों में बाजार हिस्से का खोना वास्तव में घरेलू बाजार में उसके अपनी आयात बिक्री का खोना था। याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में किसी हानि की जांच उसके द्वारा घरेलू बाजार में की गई आयात बिक्री को शामिल करने के बाद की जानी चाहिए। किसी प्रकार याचिकाकर्ता के लाभों में हानि घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता द्वारा आयातों की बिक्री से लाभ जोड़ने के बाद ही निर्धारित की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता स्व-अविरत परिस्थितियों के कारण क्षति का दावा नहीं कर सकता।
- तत. याचिकाकर्ता का यह दावा कि घरेलू उद्योग के लिए बने रहने हेतु यह अर्थक्षम नहीं होगा और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है जहां कोई घरेलू उत्पादन नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता एक मात्र उत्पादक हैं, सही नहीं है क्योंकि डीपीएल ने अप्रैल में आईपीए का उत्पादन शुरू किया है। भारत में घरेलू उद्योग बना रहेगा क्योंकि डीपीएल एसिटोन पद्धति का प्रयोग कर उत्पादन कर रहा है जिसे दोनों याचिकाकर्ताओं तथा डीपीएल द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि

- वह सस्ता और उत्पादन का अधिक प्रतिस्पर्धी मार्ग है। दूसरी ओर, चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही बाजार हिस्सा लेने के लिए आयातों में लगा हुआ है, अतः याचिकाकर्ता उत्पादन रोक सकता है और अपना ग्राहक आधार बनाए रखने के लिए आयात बिक्री जारी रख सकता है।
- थथ. याचिकाकर्ता को हुई किसी क्षति की जांच खुद याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आयातों को शामिल करने के बाद की जानी है। अतः याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में हानि की जांच घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता द्वारा की गई आयात बिक्री शामिल करने के बाद की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा लाभ के हिस्से में कोई हानि घरेलू बाजार में याचिकाकर्ता द्वारा आयातों की बिक्री से कमाए गए लाभ को जोड़ने के बाद ही निर्धारित की जानी चाहिए। यदि याचिकाकर्ता अपने आर्थिक मानदंडों में उस आयात बिक्री के शामिल होने के बाद गंभीर क्षति नहीं दर्शाता है तो फिर न तो समान वस्तु के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के निर्धारण और न ही आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
- दद. याचिकाकर्ता खुद ही एक विशेष देश से पाटित आयातों को क्षति की प्रमुख कारण मानते हैं। तदनुसार, दावा किया गया उपाय केवल उस देश से ही आयातों पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और पाटन के कारण क्षति के विरुद्ध समुचित उपाय पाटनरोधी शुल्क लगाना है। तथापि, चूंकि याचिकाकर्ता जानता है कि वह पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग के रूप में अनर्ह हो जाएगा, अतः उसने पाटनरोधी जांच का सहारा लिया है और रक्षोपाय प्राधिकृत अधिकारी में गया है।
- धध. याचिकाकर्ता ने अपने लिखित अनुरोधों में अनुरोध किया है कि "यद्यपि घरेलू उद्योग पूर्व की अवधियों के दौरान पर्याप्त आय अर्जित करता रहा, तथापि घरेलू उद्योग की निवेश पर आय उस अवधि, जनवरी से जून, 2019 में नकारात्मक हुई है" जो यह दर्शाता है कि (i) घरेलू उद्योग 2019 से पूर्व लाभदायक था क्योंकि वह पूर्व की अवधियों के दौरान पर्याप्त आय अर्जित कर रहा था और (ii) कि उसे केवल जनवरी-जून, 2019 के बीच की अवधि में ही गंभीर क्षति हुई है क्योंकि उसकी निवेश पर आय नकारात्मक हुई। यही वह अवधि है जिसके दौरान उसके सामने एमआईडीसी द्वारा कच्चे पानी की आपूर्ति की बंदी और प्रोपिलीन की अनुपलब्धता के कारण उसे असाधारण रूप से संयंत्र बंद करने पड़े। प्राधिकृत अधिकारी का यह जांच करनी चाहिए कि क्या कोविड-19 महामारी तथा संयंत्र की बंदी के कारण वर्तमान जांच के दौरान बदली परिस्थितियों के मद्देनजर गंभीर क्षति और आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क अब भी मौजूद है।
- नन. प्राधिकृत अधिकारी को याचिकाकर्ता से सर्वाधिक हाल के उपलब्ध आंकड़े यह जांच करने के लिए मंगाने चाहिए कि क्या अब वह बेहतर निष्पादन कर रहा है और समान वस्तु के अपने उत्पादन पर उसे क्षति नहीं हो रही है। प्राधिकृत अधिकारी डीपीएल से भी आंकड़े मंगा सकते हैं जिसने भी वर्तमान जांच में भाग लिया है। यदि डीपीएल और याचिकाकर्ता दोनों के संयुक्त आर्थिक मानदंड सर्वाधिक हाल की अवधि में कोई क्षति नहीं दर्शाते तो प्राधिकृत अधिकारी को जांच रद्द करनी चाहिए।
- पप. ऐसिटोन आधारित आईपीए संयंत्र स्थापित करने के केवल बोर्ड संकल्प ठोस समायोजन योजना नहीं हो सकती। चूंकि जांच की शुरुआत से 10 माह से अधिक का समय गुजर गया है और याचिकाकर्ता ने खुद ही नवंबर में उपर्युक्त समायोजना योजना प्रस्तुत की थी, अतः प्राधिकृत अधिकारी को चाहिए कि वे याचिकाकर्ता को कहीं कि नवंबर, 2019 और सितंबर, 2020 के बीच की अवधि के दौरान उसकी समायोजन योजना के निमित्त उसके द्वारा उठाए गए कदम दर्शाएं।
- फफ. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि निचले स्तर के उत्पाद पर कोई कीमत वृद्धि का वास्तविक प्रभाव, यदि वह उसे क्षतिरहित कीमत पर भी बेचता है, नगण्य होने जा रहा है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आंकड़े रद्द किए जाने योग्य हैं क्योंकि प्रथमतः न तो कोई साक्ष्य, जो यह सिद्ध करे कि उपर्युक्त आंकड़े दिए गए हैं, और न ही आंकड़ों का स्रोत उल्लिखित किया गया है। सत्यापनीय साक्ष्य अथवा उसके स्रोत के अभाव में उन्हें न्यायिक रूप से संज्ञान योग्य तथ्यों की वास्तविकता में नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने उस अवधि का भी उल्लेख नहीं किया है जिससे वे आंकड़े संबंधित हैं और सामान्यतः "सर्वाधिक हाल की अवधि" के रूप में उसका दावा किया है। अतः यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि उपर्युक्त आंकड़े 2019 अथवा 2020 से संबंधित हैं।
- बब. जब तक याचिकाकर्ता मार्च, 2020 के बाद के लिए आईपीए की खपत के अनुपात के संबंध में दावे के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराता, तब तक उसे रद्द किया जाना चाहिए।
- भभ. यह मानते हुए कि यह याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकृत स्थिति है कि भारी खपत फार्मास्युटिकल क्षेत्र में है, अतः मात्रात्मक प्रतिबंध, जिनसे अनिवार्य जीवनरक्षक औषधियों के उत्पादन रुकने की संभावना है, लगाने से केवल भारत पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अन्य देशों पर भी पड़ेगा, जो वर्तमान महामारी के दौरान भारत से दवाईयों के निर्यातों पर निर्भर हैं जहां कि विश्व स्वास्थ्य संबंधी संकट का सामना कर रहा है।

- मम. आपूर्ति रोकने से याचिकाकर्ता अपनी कीमतें एनआईपी से अधिक बढ़ाएगा। यदि मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो प्रयोक्ता वर्तमान महामारी के कारण बढ़ी हुई भारतीय मांग के मद्देनजर उसके द्वारा लगाई गई अनुपयुक्त उच्च कीमतों के बावजूद याचिकाकर्ता से आईपीए लेने के लिए मजबूर होंगे।
- यय. यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसे उत्पादन शुरू करने के लिए चार वर्षों की आवश्यकता है, तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए कोई उपाय नहीं लगाया जाना चाहिए क्योंकि जांच की शुरुआत से 10 माह से अधिक का समय गुजर गया है जिसे याचिकाकर्ता ने अपनी समायोजन योजना कार्यान्वित करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए था।
- ककक. डीपीएल ने उल्लेख नहीं किया है कि उसे आईपीए के आयातों के कारण गंभीर क्षति हो रही है और न ही उससे खतरे का दावा किया है। यह इसलिए है क्योंकि डीपीएल ने एसिटोन आधारित संयंत्र की स्थापना की है। यह स्पष्ट है कि वे प्रतिस्पर्धी हैं और इसीलिए उन्हें गंभीर क्षति नहीं हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि डीपीएल और याचिकाकर्ता का इरादा कोविड-19 के कारण मांग में उछाल का लाभ लेने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगाकर लाभप्रद होने का है।
- खखख. अप्रत्याशित परिस्थितियों के संबंध में, डीपीएल ने अपने उन दावों के समर्थन में कोई सामग्री नहीं दी है और न ही उस सूचना के स्रोत के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया है जिसके आधार पर उसने उन परिस्थितियों की मौजूदगी का दावा किया है। अतः डीपीएल द्वारा किए गए दावे केवल अनुमानों के दायरे में हैं और किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं।
- गगग. एसिटोन के उत्पादन में वृद्धि के आरोप, जिसकी अधिक आपूर्ति हुई और परिणामस्वरूप आईपीए में कीमतों में कटौती हुई, 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित हैं। चूंकि आईपीए संयंत्र को शुरू करने में चार वर्ष लगते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है, अतः यह तथ्य कि प्रोपिलीन आधारित पद्धति मंहंगी थी, स्पष्ट रूप से डीपीएल द्वारा अप्रत्याशित परिस्थितियों होने से पूर्व, जिसकी शिकायत बहुत बाद की तारीख में हुई थी, पूर्वानुमानित थी।
- घघघ. चूंकि डीपीएल ने खुद ही दावा किया है कि वह अप्रैल, 2021 तक अपनी क्षमता का और विस्तार करेगा तथा किसी गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे के अभाव में डीपीएल रक्षोपायों के संरक्षण की मांग करने के लिए पात्र नहीं है।
- ङङङ. डीपीएल का यह दावा कि आईपीए हैंड सैनिटाइजर के लिए एक अधिमान्य इनपुट नहीं रह गया है, रिकॉर्ड में उपलब्ध किसी तथ्य अथवा साक्ष्य पर आधारित नहीं है और अनुमानों के दायरे में है। जहां तक डीपीएल के इस तर्क का संबंध है कि आईपीए को अनिवार्य वस्तुओं की सूची से अलग कर दिया गया है, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता कम हो गई और कीमतें बढ़ गई, अतः उन्हें "विक्री और उन मर्दों की उपलब्धता सुकर बनाने" के लिए और "सटोरियों आदि तथा अधिक कीमत/कालाबाजारी आदि में लगे लोगों के विरुद्ध प्रचालन करने के लिए", जिससे उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा अनिवार्य वस्तुओं के रूप में उन्हें शामिल किए जाने के संबंध में जारी विवरण के अनुसार "उपयुक्त कीमतों पर अथवा एमआरपी के तहत आम जनता को दोनों मर्दों की उपलब्धता बढ़ेगी", के लिए अनिवार्य वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया था। भारत सरकार आईपीए को अनिवार्य वस्तुओं की सूची में शामिल करने के लिए मजबूर थी क्योंकि "हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माण में प्रयुक्त एल्कोहॉल की कीमतें उस एल्कोहॉल के उत्पादकों द्वारा अत्यधिक बढ़ाई गई हैं" ताकि इससे "उनके उत्पादों की कीमतें उपयुक्त दर पर और आम जनता की पहुँच के भीतर रखने के लिए हैंड सैनिटाइजर के विनिर्माताओं को मदद मिले"। भारत सरकार ने खुद ही यह पाया कि आईपीए की कीमतें उस एल्कोहॉल के उत्पादकों द्वारा अत्यधिक बढ़ाई गई थीं जिससे वह उसे अनिवार्य वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए मजबूर हुई।
- चचच. यह तथ्य कि आईपीए को घोषित करने के आदेश में वही अंतिम तारीख थी जो इस विवरण के साथ हैंड सैनिटाइजर के लिए थी कि इससे सरकार उपयुक्त कीमतों पर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, यह दर्शाता है कि भारत सरकार ने उसे विनियमित करने की मांग तब तक की, जब तक आपूर्ति मांग के अनुरूप हो।
- छछछ. चूंकि आईपीए पर मात्रात्मक प्रतिबंध पिछले तीन प्रतिनिधिकारक वर्षों में आयात के औसत के आधार पर लगाए जाएंगे, अतः कोविड-19 के कारण बढ़ी हुई मांग के विरुद्ध आपूर्ति में कमी आएगी। चूंकि याचिकाकर्ता भारत में विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा आयातक भी है और इसीलिए भारत में आईपीए की अधिकतर आपूर्ति पर नियंत्रण करता है, अतः आईपीए की उपलब्धता सीमित करने से याचिकाकर्ता कीमतें अपने हिसाब से बना पाएगा और पुनः उन्हें ऊपरी स्तरों तक बढ़ा पाएगा, जैसा कि उसने मार्च, 2020 में किया क्योंकि आईपीए अनिवार्य वस्तुओं की सूची में नहीं रहा। परिणामस्वरूप, इससे आईपीए से विनिर्मित सैनिटेशन उत्पादों की लागत बढ़ेगी।
- जजज. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक है। तथापि, दीपक फेनोलिक्स लिमिटेड ने अप्रैल, 2020 में समान वस्तु का उत्पादन शुरू किया है।
- झझझ. याचिकाकर्ता भारत में आईपीए का सबसे बड़ा आयातक है और याचिकाकर्ता को हुई क्षति स्व-प्रभावित है।

- अजज. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह आईपीए का आयात अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखने, घरेलू बाजार में अपना अधिक बाजार हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए करता है।
- टटट. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयात इसलिए किए गए थे क्योंकि उसे अपने ग्राहकों को बनाए रखना था। तथापि, याचिकाकर्ता पिछले पांच वर्षों से काफी मात्राओं में आयात करता रहा है।
- ठठठ. जांच की शुरुआत की अधिसूचना में यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता ने आईपी का आयात किया जिसका अर्थ है कि या तो याचिकाकर्ता ने यह तथ्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रकट नहीं किया अथवा यह कि प्राधिकृत अधिकारी अपनी जांच की शुरुआत की अधिसूचना में इसे प्रकट करने में विफल रहे।
- डडड. मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने से याचिकाकर्ता के बाजार पर नियंत्रण करने का वास्तविक इरादे को और सहारा देगा।
- ढढढ. याचिकाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उसे अन्य कारकों के कारण क्षति हुई है, यथा – (क) घोलकों की कीमतों में गिरावट, (ख) यूएसए की असंगत नीतियां, (ग) चीन से आईपीए का पाटन, और (घ) उर्वरक उद्योग में समग्र मंदी। अपीलीय निकाय द्वारा नोट किए गए अनुसार, बड़े हुए आयातों और हुई क्षति के बीच संपर्क होना चाहिए।
- णणण. याचिकाकर्ता ने दावा की गई मंदी का सार्थक सार प्रस्तुत नहीं किया है, तथापि याचिकाकर्ता की तिमाही रिपोर्ट यह बताती है कि उसे कच्ची सामग्री और पानी की अनुपलब्धता के कारण बंदी करनी पड़ी जो यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा झूठा है।
- ततत. याचिकाकर्ता ने अप्रत्याशित घटनाओं की मौजूदगी नहीं दर्शाई है, यथा:
- क) उसने यह नहीं दर्शाया है कि वार्ता के समय क्या-क्या परिस्थितियां अथवा घटनाएं मौजूद थीं जिससे 22 अक्तूबर, 1951 को अपनाए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि हुई, जैसा कि डोमिनिसियन रिपब्लिक – रक्षोपाय और अर्जेन्टीना- फुटवियर (ईसी), कोरिया – डेयरी और यूएस – फर फेल्ड हैट्स में अपीलीय निकाय में पैनल रिपोर्ट में अपेक्षित है।
- ख) याचिकाकर्ता ने चीनी कंपनी द्वारा जेनरिक वस्तु पर विश्वास किया है जिसकी विश्वसनीयता अज्ञात है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने समाचार लेखों पर विश्वास किया है।
- ग) प्रमुख इनपुट की कीमतों में परिवर्तन को अप्रत्याशित घटना नहीं कहा जा सकता।
- घ) एसिटोन के वैश्विक अधिशेष का अर्थ आईपीए का वैश्विक अधिशेष नहीं है। चूंकि एसिटोन का प्रयोग विभिन्न रसायनों में किया जाता है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पूरे अधिक एसिटोन का प्रयोग आईपीए के निर्माण में किया जाएगा और फिर यह आईपीए भारत को निर्यात किया जाएगा।
- ङ) यह अप्रत्याशित घटना नहीं है कि विश्व अधिक दक्ष प्रौद्योगिकी में चला गया। इस प्रकार, प्रोपिलीन आधारित संयंत्र की अप्रतिस्पर्धात्मकता को अप्रत्याशित घटना नहीं कहा जा सकता।
- च) जैसा कि पैनल द्वारा अर्जेन्टीन – प्रीजर्ड पीचेस के आयातों पर निश्चयात्मक रक्षोपाय में नोट किया गया है, याचिकाकर्ता को यह दर्शाना चाहिए कि एसिटोन आधारित पद्धति प्रोपिलीन आधारित पद्धति से सस्ती होना उस समय नहीं देखा गया था जब भारत ने जीएटीडी के तहत अपने दायित्व निभाए।
- थथथ. याचिकाकर्ता ने यह नहीं दर्शाया है कि आयातों में वृद्धि जीएटीडी के तहत किए गए दायित्वों का प्रभाव है।
- ददद. जांच की शुरुआत कानून में गलत है क्योंकि याचिकाकर्ता ने आधारभूत साक्ष्य नहीं दिए हैं अर्थात् अप्रत्याशित घटनाओं की मौजूदगी और दायित्वों का प्रभाव जिनके परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई, समुचित समायोजन, यह उल्लेख करते हुए प्रगामी उदारीकरण के ब्यौरे कि क्या आवेदन पत्र रक्षोपाय प्राधिकृत अधिकारी को भी प्रस्तुत किया गया है, उन कारकों के लिए सूचना जिनके कारण आयातों में वृद्धि हो रही है, यथा – खुद याचिकाकर्ता द्वारा आयात, आयात पृथक्करण पद्धति, सर्वाधिक हाल की अवधि – जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक के लिए आंकड़े, और याचिकाकर्ता ने आयातकों की सूची में स्वयं का उल्लेख नहीं किया है।
- धधध. जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया एवं अन्य बनाम अनंत साहा एवं अन्य में माना गया है, यदि जांच की शुरुआत कानून के अनुरूप नहीं है तो बाद की कार्यवाहियां उसे दोषमुक्त नहीं करेंगी।
- ननन. यद्यपि आयात की कीमतें पिछले चार वर्षों में बढ़ी हैं, तथापि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में सतत गिरावट आई है जो कारणात्मक संपर्क के अभाव का उल्लेख करती है।
- पपप. आयात कीमतों ने याचिकाकर्ता को उसकी कीमत बढ़ाने से प्रतिबंधित नहीं किया क्योंकि पहुँच कीमत में वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि से अधिक है।

- फफफ. याचिकाकर्ता की बिक्री लागत में वृद्धि प्रोपिलीन मार्ग के माध्यम से आईपीए पर उत्पादन पर आधारित अदक्ष प्रौद्योगिकी के कारण है।
- बबब. बेयर एलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न, 400 सीरीज के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोलड फ्लैट उत्पाद, अनरॉट एल्युमीनियम के नॉट अलॉयड इंगट के संबंध में रक्षोपाय जांच में क्षति और कारणात्मक संपर्क के अभाव के कारण उपायों की सिफारिश नहीं की गई थी।
- भभभ. मात्रात्मक उपाय लगाने से याचिकाकर्ता को बिना किसी महत्वपूर्ण लाभ के निचले स्तर के बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो स्वीकार्य रूप से अदक्ष है। आईपीए के कई प्रयोग हैं और उन विभिन्न फार्मास्युटिकल उत्पादों में प्रमुख इनपुट है जिसे नुकसान होगा क्योंकि भारत में क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह आयात प्रतिस्पर्धा को मोड़ने की एक कला है और याचिकाकर्ता को विस्तार करने के लिए अधिक अवधि लेते हुए अपनी कीमतें और मार्जिन बढ़ाने में सक्षम करता है।
- ममम. चूंकि देश में मांग-आपूर्ति अंतराल है, अतः घरेलू विकल्पों के अभाव में मात्रात्मक प्रतिबंध आईपीए के उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक होंगे।
- ययय. यदि आईपीए पर मात्रात्मक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं तो हाल ही में मोनो आइसोप्रोपिल अमीन्स के आयातों के विरुद्ध लगाया गया पाटनरोधी शुल्क बेकार हो जाएगा क्योंकि प्रमुख कच्ची सामग्री प्रतिबंधित हो जाएगी और बड़ी हुई कीमतों पर उपलब्ध होगी।
- कककक. अदक्ष उत्पादक होने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने समुचित समायोजना योजना उपलब्ध नहीं कराई है और केवल अस्पष्ट तथा जेनरिक विवरण दिए हैं। हाइड्रेसिटी फाइबर बोर्ड के आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच में प्राधिकृत अधिकारी ने उपयुक्त समायोजन योजना के अभाव के कारण जांच रद्द की।
- खखखख. समायोजन योजना के अभाव में मात्रात्मक प्रतिबंध की मात्रा को घरेलू उद्योग द्वारा किए जाने वाले समायोजन के अपेक्षित स्तर से जोड़ना असंभव है।
- गगगग. प्रतिबंधों के शेष स्तर के संबंध में आयातों की मॉनीटरिंग करने और आयातक को वास्तविक समय अपडेट देने के लिए समुचित मशीनरी नहीं है। ऐसी स्थिति में, यदि भारत में कोटा प्रतिबंधों के कारण सामान मंजूर नहीं किए जाते हैं तो केवल एक संसाधन उन्हें नष्ट करना होगा। इस संबंध में, आवंटित कोटा का पता लगाने के प्रयोजन के लिए यूरोपीय संघ में यूरोपीय आयोग तथा यूएस में कस्टम एंड बॉर्डर पेट्रोल द्वारा स्थापित आयात मॉनीटरिंग प्रणालियों का संदर्भ लिया जा सकता है।
- घघघघ. प्राधिकृत अधिकारी को प्रवृत्तियों की जांच के लिए सर्वाधिक हाल के आंकड़ों पर विचार करना चाहिए। जांच की शुरुआत से स्थिति कोविड-19 के कारण परिवर्तित हुई है और आईपीए के लिए मांग तथा उसकी कीमतों में वृद्धि हुई है।
- ङङङङ. याचिकाकर्ता ने (क) संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा, (ख) संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का अनुमोदन, (ग) संयंत्र बंदी के व्यौरों, (घ) डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों, (ङ) समायोजन योजना, (च) कुल बिक्री के वास्तविक आंकड़े, यहां तक कि जब वे वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। वास्तविक नियोजित पूंजी, मांग, मालसूची स्तर और क्षमता उपयोग के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- चचचच. घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि विश्व व्यापार संगठन के दायित्वों के अनुसरण में सीमा शुल्क दर में कटौती ऐसी परिस्थितियों में आयातों में वृद्धि के पीछे कारण है जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो सकती है। हालांकि, उक्त विवरण के बावजूद, घरेलू उद्योग यह दर्शाने में असफल रहा है कि अनुसूची 1 में यथाउल्लिखित सीमा शुल्क में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के प्रभावी शुल्क दर तक दिनांक 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा शुल्क और उसके बाद दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017 – सीमा शुल्क में कटौती गैट के अंतर्गत भारत द्वारा लिये गये दायित्वों के परिणाम के रूप में था।

XIII. ट्राइडेंट ग्रुप (तमील) द्वारा अनुरोध

- क. आवेदक खुद प्रमुख उत्पादक हैं और उन्होंने बड़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आयात किया था क्योंकि स्थानीय क्षमता अपर्याप्त थी। घरेलू उत्पादन 100 प्रतिशत से अधिक पर पिछले सात वर्षों से स्थिर था और आयात ही आईपीए की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एकमात्र रास्ता था।
- ख. आवेदक आयातित कीमतें कम कर रहा है और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अपने सह-विनिर्माताओं के साथ कार्य कर रहा है। आवेदक ने बाजार प्रभावों को निकट से नियंत्रित करने के लिए कोरियाई विनिर्माता और एक सिंगापुर के विनिर्माता के साथ मिलकर कार्य किया था। वस्तुतः आवेदक का चीनी आईपीए का आयात करने के लिए पश्चिमी तट से

भी संपर्क था। आयातों की कीमतें फ्लोटिंग आधार पर निर्धारित की जाती हैं जो अधिकतर आवेदक द्वारा किए गए सौदों पर और आवेदक द्वारा निर्धारित घरेलू कीमतों पर आधारित होती हैं और कोई भी कम कीमत आवेदक के सौदे और निरंतर बढ़ते हुए बाजार में आवेदक द्वारा घोषित की गई घरेलू कीमत को ही दर्शाती है।

- ग. आवेदक प्रभावी व्यापारी और एक प्रमुख आयातक है। क्षमताएं बढ़ाने में अक्षमता बढ़ते हुए बाजार में घटते हुए बाजार हिस्से का कारण रहीं। आवेदक 2012 में 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग तक पहुँच गया था और अब तक नई क्षमता अभिवृद्धियाँ नहीं हुई हैं। अतः बाजार हिस्सा खोने का आरोप किसी अन्य पर नहीं लगाया जा सकता।
- घ. आवेदक प्रभावी व्यापारी है और इसीलिए ऐसे परिदृश्य का कारण है। उत्पादन आवेदकों द्वारा घोषित किए गए अनुसार आयातों को छोड़कर अन्य मुद्दों के कारण कम है। आवेदक द्वारा आयातित मात्रा काफी अधिक बढ़ी है और इसीलिए कुल आयातों में वृद्धि बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए ही है।
- ङ. आवेदक द्वारा घोषित किए गए अनुसार उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक "पानी के मुद्दे, एकबारगी तकनीकी मुद्दा, एमआईडीसी द्वारा कच्ची पानी की आपूर्ति बंद करना" थे।
- च. आवेदकों की कठिनाईयों के लिए कीमत संबंधी सूचना कारण है। तथापि, वस्तुओं का चक्रीय प्रकृति बाजार स्थल में कार्य कर रही है। जैसा कि हम कहते हैं कि प्रोपिलीन मार्ग एसिटोन मार्ग से सस्ता है और इसीलिए मात्रात्मक प्रतिबंध के लिए आवेदक की अपील अनावश्यक है।
- छ. आईपीए के लिए वैश्विक रूप से नई क्षमताएं 2011 से एसिटोन पर आधारित रहीं और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि आवेदक धमका रहा है और उसने 2017 में प्रोपिलीन आधारित क्षमताओं की योजना बनाई थी। अब मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए आवेदन पत्र के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने एसिटोन मार्ग से क्षमता अभिवृद्धि घोषित की है। तथापि, एसिटोन मार्ग से पहले ही क्षमता वृद्धि की योजना बनाई गई थी और दीपक नाइट्रेट द्वारा भारत में लागू की गई थी। आवेदक 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग तक पहुँचने से पिछले कई वर्षों से क्षमता अभिवृद्धियों के संबंध में गंभीर नहीं था।
- ज. आवेदक की हानि प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और मंहंगे फीड स्टॉक के प्रयोग के कारण है, न कि बड़े हुए आयातों से संबंधित किसी अन्य कारक के कारण। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए ही आयातों में वृद्धि है और आवेदक खुद ही एक प्रमुख आयातक रहा और शिकायत करने का और कोई कारण नहीं होना चाहिए। अकादमिक हित की दृष्टि से एसिटोन उत्पादक ने चीन को एसिटोन का निर्यात किया था और चीन में एसिटोन की कीमतें भारत में एसिटोन की कीमतों से अधिक हैं। यह केवल यह दर्शाता है कि भारत में फीड स्टॉक एसिटोन की कीमत चीन में उसकी कीमत से सस्ती है।

XIV. अरबिंदो फार्मा लिमिटेड जिसका प्रतिनिधित्व ईएलपी ने किया

33. विचाराधीन उत्पाद के एक आयातक के रूप में अरबिंदो फार्मा लिमिटेड ने अपने प्राथमिक अनुरोधों और सुनवाई के बाद तर्कों में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. याचिकाकर्ता आईपीए का सबसे बड़ा आयातक है और उसने यह तथ्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रकट नहीं किया है। गोपनीयता के विवरण के खंड 35 में "लागू नहीं" लिखकर और ज्ञात आयातकों की सूची में अपना नाम न देकर यह तथ्य छिपाया गया है।
- ख. यह जांच रक्षोपाय मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली ("रक्षोपाय क्यूआर नियमावली") के नियम 5(3) की अपेक्षा के अनुसार दावों और साक्ष्यों की परिशुद्धता और पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिना किसी सत्यापन के शुरू की गई है।
- ग. घरेलू उत्पादक एवं आयातक भारत में विचाराधीन उत्पाद का सबसे बड़ा आयातक है। प्राधिकृत अधिकारी इन आयातों के संबंध में घरेलू उत्पादक एवं आयातक से कोई प्रश्न उठाने में विफल रहे हैं और इसीलिए जांच की शुरुआत में रक्षोपाय क्यूआर नियमावली के नियम 5(3) का उल्लंघन है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।
- घ. घरेलू उत्पादक एवं आयातक ने याचिका में विचाराधीन उत्पाद के अपने आयातों के संबंध में जानबूझकर सूचना छिपाई है।
- ङ. घरेलू उत्पादक, जो खुद ही उत्पाद का सबसे बड़ा आयातक है, को रक्षोपाय कार्रवाई लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये आयात, आयातों में वृद्धि और क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क तोड़ते हैं। इसकी अनुमति देने से घरेलू उद्योग प्रणाली का दुरुपयोग करेगा।

- च. वर्तमान जांच जो गलत प्रस्तुति और घरेलू उत्पादक एवं आयातक द्वारा तथ्य छिपाए जाने पर आधारित है, आगे रद्द की जानी चाहिए।
- छ. घरेलू उत्पादक एवं आयातक का उसके अपने आयातों के संबंध में स्पष्टीकरण पूरा बनावटी है और स्वीकार नहीं किया जा सकता। बाजार आसूचना के अनुसार घरेलू उत्पादक एवं आयातक ट्रेडिंग प्रयोजनों के लिए 2012 से उत्पाद का आयात करता रहा है और वह खतरनाक स्थिति का परिणाम नहीं है क्योंकि घरेलू उत्पादक एवं आयातक ने प्रदर्शन की मांग की है।
- ज. घरेलू उत्पादक एवं आयातक की वार्षिक रिपोर्टों में अपनी स्वीकृति से आईपीए में उसका ट्रेडिंग व्यापार आईपीए की आपूर्ति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरी तरह एक नीतिगत पहल है।
- झ. घरेलू उत्पादक एवं आयातक के कम से कम 2 प्रमुख विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ विशिष्ट आयात व्यवस्थाएं हैं। घरेलू उत्पादक एवं आयातक आयातों पर और मात्रात्मक प्रतिबंधों की मांग कर रहा है ताकि वह भारतीय बाजार में आईपीए की आपूर्ति को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर सके और प्रतिस्पर्धा समाप्त कर सके।
- ञ. याचिकाकर्ता रक्षोपाय क्यूआर नियमावली में परिशिष्ट में दिए गए प्रपत्र में निर्धारित प्रपत्र का पालन करने में विफल रहा है।
- ट. प्राधिकृत अधिकारी ने सर्वाधिक हाल की अवधि के रूप में जनवरी, 2019 से जून, 2019 को चुना है। तथापि, घरेलू उत्पादक एवं आयातक ने उस अवधि के लिए कोई अद्यतन आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं।
- ठ. जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 तक के आयात आंकड़े वित्तीय वर्ष 2018-19 के आयात आंकड़ों के बराबर हैं। यह स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और इस त्रुटि से पूरी क्षति तालिका प्रभावित हो सकती है।
- ड. घरेलू उत्पादक एवं आयातक ने "अप्रत्याशित परिस्थितियों" की मौजूदगी के दावों पर विश्वास की गई सभी रिपोर्टों को गोपनीय होने का दावा किया है।
- ढ. घरेलू उत्पादक एवं आयातक ने आरोपित "आयातों में उछाल" में अपने आयातों के हिस्से के लिए कोई समायोजन करने का प्रयास न करते हुए आरोपित "आयातों में उछाल" की स्थिति गलत प्रस्तुत की है।
- ण. भारत में आईपीए के आयातों की मात्रा का कोई निर्धारण देश में आयातों की सही स्थिति निर्धारित करने के लिए आवश्यक रूप से घरेलू उत्पादक एवं आयातक द्वारा किए गए आयात हैं जो क्षति की अवधि में विभिन्न भागों में 35 प्रतिशत की रेंज से 50 प्रतिशत ऊपर तक हैं।
- त. इनको ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि आयातों में कोई तेज, अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं है।
- थ. कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव प्रकृति में चक्रीय है और उसे अप्रत्याशित घटना नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रोपिलीन की वर्तमान कीमतें एसिटोन से काफी कम हैं और इसीलिए घरेलू उत्पादक एवं आयातक द्वारा आरोप लगाई गई परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं।
- द. एक अकेले देश (चीन) में संयंत्र बंदी के कारण संभावित आयात प्रतिस्थापन के आधार पर रक्षोपाय नहीं लगाए जा सकते, यदि घरेलू उत्पादक एवं आयातक चीन से आयातों के कारण असंतुष्ट हैं तो चीन के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क के लिए उनकी शिकायत भेजना अधिक उपयुक्त होगा, न कि रक्षोपायों के लिए आवेदन करना।
- ध. दीपक फेनोलिक्स का यह तर्क कि उसे नए संयंत्र की स्थापना के कारण अधिक लागत लग रही है, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका रक्षोपाय से कोई संबंध नहीं है, जो कि एक आपातकालीन कार्रवाई है, न कि संरक्षण के लिए एक अस्त्र।
- न. घरेलू उत्पादक एवं आयातक यह दावा नहीं कर सकता कि उसे बड़े हुए आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है क्योंकि वह ट्रेडिंग प्रयोजनों के लिए विचाराधीन उत्पाद का आयात करता रहा है। अतः कोई आरोपित क्षति स्वप्रभावित है।
- प. यदि प्राधिकृत अधिकारी क्षति संबंधी मानदंडों के संबंध में कोई विश्लेषण करना आवश्यक समझते हैं तो उन्हें वर्तमान स्थिति में स्वयं घरेलू उत्पादक एवं आयातक द्वारा किए गए आयातों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए और आयातों की उस मात्रा से उन आयातों को अलग करना चाहिए जिन पर अंतिम रूप से उसके विश्लेषण में विचार किया जाता है और साथ ही कीमत संबंधी क्षति का निर्धारण करते समय उन आयातों के प्रभावों को भी अलग करना चाहिए।
- फ. घरेलू उत्पादक एवं आयातक का निष्पादन आयातों को छोड़कर कच्ची सामग्री की कीमतों में वृद्धि, आपूर्तिकर्ता के स्तर पर वार्षिक खर-खाव की बंदी से संचालित प्रोपिलीन की अनुपलब्धता, आईपीए संयंत्र की बंदी, एमआईडीसी द्वारा

- कच्चे पानी की आपूर्ति की बंदी सहित अन्य कारकों से प्रभावित हुई है जिनका ब्यौरा उनकी वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।
- ब. कच्ची सामग्री की कीमतों में उतार-चढ़ाव एक सामान्य घटना है न कि अप्रत्याशित परिस्थिति।
- भ. आवेदक की समायोजन योजना झूठे आधार पर आधारित है कि एसिटोन आधारित विनिर्माण प्रोपिलीन मार्ग से 30 प्रतिशत सस्ता है और इसीलिए अर्थक्षम नहीं कहा जा सकता।
- म. घरेलू उत्पादक एवं आयातक 2017 से क्षमता विस्तार की बात करता आ रहा है, परंतु यह आज की तारीख तक उपलब्ध नहीं हुआ है। अतः घरेलू उत्पादक एवं आयातक की उस स्तर तक क्षमता बढ़ाने की क्षमता, जो देश में आईपीए की मांग के अनुरूप है, संदिग्ध है।
- य. मात्रात्मक प्रतिबंध लगाना जनहित और प्रयोक्ता उद्योग के हितों तथा भारत में आम जनता के हितों के विरुद्ध होगा।
- कक. वर्तमान वर्ष में 200,000 मी. टन से अधिक के विरुद्ध 70,000 मी. टन की मांग एवं आपूर्ति में अंतराल के कारण आयात आवश्यक हो गए हैं। घरेलू उत्पादक एवं आयातक ने खुद ही कई अवसरों पर आयातों की आवश्यकता स्वीकार की है।
- खख. भारत में महत्वपूर्ण प्रमुख आरंभिक सामग्री (केएसएम)/औसत मध्यवर्ती (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारत सरकार द्वारा 20 मार्च, 2020 को मंजूर की गई है। इस योजना के परिणामस्वरूप, निवेश में वृद्धि है और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नई कंपनियों की आशा है। तदनुसार, आईपीए की मांग भी काफी बढ़ेगी। ऐसी परिस्थितियों में मात्रात्मक प्रतिबंध लगाना इन परियोजनाओं और विद्यमान प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रमुख बाधा होगी।
- गग. आईपीए हैंड सैनिटाइजर के उत्पादन में एक प्रमुख घटक है। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप हैंड सैनिटाइजर में प्रयोग के लिए आईपीए की भारतीय मांग लगभग 200,000 मी. टन प्रति वर्ष पर आईपीए की विद्यमान मांग के अलावा 40,000-60,000 मी. टन प्रति वर्ष के बीच कहीं भी बढ़ने की उम्मीद है। मांग में यह वृद्धि भारत में विद्यमान क्षमताओं से पूरी नहीं की जा सकती, उसके लिए आयातों की आवश्यकता होती है।
- घघ. भारत में आईपीए के 80 प्रतिशत का प्रयोग उन जेनरिक औषधियों के उत्पादन के लिए व्यापक रूप से फार्मास्युटिकल उद्योग द्वारा किया जाता है जो अत्यधिक कीमत संवेदी हैं। आईपीए इन औषधियों की उत्पादन लागत में लगभग 7-10 प्रतिशत का योगदान करता है। आईपीए की कीमतों में वर्तमान वृद्धियों के आलोक में यह योगदान अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। यदि इन कीमत वृद्धियों के शीर्ष पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो इससे आईपीए की खरीद करना कठिन तथा महंगा होगा जिससे घरेलू जेनरिक औषध उत्पादकों की लागत प्रभावकारिता और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता तथा वैश्विक बाजार में हिस्सा प्रभावित होगा। मात्रात्मक प्रतिबंध कीमत को ही प्रभावित नहीं करेंगे बल्कि कमी भी पैदा करेंगे।
- ङङ. घरेलू उत्पादक एवं आयातक का यह दावा कि फार्मास्युटिकल उद्योग फार्मास्युटिकल उत्पाद के आईपीए प्रति किलोग्राम के केवल 0.34 प्रतिशत का ही प्रयोग करता है, पूर्णतः आधारहीन है और वह किसी वैध स्रोत से सिद्ध नहीं है। फार्मास्युटिकल उत्पाद के उत्पादन में आईपीए अथवा किसी घटक की खपत पूर्णतः उत्पादन "प्रक्रिया" और "विधि" पर आधारित है जो एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद में अलग-अलग होती है। इसकी रेंज आईपीए प्रति उत्पाद की 1 प्रतिशत से 25 प्रतिशत (अथवा अधिक) खपत तक कहीं भी हो सकती है और इसे सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता।
- चच. फार्मास्युटिकल उद्योग प्रमुख निर्यात एवं विदेशी मुद्रा अर्जक उद्योग है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारी औषधियों और औषध निर्माणों का निर्यातों में 62,245 करोड़ भारतीय रुपये का हिस्सा था। इसके विपरीत आईपीए की बिक्री से घरेलू उत्पादक एवं आयातक का राजस्व कुल निर्यात बिक्री का 1 प्रतिशत से कम (अर्थात् 0.65 प्रतिशत) है जो यदि मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो प्रभावित होगा।
- छछ. फार्मास्युटिकल क्षेत्र ने लगभग 2.86 मिलियन लोगों को रोजगार दिया है जिनकी आजीविका प्रभावित होगी।
- जज. वहन करने योग्य औषधियों की पहुँच आम जनता के हित में स्पष्ट है और विशेष रूप से वर्तमान महामारी की स्थिति में। अतः मात्रात्मक प्रतिबंध जनहित के विरुद्ध होगा।
- झझ. घरेलू उत्पादक सह-आयातकों ने अमेरिका – चीन व्यापार युद्ध और अप्रत्याशित घटनाक्रमों में से एक घटनाक्रम के रूप में घरेलू चीनी विनियमों के परिणाम के रूप में चीन में अत्यधिक क्षमता और आपूर्ति की पहचान की है। आयातक इस बात पर बल देंगे कि घरेलू उत्पादक सह-आयातक ने केवल चीन में और न कि अन्य देशों में कथित अत्यधिक क्षमताओं का साक्ष्य उपलब्ध कराया है। रक्षोपाय शुल्क किसी एक मात्र देश में अत्यधिक क्षमताओं के कारण संभावित आयात प्रतिस्थापन के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है।

- जज यदि प्राधिकृत अधिकारी अभी भी आगे जांच करने के लिए इसे आवश्यक मानते हैं तब यह अनुरोध किया जाता है कि इसे घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति पर घरेलू उत्पादक सह-आयातक द्वारा अपने आप किये गये आयातों पर किसी कथित क्षति जो इसे हो रही है, के एक अंशदाई कारक के रूप में अवश्य विचार करना चाहिए तथा इस प्रकार के आयातों को आयातों की मात्रा जिस पर अंतिम रूप से अपने विश्लेषण में विचार किया गया है तथा कीमत में क्षति का आकलन करते समय ऐसे आयातों के प्रभावों को बाहर रखा जाना चाहिए।
- टट घरेलू उत्पादक – सह आयातक के उत्पादन की लागत के संबंध में, जबकि घरेलू उत्पादक – सह आयातक ने जांच की अवधि के लिए उत्पादन की अपनी लागत में सतत वृद्धि दर्शाते हुए सूचना प्रस्तुत की है। आयातक यह अनुरोध करते हैं कि उसके लिए आयातों में वृद्धि को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, घरेलू उत्पादक सह-आयातक कच्चे माल जिसके लिए इसे न केवल आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ा है बल्कि जिसकी कीमत भी स्वीकार्य तौर पर अस्थिर रही है, का उपयोग करते हुए उत्पादन की स्वीकार्य तौर पर एक कम लागत प्रभावी पद्धति का उपयोग करते हैं।
- ठठ आयातक यह अनुरोध करते हैं कि घरेलू उत्पादक सह-आयातक ने ऐसे आरोपित “आयातों में अचानक वृद्धि” ने अपने स्वयं के आयातों के हिस्से के लिए कोई समायोजन करने के लिए कोई प्रयास किये बिना कथित “आयातों में अचानक वृद्धि” की स्थिति को फिर से प्रस्तुत किया है।
- डड घरेलू उत्पादक सह-आयातक ने यह कहा है कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के 100 प्रतिशत उत्पादन के लिए संबद्ध वस्तुओं का यह एकमात्र उत्पादक है। हालांकि, चूंकि दीपक फिनोलिक द्वारा आई पी ए संयंत्र का वाणिज्यिकरण आरंभ हो गया। अतः इस प्रकार का कथन अब सही नहीं है।
- ढढ घरेलू उत्पादक सह-आयातक ने आरोप लगाया है कि आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है चाहे घरेलू उद्योग द्वारा किये गये आयात को बाहर रखा जाता है अथवा नहीं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, आयात बढ़ती हुई मांग के कारण तथा घरेलू उत्पादक सह-आयातक द्वारा इस मांग को पूरा करने तथा अपनी क्षमता में वृद्धि करने में असमर्थ होने के कारण आवश्यक हो गया है।

XV. इनियोस सॉल्वेंट्स

34. यद्यपि इनियोस सॉल्वेंट्स ने प्राथमिक अनुरोध दायर किए, तथापि उसने मौखिक सुनवाई में भाग नहीं लिया अथवा उसके बाद कोई अनुरोध दायर नहीं किए। दायर अनुरोधों का सार निम्नलिखित है:

- क. मांग-आपूर्ति अंतराल को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।
- ख. यदि मात्रात्मक प्रतिबंध लागू किए जाते हैं तो वे सामूहिक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए बल्कि वे मूल देश के आधार पर लागू किए जाने चाहिए।
- ग. जर्मनी से आयातों के लिए कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए क्योंकि उनसे घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा नहीं है।

XVI. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड

35. उपर्युक्त आयातक ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और आयातों में उछाल के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क. आईपीए की कीमत और प्रयोग परिशुद्धता और पैकेजिंग पर निर्भर करती है और आयातित सामानों की भिन्न परिशुद्धता और पैकिजग है।
- ख. याचिकाकर्ता केवल बैंजीन मुक्त आईपीए का विनिर्माण करता है और इसीलिएकेवल बैंजीन मुक्त आईपीए के आयातों पर ही विचार किया जाना चाहिए।
- ग. आयातित आईपीए में रिकवर किए गए, रिसाइकिल किए गए और डिस्टिल्ड किए गए भी शामिल हैं जो कि सस्ते हैं।
- घ. याचिकाकर्ता ने अगोपनीय आंकड़े साझा नहीं किए हैं।
- ड. आईपीए की सीआईएफ कीमतें दोगुनी हो गई हैं और स्थानीय कीमतें 2.5 गुना बढ़ गई हैं। आईपीए के लिए मांग में वृद्धि हुई है।

च. फेनोल अथवा एसिटोन के आयातों में कोई उछाल नहीं है, यहां तक कि उनकी कीमतों में गिरावट आई है। इस प्रकार, आईपीए के आयात में उछाल का कोई कारण नहीं है।

छ. याचिकाकर्ता ने आरंभिक तौर पर आईपीए का आयात किया क्योंकि मांग-आपूर्ति अंतराल था और कोविड-19 के कारण कीमत बढ़ रही थी तथा बाद में रक्षोपायों के लिए आवेदन किया।

घ. प्राधिकृत अधिकारी(रक्षोपाय) की जांच और जांच परिणाम

36. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर, मैंने सभी पहलुओं पर चिंताओं की जांच की है और अपना अंतिम जांच परिणाम नीचे दिये गये अनुसार रिकार्ड करता हूं।:

I. लागू कानूनी प्रावधान

37. विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 9क में मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का प्रावधान है यदि इन वस्तुओं का आयात भारत में ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता हो जिससे घरेलू उद्योग को क्षति अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा होता हो।

38. रक्षोपाय शुल्क (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली, 2012 उस तरीके से प्रावधान करने के लिए धारा 9क (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिसूचित किया गया है जिसमें वस्तु, जिसका आयात मात्रात्मक प्रतिबंध के अधीन होगा, की पहचान की जा सकती है और वह तरीका जिसमें ऐसी वस्तुओं के संबंध में गंभीर क्षति के कारण अथवा गंभीर क्षति के खतरे के कारण का निर्धारण किया जाए।

39. यह जांच इस अधिनियम और नियमावली के उक्त प्रावधानों के अनुसार किया गया है और अंतिम जांच परिणाम इस अधिसूचना के द्वारा रिकार्ड किया गया है।

II. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

40. जांच की शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

“संबंधित उत्पाद ”आइसोप्रोपिल एल्कोहल” (आईपीए) है जिसे आइसोप्रोपेनोल के रूप में भी जाना जाता है। आईपीए एक कंपाउंड है जिसका रासायनिक सूत्र सीएच₃सीएचओएचसीएच₃ है और उसका उत्पादन एसिटोन अथवा प्रोपिलीन का उपयोग करते हुए किया जा सकता है। यह एक रंग रहित, ज्वलनशील तरल पदार्थ है और इसका उपयोग अनेक प्रकार के औद्योगिक और घरेलू केमिकल्स, भारी मात्रा में दवाओं और दवा के निर्माण, एंटीलीसेप्टिक्स किटाणु नाशक पदार्थों और डिटर्जेंट्स आदि के उत्पादन में किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में आईपीए का 99.8 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत जल और 0.1 प्रतिशत मिलावट होती है। संबद्ध उत्पादों का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में प्रशुल्क शीर्ष 2905, कोड 2905 12 20 के अधीन किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त एचएस कोड केवल सूचक है और उत्पाद वर्णन सभी परिस्थितियों में लागू होगा।

41. एक आयातक नामतः संदीप आर्गेनिक्स लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि उत्पाद के दायरे में संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि आयात की गई वस्तुओं और घरेलू वस्तुओं की शुद्धता और पैकेजिंग में अंतर है और आईपीए की कीमत और उपयोग ऐसी शुद्धता और पैकेजिंग पर निर्भर करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग केवल बेंजीन मुक्त आईपीए का निर्माण करता है। इसके अलावा आयातक ने यह अनुरोध किया कि आयात की गई वस्तुओं में पुनः प्राप्त किया गया, रिसाइकिल किया गया और डिस्टिल किया गया आईपीए शामिल है, जो अपेक्षाकृत सस्ता है। हालांकि, हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उत्पाद और आयात किए गए उत्पाद के विनिर्देशों, शुद्धता अथवा पैकेजिंग में कोई अंतर नहीं दर्शाया है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आयात किए गए और घरेलू दोनों आईपीए मानक बल्क पैकेजिंग और ड्रम में उपलब्ध है और पैकेजिंग के कारण कोई अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जबकि प्रोपिलीन का उपयोग करते हुए निर्माण किया गया आईपीए बेंजीन मुक्त है, जबकि एसिटोन का उपयोग करते हुए निर्माण किया गया आईपीए बेंजीन मुक्त नहीं है। चूंकि आईपीए आधारित एसिटोन प्रोपिलीन आधारित आईपीए के सदृश्य है, उपयोग किए गए कच्चे माल को छोड़कर, आयात किया गया और घरेलू उत्पाद को इस आधार पर अलग-अलग नहीं माना जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि इस उत्पाद के निर्यातकों अथवा उपभोक्ताओं ने आयात की गई वस्तुओं और घरेलू वस्तुओं के बीच किसी अंतर का दावा नहीं किया है। इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद में संशोधन की आवश्यकता की पुष्टि नहीं की गई है।

42. यह भी दावा किया गया है कि स्पेनिश उत्पादक आईटीडब्ल्यू ने फार्मास्युटिकल ग्रेड का निर्यात किया है, जिसे प्रसाधित किया जाता है और फिर यूरोप को निर्यात किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद यूरोपीय मानदंडों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है और इस प्रकार ऐसे फार्मास्युटिकल ग्रेड के अपवर्जन की आवश्यकता है। हालांकि, घरेलू उद्योग ने यूरोप को फार्मास्युटिकल ग्रेडों का निर्यात दर्शाने के लिए बिक्री बीजक प्रस्तुत किए हैं और यह दर्शाने के लिए अपने आरईएसीएच प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं कि इसके द्वारा उत्पादित आईपीए आरईएसीएच विनियमों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। इस कारण से, इस आधार पर भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है।
43. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकृत अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्पाद के दायरे, जैसाकि जांच की शुरुआत की सूचना में परिभाषित किया गया है, में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।
44. इसके अलावा, रिकॉर्ड पर सूचना के आधार पर, प्राधिकृत अधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, निर्माण की प्रक्रिया, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने उपयोग किया है और इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर वे उपयोग कर रहे हैं। प्राधिकृत अधिकारी यह मानते हैं कि आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद इस नियमावली के नियम 2(ड.) के संदर्भ में संबद्ध देश से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं की समान वस्तु है।

III. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

45. इस अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (4) का उप नियम (ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

“(ख) घरेलू उद्योग का तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादक से है (कृषिगत वस्तुओं के उत्पादकों सहित) –

- (i) समान वस्तुओं के संपूर्ण रूप में अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु; अथवा
- (ii) जिसका समान वस्तु का सामूहिक उत्पादन अथवा भारत में प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होता है;”

46. वर्तमान आवेदन मैसर्स दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमि. (डी एफ पी सी एल) द्वारा 70,200 मी. ट. प्रोपीलीन आधारित आई पी ए की माजूदा क्षमता वाले जांच की अवधि के दौरान भारत ने विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक के रूप में दायर किया गया है। एक अन्य उत्पादक मैसर्स दीपक फिनोलिक लिमि. (डी पी एल) जिसने जांच की अवधि के बाद संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है, ने इस आवेदन का समर्थन किया है। डी पी एल ने 30,000 मी. ट. की ऐसीटॉन आधारित आई पी ए की उत्पादन क्षमता के साथ अप्रैल 2020 में उत्पादन शुरू किया है जिसका विस्तार 2021 के दौरान 30,000 मी. ट. की एक अन्य ऐसीटॉन आधारित ठोस क्षमतावर्धन के द्वारा विस्तार किया गया है (आई सी आई एस – एल ओ आर रिपोर्ट के अनुसार), और उसके कारण डी पी एल की कुल क्षमता 60,000 मी. ट. हो गई है। उक्त आई सी आई एस – एल ओ आर रिपोर्ट का संगत उद्धरण घरेलू उद्योग द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण ने इस संबंध में डीपीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से 30,000 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता वृद्धि का विधिवत सत्यापन किया है। इस कारण से, डी एफ पी सी एल और डी पी एल की ऐसी मौजूदा क्षमताओं पर किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर की संभावना को पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए विधिवत विचार किया गया है।
47. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद की बहुत अधिक मात्राओं में आयात किया है और इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवेदन का समर्थन नहीं किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी अनुरोध किया है कि जांच की शुरुआत सही नहीं है क्योंकि आवेदक ने इस उत्पाद का आयात किया है और इस तथ्य को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में नोट नहीं किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकृत अधिकारी से यह भी कहा है कि वे आयातों के कारणों की जांच करें। आवेदक ने अनुरोध किया है कि इसने सभी संगत सूचना जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, दी है। आवेदन के प्रोफार्मा में आवेदन में यह सूचना अपेक्षित नहीं है। हालांकि, घरेलू उत्पादक से यह अपेक्षित है कि वे जांच की शुरुआत किए जाने पर संगत सूचना उपलब्ध कराएं। आवेदक ने निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से यह सूचना प्रस्तुत की है। आवेदक ने अनुरोध किया कि रक्षोपाय कानून के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा घरेलू उत्पादक को आवेदन प्रस्तुत करने से नहीं रोकती है यदि ऐसे घरेलू उत्पादक ने इस उत्पाद का आयात किया है।

48. प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग जिसने कानून के अंतर्गत इस उत्पाद का आयात किया है, का कोई अपवर्जन नहीं किया गया है। रक्षोपाय शुल्क के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक से यह अपेक्षित नहीं है कि वे उसके द्वारा किए गए आयातों के संबंध में सूचना दें। इसके बजाय प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उत्पादक के लिए बनाई गई प्रश्नावली में इस अपेक्षा को निर्धारित किया है जिसे जांच की शुरुआत के बाद जारी किया जाता है। आवेदक ने जांच की शुरुआत के बाद प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और संगत सूचना उपलब्ध कराई है। इस प्रकार, प्राधिकृत अधिकारी यह मानते हैं कि इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को आवेदक द्वारा विधिवत् संकलित किया गया है।
49. आवेदक ने उल्लेख किया है कि इसने अपनी क्षमता से अधिक अपने ग्राहकों को पूरा करना जारी रखने के लिए इस उत्पाद का आयात किया था। हालांकि, चूंकि आयातों की कीमत में गिरावट आई, अतः यह अपने निजी उत्पादन की बिक्री करने के लिए आवेदक के वास्ते गैर-अर्थक्षम हो गया। प्राधिकृत अधिकारी नोट करते हैं कि देश में मांग-आपूर्ति में अंतर था और आयात आवश्यक हो गए थे। विगत में आयातों की मात्रा केवल मांग-आपूर्ति के अंतर की सीमा तक थी। आयातों की मात्रा अब मांग-आपूर्ति में अंतर की तुलना में अधिक है।
50. हितवद्ध पक्षकारों के तर्कों को देखते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने संगत अवधि के दौरान आवेदक और अन्य आयातकों द्वारा किए गए आयातों की मात्रा और कीमत की जांच की है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि (क) विगत कुछ समय से उत्पाद में मांग और आपूर्ति का अन्तर रहा है; (ख) चूंकि यह उत्पाद, उपभोक्ताओं के लिए एक सोल्वेंट की प्रकृति में है, अतः उपभोक्ता समग्र मांग को एक ही स्रोत से प्राप्त करना पसंद करते हैं। अतः घरेलू उद्योग भारी मात्रा में चीन से इतर स्रोतों से उत्पाद का व्यापक रूप से ऐतिहासिक आयात करता रहा है, उसका भंडारण करता रहा है और उसके बाद उसे अपने उत्पादन के साथ उपभोक्ताओं को बेचता रहा है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग इस आयातित उत्पाद को इसकी ओवरहेड लागतों की वसूली करके और उस पर एक मार्जिनल लाभ रखने के बाद बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग द्वारा विगत कई वर्षों से इस प्रकार के क्रियाकलाप किए जा रहे थे।
51. आवेदक ने अनुरोध किया कि फिनोल की भारी मांग होने के कारण इस अवधि के दौरान क्षमता और फिनोल के उत्पादन में वृद्धि हुई। चूंकि फिनोल के उत्पादन में वृद्धि हुई, एसिटोन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, क्योंकि एसिटोन, फिनोल का एक सह-उत्पाद है। इससे बाजार में एसिटोन की अधिक आपूर्ति हुई और इसके कारण एसिटोन की कीमतों में काफी गिरावट आई। एसिटोन की कीमतों में गिरावट आने के कारण आईपीए की कीमतों में काफी गिरावट आई, जिसके कारण इस अवधि के दौरान आयातों में तेजी आई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि फिनोल आधारित आईपीए के आयातों में तेजी आने से उनके लिए आयातित उत्पादों के साथ मुकाबला करना वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य हो गया।
52. इस समग्र वृद्धि और आयात की कम कीमत ने घरेलू उद्योग को आयातित सामग्री को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि अपनी लागतों की भी वसूली कर पाने में समर्थ नहीं था। अतः यह देखा गया है कि (क) शुरुआत में, जिस कीमत पर घरेलू उद्योग ने उत्पाद का आयात किया, वह अन्य आयातकों द्वारा आयात की गई कीमत से कम कीमत पर था। तथापि, हाल की अवधि में, जिस कीमत पर घरेलू उद्योग ने उत्पाद का आयात किया है, वह अन्य आयातकों द्वारा किए गए आयात की कीमत से अधिक थी; (ख) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों का कुल आयातों में हिस्सा विचाराधीन अवधि के दौरान कम हुआ है; (ग) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों की मात्रा पूरी अवधि के दौरान उसी क्षेत्र में थी; (घ) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों सहित आयातों की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।
53. इस प्रकार से, घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात, मांग और आपूर्ति के अन्तर की विशेष परिस्थितियों की पूर्ति करने के लिए थे। तथापि, जब यह अन्तर एसिटोन आधारित आईपीए में तेजी आने के कारण सरपास हो गया और प्रोपाइलेन आधारित आईपीए पहले से महंगा हो गया तो घरेलू उद्योग एसिटोन आधारित आईपीए (प्रोपाइलेन आधारित आईपीए के अलावा) का भी आयात करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि आवेदक के लिए अपने उत्पादन की बिक्री करना अव्यवहार्य हो गया था।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
आयात मात्राएं	मी.ट.	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
प्रवृत्ति		100	114	142	186	151
डीआई द्वारा आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***

प्रवृत्ति		100	105	116	128	99
अन्य द्वारा आयात	मी.ट.	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
प्रवृत्ति		100	130	187	285	240
आयातों में हिस्सा						
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	92	82	69	66
अन्य आयातक	%	37%	42%	48%	57%	59%
प्रवृत्ति		100	114	131	153	159
लाभ/डीआई द्वारा अर्जित हानि						
ट्रेडिंग	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	(55)	(35)	(410)	(66)
विनिर्माण	₹/मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	58	(12)	(74)	(129)

54. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि घरेलू उत्पादक द्वारा किए गए आयात के लिए मात्रात्मक प्रतिबंधों की मांग करने से ऐसे घरेलू उत्पादक अपने हक से वंचित नहीं होते। वास्तव में, इस प्रकार के कोई भी मात्रात्मक प्रतिबंध, यहां तक कि आवेदक घरेलू उत्पादक पर भी समान रूप से लागू होंगे और प्रभाव डालेंगे। मात्रात्मक प्रतिबंध सभी आपूर्तिकर्ताओं पर बिना भेद-भाव के लागू होंगे और सभी आयातों के लिए समान रूप से प्रभाव डालेंगे।
55. रिकॉर्ड, मामले के तथ्यों और कानूनी स्थिति की जानकारी को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकृत अधिकारी का मानना है कि दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के संदर्भ में घरेलू उद्योग का गठन करता है।

IV. जांच की अवधि

56. विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 और उक्त नियमावली तथा रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार तथा गेट का अनुच्छेद XIX न तो जांच की अवधि के संबंध में दिशा-निर्देश को परिभाषित करता है अथवा देता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि समुचित रूप से लंबी और पर्याप्त रूप से हाल के समय की होना चाहिए ताकि इस संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन, घरेलू बाजार की स्थितियां आदि जैसे विभिन्न संगत कारकों के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या बढ़े हुए आयात वास्तव में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा उत्पन्न कर रहे हैं या नहीं और इस कारण से रक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता को सही ठहराया जा सके। इस आधार पर वर्तमान मामले में, इसे उचित माना गया था कि वर्तमान जांच के लिए अवधि अप्रैल, 2016 से जून, 2019 के रूप में मानी जाए। इसके अलावा, आयातों में उछाल और इस उद्देश्य से सबसे अधिक हाल की अवधि को जनवरी 2019-जून, 2019 के रूप में माना गया है।
57. निदेशालय की यह प्रथा रही है कि अंतिम निर्धारण के लिए, जांच की शुरुआत में जांच की अवधि के बाद की अवधि पर विचार किया जाए। अतः प्राधिकृत अधिकारी ने अंतिम निर्धारण के प्रयोजन से दिसंबर, 2019 तक की अवधि पर विचार किया है। उसके बाद की अवधि पर कोविड महामारी का प्रभाव पड़ा है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी हाल की अवधि में और विशेषकर वर्तमान कोविड महामारी के बाद उत्पाद की अधिक कीमत की ओर प्राधिकृत अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है। जबकि प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि दिसंबर, 2019 के बाद की अवधि एक असामान्य अवधि है और हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को देखते हुए वर्तमान निर्धारण के लिए इस पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा, अतः प्राधिकृत अधिकारी ने अभी हाल

की अवधि के लिए सूचना की मांग की है और यह पता लगाने के लिए उसकी अलग से जांच की है कि क्या इस स्थिति में ऐसा कोई विकास/ बदलाव हुआ है, जिससे अब रक्षोपाय के उपाय को लागू करना न्यायोचित नहीं है।

V. सूचना का स्रोत

58. जांच की शुरुआत के समय घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रस्तुत किए जिसकी पूर्ति वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से 2016-17 से जून, 2019 तक की अवधि के लिए की गई है। घरेलू उद्योग ने 2016-17 की अवधि से जून 2019 तक की अवधि के लिए अपने क्षति संबंधी आंकड़े दिए हैं। उसके बाद, घरेलू उद्योग ने दिसंबर, 2019 तक की बाद की अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए आयात संबंधी आंकड़ों तथा अपने स्वयं के आंकड़े दिए। प्राधिकृत अधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से आंकड़े मंगाई हैं और वर्तमान निर्धारण के लिए उन पर विचार किया है।

VI. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

59. हितबद्ध पक्षकारों ने गोपनीय आधार पर कुछ सूचना दी है और यह अनुरोध किया है कि इसे गोपनीय माना जाए। हितबद्ध पक्षकारों ने इस नियमाली के नियम 7 के अंतर्गत यथा अपेक्षित गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर (एनसीवी) दिया है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने इस सूचना की गोपनीयता के अपने दावे को सही ठहराते हुए कारण प्रस्तुत किए हैं।
60. इस नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत, हितबद्ध पक्षकार गोपनीय आधार पर सूचना दे सकते हैं और जांच में भाग लेने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना प्रकट नहीं करने के लिए चुन सकते हैं। पक्षकार ऐसी सूचना के गोपनीय होने का दावा कर सकते हैं जो गोपनीय प्रकृति का हो अथवा जिसके प्रकटन से ऐसी सूचना प्रकट करने वाले पक्षकार को हानि हो सकती है और प्रतियोगियों को अनुचित लाभ मिल सकता है। गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराएं।
61. घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत की और गोपनीयता का दावा प्रस्तुत करने के लिए कारण प्रस्तुत किया है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने गोपनीय आधार पर दी गई सूचना का एक अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया है।
62. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि आवेदक ने आईसीआईएस रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत नहीं कर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। आवेदक ने उसका औचित्य दिया और यह तर्क दिया कि ऐसी रिपोर्ट आईसीआईएस की प्रोपराइटीरि दस्तावेज हैं और तदनुसार, आवेदक से यह अपेक्षित नहीं है कि वे उसके बारे में बताएं। हितबद्ध पक्षकारों ने लगाई गई पूंजी, मालसूची, सरकारी अनुमोदनों और आयातों के संबंध में आवेदक के गोपनीयता संबंधी दावे पर भी प्रश्न खड़ा किया है। हालांकि ऐसी सूचना आवेदक की बिजनेस प्रोपराइटीरि सूचना है। इसके अलावा, आवेदक ने संगत क्षति सूचना का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया है। प्राधिकृत अधिकारी यह मानते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता उपयुक्त है।

VII. आयात प्रकृति और मात्रा

63. इस अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अंतर्गत, जहां किसी किसी उत्पाद का आयात इतनी बड़ी हुई मात्राओं में और ऐसी परिस्थितियों में किया जा रहा है जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होती हो अथवा होने का खतरा हो, रक्षोपाय शुल्क लगाया जा सकता है। मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार, “बड़ी हुई मात्रा” में आयात में वृद्धि शामिल है, चाहे वह स्वतंत्र रूप में हो अथवा घरेलू उत्पादन के सापेक्ष हो।

क. स्वतंत्र रूप में वृद्धि

64. इस अवधि के दौरान आयातों की मात्रा निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
डीआई सहित आयात मात्रा	मी.ट.	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	142	186	151

डीआई द्वारा आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	116	128	99
अन्य द्वारा आयात	मी.ट.	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	187	285	240
भारत में मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	117	135	122

65. इस उत्पाद का आयात भारत में विभिन्न स्रोतों से किया जा रहा है जिसमें अधिक मात्राओं में चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और ताईवान से किया जा रहा है। यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा में 2016-17 में 84,942 मी.टन से जनवरी-जून, 2019 (वार्षिकीकृत) में 1,58,658 मी.टन तक वृद्धि हुई है जिसका अर्थ यह हुआ कि इस अवधि के दौरान 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इस उत्पाद की मांग में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसके अलावा, आयातों में बढ़ती हुई दर से वृद्धि हुई जब उसकी तुलना वर्ष-दर-वर्ष आधार पर की जाती है। इस प्रकार, वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आयातों में स्पष्ट रूप से अचानक वृद्धि हुई है।
66. घरेलू उद्योग द्वारा आयातों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को देखते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा आयातों को बाहर रखने के बाद आयातों की जांच की। यह देखा जाता है कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा आयातों को बाहर नहीं किया जाता है तब आयातों में बहुत अधिक तीव्र दर से बढ़ोतरी हुई है।
67. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि आयातों में केवल देश में मांग-आपूर्ति के अंतर मौजूद रहने के कारण वृद्धि हुई है। इस कारण से, प्राधिकृत अधिकारी ने देश में आयातों और मांग की मात्रा की जांच की। हालांकि, यदि आयातों में वृद्धि अत्यधिक मांग की सीमा तक ही हुई होती तब घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के उपयोग को कायम रखने में सक्षम हुए होते। हालांकि वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग की क्षमता में गिरावट आई है जो यह दर्शाता है कि बड़े हुए आयात देश में मांग-आपूर्ति के अंतर को पार कर जाता है।
68. मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण और संबंधित उत्पाद की प्रकृति और घरेलू उद्योग से उचित मूल्य पर नियमित आपूर्ति में निश्चितता रखने के लिए उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग एक ऐतिहासिक आयातक रहा है। घरेलू उद्योग का पारंपरिक व्यापार मॉडल, जो उत्पादन को कम नहीं करके मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए था, विदेशी उत्पादकों की आक्रामक मूल्य निर्धारण नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
कुल आयात	मी.ट.	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	142	186	151
गैर- डीआई आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	187	285	240
कुल मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	117	135	122
डीआई की क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
अंतराल (मांग-क्षमता)	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	131	164	140
मांग-क्षमता अंतराल से अधिक आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(249)	1,538	2,970	1,595

ख. सापेक्ष रूप में

69. प्राधिकृत अधिकारी ने इस अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन के संबंध में आयातों की मात्रा की जांच की। यह देखा जाता है कि आयातों में घरेलू उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
आयात मात्रा	मी.ट.	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	142	186	151
डीआई द्वारा आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	116	128	99
अन्य द्वारा आयात	मी.ट.	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	187	285	240
भारत में मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	117	135	122
भारतीय उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	86	74	85
उत्पादन की तुलना में आयात						
उत्पादन	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	165	250	179
खपत	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	121	138	124

VIII. अप्रत्याशित घटनाक्रम

70. गैट का अनुच्छेद XIX जांच करने वाले प्राधिकारियों को “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग को परिणामी गंभीर क्षति हुई, की जांच करने के लिए दायित्व सौंपता है। इस अपेक्षा को देखते हुए, यह महानिदेशालय अपनी जांचों में “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के मुद्दे की निरंतर रूप से जांच करता रहा है। इसके अलावा, मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 9(1) में यह भी प्रावधान है कि बड़े हुए आयात अप्रत्याशित घटनाक्रमों का परिणाम होना चाहिए जो नीचे दिए गए अनुसार हैं:

“अधिकृत अधिकारी जांच की शुरुआत की तिथि से आठ महीने के भीतर अथवा ऐसी बड़ाई गई अवधि के भीतर जिसे केन्द्र सरकार इस बात का निर्धारण करने के लिए अनुमति दे कि क्या अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप जांच के

अधीन वस्तुओं के बड़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा है और बड़े हुए आयातों तथा गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है, का निर्धारण करेगा।”

71. प्राधिकृत अधिकारी ने अप्रत्याशित घटनाक्रमों अथवा परिस्थितियों, जिसके फलस्वरूप जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है, की जांच की।
72. अर्जेन्टीना-फुटवियर (ईसी) में डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय ने “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” को उन घटनाक्रमों से संबंधित घटनाक्रम के रूप में परिभाषित किया जो “अप्रत्याशित” है। अपीलीय निकाय ने “अप्रत्याशित” शब्दावली में अंतर भी किया अर्थात् “जिसके बारे में पूर्व में नहीं बताया जा सके अथवा जिसे पहले से देखना, बताना अथवा अनुमान लगाना सक्षम नहीं है।” इसके अलावा अपीलीय निकाय ने “अपने ऊपर लिए गए दायित्वों के प्रभाव” से संबंधित अपेक्षा की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि इस वाक्यांश का तात्पर्य केवल यह है कि इसे अवश्य दर्शाया जाना चाहिए कि आयात करने वाले सदस्य ने गैस के अंतर्गत दायित्वों को अपने ऊपर लिया। अपीलीय निकाय के जांच परिणामों का संबंधित हिस्सा फिर से नीचे दिया गया है।

“91. अनुच्छेद XIX: 1, के इस उप पैरा (क) में इस उपबंध – “प्रशुल्क रियायतों सहित इस करार के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा लिए गए दायित्वों के प्रभाव के और अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप” के अर्थ का निर्धारण करने के लिए, हमें इन शब्दों की जांच, उनके सामान्य अर्थ, उनके संदर्भ और अनुच्छेद XIX के उद्देश्य और प्रयोजन के आलोक में करना चाहिए। हम सबसे पहले इन शब्दों के सामान्य अर्थ को देखते हैं। “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” के अर्थ के संबंध में, हम नोट करते हैं कि “अप्रत्याशित” की शब्दकोष की परिभाषा विशेषकर चूंकि “घटनाक्रम” शब्द से संबंधित है, “अप्रत्याशित” का पर्याय है। दूसरी ओर “पूर्व में न देखे जाने योग्य” की परिभाषा शब्दकोषों में “पूर्व में न जाने योग्य” अथवा “पूर्व में न देखे जाने, न बताए जाने अथवा न अनुमान लगाए जाने में अक्षम” अर्थ के रूप में है। इस प्रकार हमें यह प्रतीत होता है कि वाक्यांश “अप्रत्याशित घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप” वाक्यांश के सामान्य अर्थ में यह अपेक्षित है कि वे घटनाक्रम जिनके फलस्वरूप ऐसी बड़ी हुई मात्राओं और ऐसी शर्तों के अधीन उत्पाद का आयात किया जा रहा है जिससे कि घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती हो अथवा होने का खतरा हो “अप्रत्याशित” होनी चाहिए थी। “प्रशुल्क रियायतों सहित इस करार के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा लिए गए दायित्व के प्रभाव का ...” वाक्यांश के संबंध में, हम विश्वास करते हैं कि इस वाक्यांश का आशय केवल यह है कि इसे वास्तव में दर्शाया जाना चाहिए कि आयात करने वाले सदस्य ने प्रशुल्क रियायतों सहित गैर 1994 के अंतर्गत दायित्व लिए हैं। यहां हम नोट करते हैं कि गैर 1994 से अनुबंधित अनुसूचियों को गैर 1994 के अनुच्छेद II के पैरा 7 के अनुसरण में उस करार के भाग I का एक अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। इस कारण से, किसी सदस्य की अनुसूची में कोई रियायत अथवा प्रतिबद्धता गैर 1994 के अनुच्छेद II में निहित दायित्वों के अधधीन है।”

73. उसी प्रकार, कोरिया-डेयरी मामले में डब्ल्यूटीओ की अपीलीय निकाय ने यह माना कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे घटनाक्रम हैं जिन्हें पूर्व में नहीं देखा गया अथवा आशा नहीं की गई थी जब सदस्य ने उस दायित्व को लिया। अपीलीय निकाय ने यह भी माना कि अप्रत्याशित घटनाक्रम वे परिस्थितियां हैं जिन्हें वास्तव में दर्शाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यूएस-स्टील रक्षोपाय में पैनल ने यह माना कि अनेक घटनाओं का संगम अप्रत्याशित घटना का आधार बनने के लिए एक हो सकते हैं। उसी मामले में, अपीलीय निकाय ने यह भी नोट किया कि बड़े हुए आयात अप्रत्याशित घटनाक्रम का परिणाम होना चाहिए अर्थात्: यह अप्रत्याशित घटनाक्रम है जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई। अपीलीय निकाय के जांच परिणामों का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:

“315. “के परिणाम के रूप में” शब्द जो अनुच्छेद XIX:1(क) में भी पाया जाता है को देखते समय हम नोट करते हैं “परिणाम” का सामान्य अर्थ जैसा कि शब्दकोष में परिभाषित किया गया है, “कुछ कार्यवाही, प्रक्रिया अथवा डिजाइन से प्रभाव, मुद्दा अथवा परिणाम” है। बड़े हुए आयातों जिसका यह प्रावधान संदर्भ लेता है, इस कारण से “अप्रत्याशित घटनाक्रमों” का एक “प्रभाव अथवा परिणाम” होना चाहिए। अलग-अलग रखने पर, “अप्रत्याशित घटनाक्रम” इस उत्पाद के बड़े हुए आयातों (“ऐसे उत्पाद”) जो रक्षोपाय शुल्क के अधधीन हैं में “परिणाम” होना चाहिए।”

74. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयातों में वृद्धि उन घटनाक्रमों के कारण होनी चाहिए जो अप्रत्याशित अथवा पूर्व में न देखा गया था। इसके अलावा यह घटनाक्रम दायित्व लेते समय अर्थात् विश्व व्यापार संगठन में शामिल होते समय विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न करारों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का संकल्प लेने और प्रशुल्क रियायतें देने के समय अप्रत्याशित होनी चाहिए थी।

75. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि अप्रत्याशित घटनाक्रम, जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई प्रोपिलीन आधारित आईपीए बनाम एसिटोन आधारित आईपीए की प्रतियोगिता में थी जिसके फलस्वरूप एसिटोन आधारित आईपीए सस्ता हो गया। आवेदक ने डाऊन स्ट्रीम संयंत्रों के बंद होने तथा डाऊनस्ट्रीम उत्पादों के विरुद्ध यूएसए द्वारा प्रशुल्कों को लगाए जाने के कारण चीन जन.गण. में घरेलू मांग में गिरावट पर भी विश्वास किया है।

डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत लिया गया दायित्व

76. गैट के अनुच्छेद XIX में यह अपेक्षित है कि बड़े हुए आयात गैट के अंतर्गत लिए गए दायित्वों के एक प्रभाव के रूप में होना चाहिए। अपीलिय निकाय ने अर्जेन्टीना – फुटवियर में इस आवश्यकता को स्पष्ट किया है कि इसे वास्तव में दर्शाया जाना चाहिए कि आयात करने वाले सदस्य ने प्रशुल्क रियायतों सहित गैर के अंतर्गत दायित्व लिया है। यह ध्यान दिया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद पर वर्तमान शुल्क केवल 7.5% है जबकि उत्पाद पर सीमा शुल्क की बाध्य दर 40% है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि भारत में प्रशुल्क रियायतों के रूप में गैट के अंतर्गत दायित्व लिया।

एसिटोन की कीमतों में गिरावट, जिसके फलस्वरूप आईपीए की कीमतों में गिरावट आई

77. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से पता चलता है कि बिस्फेनोल-ए और पॉलीकार्बोनेट की मांग में काफी वृद्धि हुई। नतीजा यह हुआ कि फिनॉल की मांग बढ़ गई। इस वजह से फिनॉल प्रोडक्शन और फिनॉल के दाम बढ़ गए। चूंकि एसीटोन फिनॉल के उत्पादन में सह-उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए फिनॉल के बढ़ते उत्पादन ने एसीटोन के लिए आपूर्ति की भरमार पैदा कर दी। एसीटोन की मांग में अनुरूप वृद्धि न होने पर एसीटोन की कीमतें अचानक गिर गईं। परिणामस्वरूप, विदेशी उत्पादकों द्वारा कुछ नए एसीटोन आधारित आईपीए संयंत्र शुरू किए गए थे। इसके अलावा, आवेदक ने यह प्रस्तुत किया कि फिनॉल की मजबूत मांग के कारण इस अवधि में फिनॉल की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे फिनॉल की वैश्विक खपत में 2016 से 2019 तक लगभग 14,45,000 मीट्रिक टन की महत्वपूर्ण, अचानक और तेज वृद्धि हुई।
78. आईपीए का उत्पादन दो मार्गों – एसिटोन और प्रोपिलीन के द्वारा किया जा सकता है। घरेलू उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रोपिलीन का उपयोग करते हुए आईपीए का उत्पादन करता है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि विदेशी उत्पादक अब एसिटोन मार्ग का उपयोग करते हुए आईपीए का उत्पादन कर रहे हैं। यह देखा जाता है कि पी ओ आई के दौरान एसिटोन की कीमतों में 2017 से गिरावट आनी शुरू हो गई जबकि प्रोपिलीन की कीमतों में 2017 की तुलना में 2018 और 2019 में बढ़ोतरी हुई। चूंकि फिनॉल के उत्पादन में वृद्धि हुई, अतः एसिटोन के उत्पादन में भी वृद्धि हुई क्योंकि एसिटोन फिनॉल का एक सह-उत्पाद है। इसके कारण, बाजार में एसिटोन की अधिक आपूर्ति हुई और इसके फलस्वरूप एसिटोन की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई। एसिटोन की कीमतों में गिरावट के फलस्वरूप, आईपीए की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आई जिससे इस अवधि में आयात में बहुत अधिक वृद्धि हुई। हालांकि, चूंकि प्रोपिलीन की कीमतें बढ़ रही थीं जब एसीटोन की कीमतें घट रही थीं, एसीटोन आधारित आईपीए (आयातित उत्पाद) के उत्पादन की लागत में गिरावट आई, जबकि प्रोपिलीन आधारित आईपीए (उत्पाद की तरह) के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई। यह देखा गया है कि आईपीए आयात कीमतों में तेजी से गिरावट आई, जिससे इस अवधि में आयात में उछाल आया। इससे प्रोपिलीन आधारित आईपीए के निर्माण करने वाले उत्पादकों को अपनी कीमतों को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तब भी जब उनकी लागत में गिरावट नहीं आ रही थी। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का कहना है कि एसीटोन आधारित आईपीए के आयात में आमद ने आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने उत्पाद (प्रोपिलीन आधारित आईपीए) को वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य बना दिया है।

विदेशी उत्पादकों के पास अतिरिक्त और बढ़ी हुई क्षमताएं

79. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि विदेशी उत्पादकों ने निवेश किया है और आईपीए की नई क्षमताएं निर्मित की हैं। इसके अलावा, एसिटोन आधारित आईपीए के हिस्से में 2010 में 9 प्रतिशत से 2018 में 27 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हालांकि चूंकि वैश्विक मांग में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हुई, इसके फलस्वरूप आईपीए के लिए अतिरिक्त क्षमताएं रहीं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि इस उत्पाद के लिए वैश्विक क्षमता उपयोग में 2018 में 62 प्रतिशत तक गिरावट आई और उत्तर-पूर्व एशिया में कुछ उत्पादकों ने उससे भी कम क्षमता उपयोग अर्थात् 52 प्रतिशत दर्ज किया।

एसिटोन आधारित आईपीए की कमतर कीमतों पर बढ़ी हुई आपूर्ति

80. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि एसिटोन आधारित आईपीए बहुत अधिक हद तक कमतर कीमतों पर उपलब्ध थी। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया कि एसिटोन की कीमतों में गिरावट के साथ, आयातों बढ़ा हुआ हिस्सा उस कीमत पर किया गया था जो घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत से कम था, जिसके फलस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई।

81. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया कि घरेलू उद्योग अपनी स्वयं की अक्षमताओं के कारण संरक्षण का दावा कर रहा है। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए लगाया है और सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए लगाया गया है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि प्रोपिलीन आधारित आईपीए लागत एसिटोन की कीमतों में गिरावट के कारण आईपीए की कीमत में गिरावट के साथ गैर-अर्थक्षम हो गया।
82. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि कच्चे माल की कीमतों में अस्थिरता को अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में नहीं माना जा सकता है। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने “पूर्व में न जाने योग्य” से “अप्रत्याशित” वाक्यांश में अंतर स्थापित किया और यह नोट किया कि “अप्रत्याशित घटनाक्रम” शब्दावली का तात्पर्य यह है कि उन घटनाक्रमों जिनके फलस्वरूप बड़ी हुई मात्राओं में इस उत्पाद का आयात किया जा रहा है “अप्रत्याशित” होना चाहिए था। इसकी तुलना में, “पूर्व में न जाने योग्य” शब्दावली का आशय “पूर्व में देखे जाने योग्य, बताए जाने योग्य अथवा अनुमान लगाए जाने योग्य ने अक्षम” से है। वर्तमान मामले में, जबकि कीमतों में अस्थिरता को पूर्व में नहीं जाना जा सकता है, अन्य कच्चे माल बनाम उस कच्चे माल, जिसका उपयोग करते हुए उत्पादन की अचानक अप्रतियोगिता निश्चित रूप से अप्रत्याशित अथवा पूर्व में न देखे जाने योग्य था।

चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के लिए घटी हुई मांग

83. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि इस उत्पाद की मांग में पर्यावरणीय चिंताओं के कारण डाउनस्ट्रीम संयंत्रों के बंद होने के फलस्वरूप तथा चीन से आयातों के विरुद्ध यूएसए द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि के प्रभाव के रूप में चीन में गिरावट आई है।
84. उपर्युक्त का विश्लेषण करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि आयातों में वृद्धि एसिटोन की अधिक आपूर्ति और उसके फलस्वरूप कीमतों में गिरावट का एक परिणाम है जिसके फलस्वरूप आईपीए की कीमतों में गिरावट आई। आईपीए की कीमतों में गिरावट के फलस्वरूप इस उत्पाद के आयातों में उछाल आया। ये घटनाक्रम स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित थे और इसके कारण आयातों में उछाल आया। प्राधिकृत अधिकारी यह मानते हैं कि आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रमों के कारण हुई थी। यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि हाल की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि अप्रत्याशित घटनाक्रमों और गैट के अंतर्गत उसके अनुच्छेद XIX के संदर्भ में भारत द्वारा लिए गए दायित्वों के प्रभाव का परिणाम है।

IX. गंभीर क्षति और/अथवा गंभीर क्षति का खतरा

85. प्राधिकृत अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या इस उत्पाद के बढ़े हुए आयातों के कारण समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों के घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा होने का खतरा है। इस अधिनियम की धारा 9(3) के अनुसार, गंभीर क्षति का तात्पर्य उस क्षति से है जो घरेलू उद्योग की स्थिति में अत्यधिक समग्र हानि पहुंचा रहा हो जबकि गंभीर क्षति के खतरे का तात्पर्य गंभीर क्षति के स्पष्ट और आसन्न खतरे से है। मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 8(क) में क्षति के निर्धारण के संबंध निम्नानुसार प्रावधान है:

“अधिकृत प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करेंगे अर्थात:-

(क) इस जांच में यह निर्धारण करने के लिए कि क्या बढ़े हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा गंभीर क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है, अधिकृत प्राधिकारी विशेष रूप से स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में संबंधित वस्तुओं के आयातों में वृद्धि की दर और राशि, बढ़े हुए आयातों के द्वारा घरेलू बाजार का लिया गया हिस्सा, विक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता का उपयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तर में परिवर्तन जैसे उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले एक वस्तुनिष्ठ और मात्रा बताने योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करेंगे”

86. इस संबंध में, अर्जेन्टी-फुटवियर (ईसी) के मामले में अपीलीय निकाय ने अनुच्छेद 4.1(क) में “गंभीर क्षति” की परिभाषा तथा अनुच्छेद 4.2(क) “सभी संगत कारकों” के मूल्यांकन की आवश्यकता के बीच संबंध पर चर्चा की।

“139. हमारे विचार से यह तभी होता है जब घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उस उद्योग की स्थिति पर सभी संगत कारकों के आलोक में मूल्यांकन किया गया हो कि इसका निर्धारण किया जा सकता है कि क्या उस उद्योग की स्थिति में “अत्यधिक समग्र हानि” हुई है। यद्यपि, अनुच्छेद 4.2(क) में तकनीकी रूप से यह अपेक्षित है कि कुछ सूचीबद्ध कारकों का मूल्यांकन किया ही जाना चाहिए और यह कि सभी अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया ही जाना चाहिए कि यह प्रावधान इस तथ्य का उल्लेख नहीं करता है कि इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या दर्शाना चाहिए।

स्पष्ट रूप से, इस प्रकार का कोई मूल्यांकन विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए तथा संबंधित उद्योग की स्थिति पर निर्भर करते हुए अलग-अलग मामलों में अलग-अलग उद्योग के लिए अलग-अलग होगा। प्रत्येक सूचीबद्ध कारक का मूल्यांकन निश्चित रूप से यह नहीं दर्शाएगा कि प्रत्येक ऐसा कारक “गिरावट” है। एक मामले में उदाहरण के लिए बिक्री, रोजगार और उत्पादकता में बहुत अधिक गिरावट हो सकती है जो इस उद्योग की स्थिति में “बहुत अधिक समग्र हानि” दर्शाएगा और इस कारण से गंभीर क्षति के परिणाम को सही ठहराएगा। एक अन्य मामले में, कुछ कारक में गिरावट नहीं हो सकती है लेकिन उसके बावजूद समग्र तस्वीर इस उद्योग की “बहुत समग्र हानि” को दर्शा सकता है। इस प्रकार, इस तथ्य की तकनीकी जांच की सक्षम प्राधिकारियों ने किसी विशेष मामले में सभी सूचीबद्ध कारकों और किसी अन्य संगत कारकों का मूल्यांकन किया है, के अलावा हमारा विश्वास है कि यह गंभीर क्षति के किसी निर्धारण की इसकी समीक्षा पर विचार करते हुए रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1(क) में “गंभीर क्षति” की परिभाषा लेने के लिए पैनल के लिए आवश्यक है।”

87. इसके अलावा, यूएस-व्हीट गल्टन पैनल ने अपीलीय निकाय द्वारा सही ठहराए गए जांच परिणाम में “गंभीर क्षति” पारिभाषिक शब्द के अर्थ के संबंध में विस्तार से उल्लेख किया:

“हम यह नहीं मानते हैं कि जांच की गई प्रत्येक एक कारक में नकारात्मक प्रवृत्ति बहुत अधिक समग्र हानि की स्थिति में घरेलू उद्योग के लिए आवश्यक है। इसके बजाय यह प्रवृत्तियों और उनके परस्पर संबंध की समग्रता है जिस पर गंभीर क्षति के निर्धारण में अवश्य विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, अनेक कारकों में ऐसी प्रगति का अनिवार्य रूप से गंभीर जांच का निर्धारण का पूर्व में होना आवश्यक नहीं होगा। यह जांच प्राधिकारियों के लिए है कि वे उनके समक्ष साक्ष्य का मूल्यांकन और उसकी सत्यता की जांच करें और इसकी समुचित, तर्क संगत और उचित व्याख्या दें कि किस प्रकार ये तथ्य किए गए निर्धारण का समर्थन करते हैं।”

88. पूर्वोक्त कानूनी सिद्धांतों को देखते हुए, क्षति से संबंधित मानदंडों का विश्लेषण इसमें नीचे किया गया है:

i) मांग/खपत का आकलन

89. प्राधिकृत अधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में विचार किया है। यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग ने इस अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि दर्शाई है। इसके अलावा, इस उत्पाद के आयातों में मांग में वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक गति से वृद्धि हुई।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं. 19 वार्षिक
आयात मात्रा	मी.ट.	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	142	186	151
डीआई द्वारा आयात	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	116	128	99
अन्य द्वारा आयात	मी.ट.	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	187	285	240
घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	86	73	86
भारत में मांग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	117	135	122

ii) घरेलू उद्योग का हिस्सा

90. घरेलू उद्योग के आयातों का हिस्सा निम्नानुसार था। यह देखा जाता है कि आयातों के बाजार हिस्से में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में तेजी से गिरावट आई।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
		वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक	वार्षिक
घरेलू उद्योग के आयात को छोड़कर बाजार हिस्सा						
आयात	%	31%	36%	50%	64%	56%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	159	205	179
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	73	52	64
कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%
घरेलू उद्योग के आयात सहित बाजार हिस्सा						
आयात	%	55%	58%	67%	76%	68%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	121	138	124
घरेलू उद्योग का ट्रेडिंग	%	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादक	%	20%	24%	32%	43%	40%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	159	211	197
कुल आयात	%	55%	58%	67%	76%	68%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	121	138	124
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	74	54	70
समस्त के लिए कुल	%	100%	100%	100%	100%	100%

91. प्राधिकृत अधिकारी ने निर्माण और व्यापार, दोनों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का निर्धारण किया। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा गिरावट को दर्शाता है चाहे उसमें व्यापार को शामिल किया गया हो अथवा नहीं।

iii) घरेलू बिक्री

92. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री निम्नानुसार थी। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में इस अवधि के दौरान बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। बिक्री में गिरावट घरेलू उद्योग की मांग में वृद्धि और इसकी उपयोग न की गई क्षमताओं के बावजूद है।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	86	73	86
निर्यात बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	143	121	39	48

iv) उत्पादन

93. इस अवधि के दौरान उत्पाद के स्तर में निम्नानुसार परिवर्तन हुआ। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में हाल की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। उत्पादन में गिरावट इस उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि के बावजूद है।

94. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पादन में कमी आई है और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पादन के लिए आयातों के अनुपात में भी, उद्योग के संकट के तहत कारोबारी मॉडल में बदलाव दर्शाते हुए वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	86	74	85

v) क्षमता उपयोग

95. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में देश में आयातों में वृद्धि के साथ हाल की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
स्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	86	74	85
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	86	74	85

vi) रोजगार

96. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास रोजगार काफी हद तक प्रभावित नहीं हुआ है।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
मजदूरी	लाख रु. में	999	1,243	1,289	1,240	1,084

vii) उत्पादकता

97. प्रति कर्मचारी और प्रतिदिन उत्पादकता में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट के बाद क्षति की अवधि में गिरावट आई।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	98	109	109	109
मजदूरी	लाख रु. में	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	124	129	124	109

Viii) लाभ/हानि

98. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ/हानि निम्नानुसार थे। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति की अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आयातों में उछाल के साथ हाल की अवधि में वित्तीय हानि उठानी शुरू की।
99. व्यापार के संबंध में क्षति, विनिर्माण के संबंध में क्षति से काफी कम पाई की गई है और आयात की ओर रुख करना क्षति को अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रित करना है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात स्वयं के निर्मित नहीं माने जा सकते।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
लाभ/हानि	रू./मी.ट.					
अपना उत्पादन	रू./मी.ट.	***	***	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	58	(12)	(74)	(129)
व्यापार	रू./मी.ट.	***	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(55)	(35)	(410)	(66)
कुल लाभ/हानि	लाख रू. में					
अपना उत्पादन	लाख रू. में	***	***	(***)	(***)	(***)
लाभ/हानि	सूचीबद्ध	100	60	(10)	(54)	(87)
व्यापार	लाख रू. में	***	(***)	(***)	(***)	(***)
लाभ/हानि	सूचीबद्ध	100	(57)	(43)	(514)	(82)

ix) मालसूची

100. इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नानुसार थी। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची में 2017-18 में गिरावट आई। हालांकि मालसूची में आयातों में उछाल के साथ हाल की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
अपना उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	41	95	154
प्रारंभिक	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	262	57	92	254
अंतिम	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	22	35	97	116
ट्रेडिंग	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	224	341	473	506

प्रारंभिक	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	327	630	825	1,193
अंतिम	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	193	252	365	296

x) कीमत में कटौती

101. कीमत में कटौती का स्तर नीचे दिए गए अनुसार नोट किया गया है। यह देखा जाता है कि आयातों के कारण क्षति की इस पूरी अवधि के दौरान घरेलू कीमत में कटौती होती रही है। हालांकि, कीमत में कटौती में हाल की अवधि में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
पहुंच मूल्य	₹/ मी.ट.	58,499	67,088	73,803	63,220	52,361
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	126	108	90
निवल बिक्री प्राप्ति	₹/ मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	111	120	111	94
कीमत कटौती	₹/ मी.ट.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	सूचीबद्ध	100	66	38	157	151
कीमत कटौती	%	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	1-10%	1-10%	1-10%	5-15%	10-15%

102. इस प्रकार यह देखा गया है कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री, इन्वेंटरी, बाजार हिस्सेदारी और मुनाफे के संबंध में मात्रा और मूल्य मापदंडों दोनों में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन खराब हुआ है। घरेलू उद्योग को गंभीर चोट आई है।

X. जांच की अवधि के बाद हाल की अवधि का निष्पादन

103. निदेशालय की यह प्रथा रही है कि अंतिम निर्धारण के लिए, जांच की शुरुआत में जांच की अवधि के बाद की अवधि पर विचार किया जाए। अतः प्राधिकृत अधिकारी ने अंतिम निर्धारण के प्रयोजन से दिसंबर, 2019 तक की अवधि पर विचार किया है। उसके बाद की अवधि पर कोविड महामारी का प्रभाव पड़ा है। हितबद्ध पक्षकारों ने भी हाल की अवधि में और विशेषकर वर्तमान कोविड महामारी के बाद, उत्पाद की अधिक कीमत की ओर प्राधिकृत अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया है। जबकि प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि दिसंबर, 2019 के बाद की अवधि एक असामान्य अवधि है और हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को देखते हुए वर्तमान निर्धारण के लिए इस पर विचार करना उपयुक्त नहीं होगा, अतः प्राधिकृत अधिकारी ने अभी हाल की अवधि के लिए सूचना मांगी है और यह पता लगाने के लिए उसकी अलग से जांच की है कि क्या इस स्थिति में ऐसा कोई विकास/ बदलाव हुआ है, जिसके कारण अब रक्षोपाय उपाय को लागू करना न्यायोचित नहीं है।

104. जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच इस प्रकार है :-

क. भारत में आयातों (घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों को छोड़कर), मांग और विभिन्न पक्षकारों के बाजार अंश का एक विश्लेषण यह दर्शाता है कि जुलाई 2021 को छोड़कर बाद की अवधि में आयातों में गिरावट आई है। तथापि, आयातों की मात्रा वर्ष 2016-17 और 2017-18 की विगत की अवधियों की तुलना में वृद्धि के स्तरों पर जारी रही है। भारत में

उत्पादन और खपत में, सापेक्ष और निरपेक्ष के संदर्भ में, दोनों में वही प्रवृत्ति रही है। इसके अलावा निर्माण और व्यापार, दोनों के संदर्भ में घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट जारी रही है।

अवधि		भारत में आयात (मी. टन)			मांग (मी. टन)	बाजार अंश (%)			
		घरेलू उद्योग द्वारा	अन्य द्वारा	कुल		आयात		भारतीय उद्योग	
						घरेलू उद्योग को छोड़कर	घरेलू उद्योग	डीएफपीसीएल	डीपीएल
1	2016-17	***	31,529	85,348	***	20%	***	***	***
2	2017-18	***	40,967	97,533	***	24%	***	***	***
3	अप्रैल '18 - दिसंबर '18	***	44,162	91,066	***	32%	***	***	***
4	जनवरी '19 - जून '19	***	44,937	79,368	***	43%	***	***	***
5	जुलाई '19 - दिसंबर '19	***	37,901	64,583	***	40%	***	***	***
6	जनवरी '20 - जून '20	***	31,876	56,194	***	33%	***	***	***
7	जुलाई '20 - दिसंबर '20	***	78,709	1,05,176	***	54%	***	***	***
8	जनवरी '21 - मार्च '21	***	28,236	33,232	***	56%	***	***	***
9	अप्रैल '21 - जून '21	***	22,175	28,255	***	49%	***	***	***
10	जुलाई '21	***	14,539	17,840	***	54%	***	***	***

ख. घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता उपयोग और विक्रियां वर्ष 2016-17 और 2017-18 की तुलना में कमतर स्तर पर जारी रहे हैं। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में मार्च, 2020 के बाद पर्याप्त सुधार आया है और घरेलू उद्योग ने अप्रैल-जून, 2020 में पर्याप्त लाभ अर्जित किया है। तथापि, लाभप्रदता में उसके बाद गिरावट आई है और घरेलू उद्योग ने जून, 2021 के बाद से हाल की अवधि में पुनः वित्तीय हानियों का सामना करना शुरू कर दिया है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि एसिटोन की कीमतों में पुनः काफी अधिक गिरावट आई है, जिसके कारण से आईपीए की कीमतों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने अगले कुछ वर्षों के लिए पूर्वानुमान प्रदान किए हैं, जैसा कि आईसीआईएस द्वारा तैयार किया गया है, जो यह दर्शाता है कि एसिटोन और आईपीए की कीमतें कम रहने की संभावना है, जबकि प्रोपाइलेन की कीमतें स्थिर रहने वाली हैं, इस प्रकार प्रोपाइलेन आधारित आईपीए की प्रतिकूल लाभप्रदता है।

ग. जहां तक कुछ अवधियों में अधिक लाभ का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि जहां तक हैंड सेनिटाइजर के निर्माण के लिए आईपीए का उपयोग करने का संबंध है, (क) इसकी कीमतें सरकार द्वारा विनियमित की गई थी और इसीलिए सरकारी अनुदेश के अनुसार कीमतें कम रही; (ख) आईपीए का उपयोग हैंड सेनिटाइजर के लिए करना पहले ही बंद कर दिया गया है; (ग) आईपीए के लिए मांग केवल एक तिमाही (जुलाई - सितंबर, 2020 के लिए) अधिक रहने के बाद विगत के स्तरों से पहले ही कम हो गई हैं। वर्तमान मांग पहले से ही 2019 के स्तरों पर हैं; (घ) आईपीए की कीमतों में वृद्ध फार्मा क्षेत्र में अधिक थीं, जहां पर कि आईपीए का उपयोग एक सोल्वेंट के रूप में (न कि एक कच्चे माल के रूप में) किया गया है और यह एक फार्मा उत्पादक की कुल लागतों में एक बहुत ही कम हिस्सा है।

क्र. सं.	अवधि	उत्पादन	उत्पादन	क्षमता उपयोग	क्षमता उपयोग	बिक्रियां	बिक्रियां	लाभ/हानि	लाभ/हानि	लाभ/हानि	लाभ/हानि
		सूचीबद्ध	(मी. टन)	सूचीबद्ध	(%)	सूचीबद्ध	(मी. टन)	सूचीबद्ध	(लाख रु. में)	सूचीबद्ध	(रु./ मी. टन)
1	2016-17	100	***	100	***	100	***	100	***	100	***
2	2017-18	100	***	100	***	103	***	60	***	58	***
3	अप्रैल' 18 - दिसंबर' 18	86	***	86	***	86	***	-11	(***)	-16	(***)
4	जनवरी' 19 - जून' 19	74	***	74	***	73	***	-54	(***)	-147	(***)
5	जुलाई' 19 - दिसंबर' 19	85	***	85	***	86	***	-86	(***)	-201	(***)
6	जनवरी' 20 - जून' 20	113	***	113	***	118	***	155	***	303	***
7	जुलाई' 20 - दिसंबर' 20	116	***	82	***	115	***	151	***	380	***
8	जनवरी' 21 - मार्च' 21	89	***	62	***	98	***	34	***	214	***
9	अप्रैल' 21 - जून' 21	102	***	72	***	97	***	87	***	427	***
10	जुलाई - 21	138	***	97	***	160	***	-53	(***)	-542	(***)

105. प्राधिकृत अधिकारी यह विचार करते हैं कि यूएस – स्टील सेफगार्ड, जिसका उल्लेख विगत जांच परिणाम यूएस – लाइन पाइप में किया गया है, में पैनल ने यह नोट किया है कि आयातों में जांच की अवधि के अंत तक वृद्धि हुई है अथवा निर्धारण के तत्काल पहले तक वृद्धि हुई है। जबकि जांच की अवधि के अंत में आयातों में कमी आई है, पैनल ने यह पाया है कि जांच परिणाम इस पर निर्भर करेंगे कि क्या विगत वृद्धि फिर भी 'इतनी बढ़ती मात्राओं में आयात किए जा रहे' उत्पाद के परिणामस्वरूप हुई है।

“10.162 इस संबंध में कि कैसे हाल की अवधि के आयातों में वृद्धि हुई है, पैनल ने नोट किया है कि यूएस – लाइन पाइप में पैनल ने जैसा किया वह रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 में “इतनी बढ़ती मात्राओं में..... आयात किए जा रहे” किसी उत्पाद के लिए हैं। अतः निर्धारण के समय आयातों में वृद्धि होने की जरूरत नहीं, जो जरूरी है, वह यह है कि आयातों में वृद्धि हुई है, यदि उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि के साथ ‘आयात करना’ जारी रहता है। अतः पैनल, यूएस – लाइन पाइप में पैनल के दृष्टिकोण के साथ सहमत है कि यह तथ्य कि आयातों में वृद्धि “हाल की” होनी चाहिए, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह जांच प्राधिकारी के निर्धारण के तत्काल पूर्व की अवधि तक जारी रहना चाहिए, न ही जांच की अवधि में अंत तक जारी रहना चाहिए। जैसा कि यूएस – लाइन पाइप में पैनल द्वारा उल्लेख किया गया है, बिल्कुल हाल के आंकड़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन जांच की अवधि के हाल की अवधि के कम हिस्से से संबंधित आंकड़ों को पृथक करके नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, जैसा कि वर्तमान में जारी रहने के लिए “किया जा रहा है” का उल्लेख किया गया है, इसका निहितार्थ यह है कि वर्तमान में आयात उच्चतर (अर्थात् वृद्धि के) स्तर पर रहे हैं।

10.163 क्या व्यक्तिगत मामले में, जांच की अवधि के अंत में आयातों में कमी आई है, यह रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 2.1 की दृष्टि से, आयातों में वृद्धि के परिणामों को रोकता है, अतः यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या बाद में कमी

आने के बावजूद, विगत की वृद्धि कभी भी उत्पाद में (अभी भी) “ऐसी बढ़ती मात्राओं में किए जा रहे आयातों” का परिणाम नहीं है। इस मूल्यांकन में जिस कारक को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वह संगत जांच की अवधि के अंत में वृद्धि की अवधि और मात्रा तथा पहल की वृद्धि में तेजी और मात्रा की स्थिति के लिए उसकी प्रकृति के संबंध में होने चाहिए।

10.164 एक सटीक उदाहरण देने के लिए, बहुत ही कम और बहुत ही हाल की मामूली कमी होने से समग्र वृद्धि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यदि आयातों में कई वर्षों के दौरान पहले ही दस गुना वृद्धि हो चुकी है। इसके विपरीत, अत्यधिक विपरीत उदाहरण देने के लिए, एक ऐसे उत्पाद के संबंध में अधिक बात नहीं की जा सकती, जो “ऐसी बढ़ती मात्राओं में आयात किया जा रहा है” अथवा वास्तव में किसी बढ़ती मात्राओं में आयात किया जा रहा है, यदि निर्धारण के समय आयात की संख्या शून्य के समीप अचानक से आ गई हो अथवा एक ऐसे स्तर पर आ गई हो, जो जांच की अवधि के पहले के किसी स्तर से नीचे के स्तर पर आ गई हो।

10.165 पैल का यह मानना है कि उनकी जांच में, क्या हाल की अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है और क्या आयातों में वृद्धि होने के कारण समान अथवा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादों के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है, सक्षम प्राधिकारी को जैसा कि अनुच्छेद 4.2 (क) द्वारा सुझाव दिया गया है, जांच की अवधि के दौरान आयातों में प्रवृत्ति पर विचार किए जाने की जरूरत है। जबकि अनुच्छेद 4.2 (क) के तहत “सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में.....आयातों में वृद्धि की दर और मात्रा” का मूल्यांकन करने की जरूरत है, पैल को इस तर्क के लिए कोई आधार नजर नहीं आता कि इस दर में प्रायः तेजी आनी चाहिए अथवा यह कि यह दर जांच की अवधि के दौरान हर समय सकारात्मक होनी चाहिए।

106. पैल के निष्कर्षों पर अपील निकाय द्वारा रोक लगाई गई थी जिसमें यह नोट किया गया है :-

“367. हम संयुक्त रूप के साथ सहमत हैं कि अनुच्छेद 2.1 के तहत यह अपेक्षित नहीं है कि आयातों में, निर्धारण के समय वृद्धि होने की जरूरत है, इसकी बजाय इस वाक्यांश का स्पष्ट अर्थ, ‘इतनी बढ़ती मात्रा में आयात किए जा रहे हैं,’ केवल यह दर्शाता है कि आयातों में वृद्धि होनी चाहिए और यह कि संगत उत्पादों को ऐसी वृद्धि की मात्रा में ‘आयात किया जाना’ जारी रहा। हम यह भी विश्वास नहीं करते कि जांच की अवधि के अंत में आयातों में कमी आने से आवश्यक रूप से जांच प्राधिकारी निष्कर्ष पर रोक लगाएंगे कि फिर भी उत्पादों को ‘इतनी बढ़ती मात्रा’ में आयात किया जाना जारी रहा।”

107. वर्तमान मामले में, जांच की अवधि के अंत में उत्पादों को वृद्धि की मात्राओं में आयात किया गया है। बाद में, जबकि तत्काल पूर्व के छः माह की तुलना में आयातों की मात्रा में गिरावट आई, लेकिन उत्पाद को ‘वृद्धि मात्राओं’ में आयात किया जाना जारी रहा।

XI. कारणात्मक संबंध

108. विश्व व्यापार संगठन के पैल में “कारण संबंध” का निर्धारण करने के लिए कोरिया-डेयरी में नीचे निम्नानुसार उल्लेख था:

“अपने कारणात्मक संबंध का आकलन करने में, हमारा यह मत है कि राष्ट्रीय प्राधिकार को इस तथ्य का विश्लेषण करने और उसका निर्धारण करने की आवश्यकता है कि क्या उद्योग में घटनाक्रम, गंभीर क्षति को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय प्राधिकार द्वारा विचार किए गए घटनाक्रम बढ़े हुए आयातों के कारण हुए हैं। अपने कारण संबंध के आकलन में, राष्ट्रीय प्राधिकार का यह दायित्व है कि वह उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले वस्तुनिष्ठ और मात्रा बताने योग्य प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन करे। इसके अलावा, यदि राष्ट्रीय प्राधिकार ने बढ़े हुए आयातों को छोड़कर उन कारकों की पहचान की है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे कारकों के कारण हुई क्षति पर विचार इस रूप में नहीं किया गया है कि इसके कारण बढ़े हुए आयातों के द्वारा क्षति पहुंचाई गई है। कारणात्मक संबंध सिद्ध करने के लिए, कोरिया को यह दर्शाना है कि इसके घरेलू उद्योग को क्षति बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप होती है। अन्य शब्दों में, कोरिया को यह दर्शाना है कि एसएमपीपी के आयात दूध का पाउडर और कच्चे दूध का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, कोरिया के प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह बढ़े हुए आयातों को अन्य कारकों के द्वारा हुई क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए।

109. यूएस-व्हीट ग्लूटेन के मामले में, अपीलीय प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध की आवश्यकता के बारे में निम्नानुसार नोट किया:

"67. हम अनुच्छेद 4.2(ख) के प्रथम वाक्य के साथ अपना तर्क शुरू करते हैं। उस वाक्य में यह प्रावधान है कि निर्धारण "तब तक नहीं किया जाएगा यदि जांच बड़े हुए आयातों और गंभीर क्षति अथवा उसके खतरे के बीच कारणात्मक संबंध का होना दर्शाता हो....।" (बल दिया गया है) इस प्रकार अनुच्छेद 4.2(क) के अंतर्गत निर्धारण के लिए आवश्यकता यह है कि "कारणात्मक संबंध" मौजूद है। "कारणात्मक" शब्द का अभिप्राय "कारण अथवा कारणों से संबंधित" है जबकि बदले में शब्द "कारण" कम से कम दो तत्वों के बीच संबंध को दर्शाता है जिसके द्वारा प्रथम तत्व ने कुछ तरीके से दूसरे तत्व के मौजूद होने को "प्रकाशित", "उत्पादित" अथवा "आरंभ किया" है। "संबंध" शब्द केवल इसको दर्शाता है कि बड़े हुए आयातों ने गंभीर क्षति के बारे में भूमिका निभाई है अथवा उसमें योगदान किया है ताकि इन दो तत्वों के बीच कारणात्मक "संबंध" अथवा "गठजोड़" है। इन शब्दों को एकसाथ लेने पर, "कारणात्मक संबंध" पारिभाषिक शब्द का मतलब हमारे विचार से कारण और प्रभाव का संबंध है जिससे कि बड़े हुए आयात गंभीर क्षति "लाने", "पैदा करने" अथवा "आरंभ करने" में योगदान करता है। यद्यपि यह कि यह अंश योगदान अपेक्षित "कारणात्मक संबंध" के मौजूद रहने को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट होना चाहिए, अनुच्छेद 4.2(ख) के पहले वाक्य में भाषा नहीं दर्शाती है कि बड़े हुए आयात गंभीर क्षति का एकमात्र कारण हो अथवा यह कि क्षति पहुंचाने वाले "अन्य कारकों" को गंभीर क्षति के निर्धारण से अवश्य बाहर किया जाना चाहिए। इसके विपरीत, अनुच्छेद 4.2(ख) की भाषा समग्र रूप में यह दर्शाती है कि बड़े हुए आयातों और गंभीर क्षति के बीच "कारणात्मक संबंध" मौजूद हो सकता है यद्यपि अन्य कारक भी "घरेलू उद्योग" की स्थिति में "एक ही समय में" योगदान कर रहे हों।"

110. उपर्युक्त न्याय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर, प्राधिकृत अधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या आयातों और गंभीर क्षति तथा गंभीर क्षति के खतरे जिसे घरेलू उद्योग द्वारा सामना किया जा रहा है, के बीच कारणात्मक संबंध है। प्राधिकृत अधिकारी इस संबंध में नीचे दिए गए अनुसार नोट करते हैं:
 - क. जांच की अवधि के दौरान आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप जबकि इसके आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
 - ख. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। साथ ही साथ घरेलू उद्योग की बिक्री में भी गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आयातों में वृद्धि का परिणाम था।
 - ग. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता का उपयोग घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में गिरावट के परिणामस्वरूप कम हुई।
 - घ. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी। इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में लाभ के संबंध में उस सीमा तक गिरावट आई कि घरेलू उद्योग को अत्यधिक वित्तीय हानि उठानी पड़ी।
111. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि कोई कारणात्मक संबंध नहीं है क्योंकि पहुंच कीमत में इस अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योगी की लाभप्रदता में गिरावट आई है। हालांकि यह देखा जाता है कि आयातों के कारण घरेलू कीमतों में कटौती हो रही थी और घरेलू कीमत को कीमत न्यूनीकरण का सामना करना पड़ रहा था। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में लागत की प्रवृत्तियों के अनुरूप वृद्धि करने में सक्षम नहीं हो पाया है जिसके फलस्वरूप लाभप्रदता में गिरावट आई।
112. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग की क्षति स्वयं ही निर्मित की गई है क्योंकि आवेदक ने स्वयं ही वस्तुओं का आयात किया है। तथापि, यह देखा गया है कि यदि आवेदक द्वारा किए गए आयातों को बाहर किया जाता है तो आयातों में अत्यधिक मात्रा में वृद्धि दिखाई देती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अन्यो की कीमतों से अधिक कीमत पर उत्पाद का आयात किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने घरेलू उद्योग के लाभ को केवल निर्माण प्रचालन से बाहर किया है। प्राधिकृत अधिकारी ने व्यापार प्रचालनों पर विचार नहीं किया है। तथापि, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को, यहां तक कि व्यापार प्रचालनों में भी हानि का सामना करना पड़ा है।
113. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग का संयंत्र कच्चे माल की कमी और पानी की कमी के चलते जांच की अवधि के दौरान बंद कर दिया गया था। तथापि, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने विभिन्न कारणों से हर अवधि में बंदी की है। इसमें संयंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हाल की अवधि के दौरान बंद किया गया था, जोकि आयातों के कारण था। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि बंदी के कारण उत्पादन की हानि को भी उत्पादन में जोड़ा गया है। अतः यह देखा गया है कि

घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग की प्रवृत्ति अभी भी वही प्रवृत्ति दिखा रही है। इस प्रकार यह देखा गया है कि उत्पादन और क्षमता उपयोग में गिरावट संयंत्र के बंद होने के कारण नहीं है।

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
बाजार के कारण बंदी	दिवस	***	***	***	***	***
अन्य बंदी	दिवस	***	***	***	***	***
कुल	दिवस	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	57	114	148	162

विवरण	इकाइयां	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.- दिसं.19 वार्षिक
स्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
उत्पादन(समायोजन)	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	89	75	88
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	89	75	88

114. हितबद्ध पक्षकारों ने आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित कच्ची सामग्री की कीमत, प्रभाव, आपूर्तिकर्ता समस्याएं, पानी की अत्यधिक कमी, वित्तीय ऋण बाजार की गहन समस्या सोल्वेंट की कीमतों में गिरावट, ईरान के खिलाफ यूएसए की बदलती नीतियां, चीन से आईपीए का पाटन और उर्वरक उद्योग में समग्र मंदी के संबंध में विभिन्न टिप्पणियां की है। यह नोट किया जाता है कि इनमें ऋण बाजार, फर्टिलाइजर बाजार, अन्य सोल्वेंट, यूएसए की नीतियों इत्यादि के संबंध में कुछ टिप्पणियां वर्तमान जांच के संबंध में नहीं हैं। कच्ची सामग्री की कमी और पानी की कमी के प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप संयंत्र बंदी पर भी यहां ऊपर विचार किया गया है। जहां तक चीन से उत्पाद के पाटन का संबंध है, इसकी, इस जांच परिणाम के संगत खंड में जांच की गई है। अतः महानिदेश ने यह पाया है कि यह क्षति बढ़ते आयातों के कारण से है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा ऐसे जांच परिणामों को बदलने के लिए कोई सामग्री नहीं रखी गई है।

115. प्राधिकृत अधिकारी का निष्कर्ष इस प्रकार है:

- क. आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में और उत्पादन व खपत, दोनों संदर्भ में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- ख. आयातों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा को नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के बाजार अंश में एक गिरावट आई है, जबकि आयातों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है।
- ग. चूंकि घरेलू उद्योग के समक्ष बिक्रियों और बाजार अंश में गिरावट की समस्या आई है, अतः यह अपने उत्पादन में कटौती करने पर भी मजबूर था।
- घ. उत्पादन में गिरावट के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग पर प्रभाव पड़ा है।

- ड. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत से कम कीमत कीमत पर आयात हो रहे हैं।
- च. कम कीमत के आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपनी लाभप्रदता से समझौता करने पर विवश हुआ क्योंकि लागत के अनुसार अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया था।
- छ. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई। घरेलू उद्योग को हाल की अवधि में वृद्धि की सीमा तक अप्रैल-दिसंबर, 2018 तक महत्वपूर्ण हानि उठानी पड़ी।

116. इस प्रकार, एक उद्देश्यपरक और मात्रात्मक प्रकृति के सभी संगत कारकों का मूल्यांकन, जिनका घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और आयातों में वृद्धि के बीच कारणात्मक संबंध के निर्धारण से कोई संबंध है, यह दर्शाता है कि बढ़ते आयातों के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।

XII. अलग-अलग देशों से आयात

117. हितबद्ध पक्षकारों ने यह दावा किया है कि कोरिया को उपायों के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि कोरिया आयात क्षति का बड़ा कारण नहीं है और कोरिया से आयातों में कमी आ रही है। यह नोट किया जाता है कि कोरिया, जो कि एक विकसित देश है, से आयातों में कुल आयातों का 17 प्रतिशत है और इस प्रकार, आयातों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। इसके अलावा, कोरिया से आयातों की कीमत अन्य देशों जैसे चीन से आयातों की कीमत से तुलनात्मक हैं जो कि नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है। रक्षोपाय जांच सभी स्रोतों से भारत में आयातों के संबंध में है और कानून के तहत विकासशील देशों को प्रदान की गई छूटों को छोड़कर गैर-पक्षपात आकार पर सभी आयातों के संबंध में शामिल किया जाना चाहिए।
118. यह अनुरोध किया गया है कि यदि आवेदक द्वारा किए गए आयातों को बाहर किया जाता है तो कोरिया से शेष आयात नगण्य होगा। डीजीटीआर ने इसकी जांच की है और यह पाया है कि:

से आयात	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. - 18 वार्षिक	जन.-जून - 19 वार्षिक	जुला.-दिसं.19 वार्षिक
चीन जन.गण.	रु./मी.ट.	55,912	63,009	67,891	58,244	47,642
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	121	104	85
कोरिया गणराज्य	रु./मी.ट.	53,372	62,688	68,983	58,687	49,312
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	129	110	92
अन्य देश	रु./मी.ट.	54,454	61,875	68,137	58,660	51,089
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	114	125	108	94

119. इस प्रकार यह देखा गया है कि यदि आवेदक द्वारा किए गए आयातों को बाहर किया जाता है तो कोरिया गणराज्य से शेष आयातों में वृद्धि दिखाई गई है, जो कि न केवल भारत में आयातों के संबंध में है बल्कि कोरिया से आयातों के संबंध में भी है। कुल आयातों में ऐसे आयातों का हिस्सा काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, जब कोरिया से अन्य पक्षकारों द्वारा आयात पहले काफी कम थे तो उसमें अप्रैल-दिसंबर, 2018 में काफी वृद्धि हुई है और हाल की अवधि में काफी हिस्सा शामिल है। अतः यह देखा गया है कि कोरिया गणराज्य से आयात मुख्यतः आवेदक द्वारा नहीं किए गए हैं और इससे भारत में आयातों का महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है।
120. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक ने यह नहीं प्रदर्शित किया है कि कोरिया के संबंध में आयातों में वृद्धि के लिए अप्रत्याशित विकास है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि रक्षोपाय कानूनों में यह प्रावधान नहीं है कि अप्रत्याशित विकास की जांच प्रत्येक देश के लिए अलग-अलग की जानी अपेक्षित है। इसकी बजाय, अप्रत्याशित विकास को भारत में कुल आयातों के संबंध में देखा जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में, कोरियाई उत्पादकों/निर्यातकों ने यह स्थापित नहीं किया है कि उनका कीमत संबंधी व्यवहार वर्तमान मामले में अभिज्ञात अप्रत्याशित विकास के कारण से था।

XII. समायोजन योजना

121. रक्षोपाय के संबंध में डब्ल्यूटीओ करार में घरेलू उद्योग द्वारा एक समायोजन योजना अपेक्षित है। इस संबंध में रक्षोपाय संबंधी करार में यह प्रावधान है कि:

“संरचनात्मक समायोजन की महता और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा को सीमित करने की बजाय वृद्धि करने की जरूरत को पहचानते हुए”

122. रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 5.1 के तहत यह प्रावधान है कि एक सदस्य के लिए रक्षोपाय के उपाय केवल गंभीर क्षति को रोकने अथवा दूर करने के लिए और समायोजन की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार लागू होंगे। रक्षोपाय संबंधी करार के अनुच्छेद 7.1 के तहत एक डब्ल्यूटीओ सदस्य देश पर केवल ऐसी समय अवधि के लिए रक्षोपाय उपाय लागू होंगे जो समायोजन की सुविधा के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 7.4 के तहत यह प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में समायोजन के लिए, जहां पर कि एक रक्षोपाय उपाय की अपेक्षित अवधि, अनुच्छेद 12 के पैरा के प्रावधानों के तहत अधिसूचित एक वर्ष से अधिक की है, उपाय के लिए अनुरोध करने वाले सदस्य आवेदन की अवधि के दौरान नियमित अन्तराल पर इसे निरंतर आसान बनाएं। यह प्रावधान मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 9(1), नियम 10, नियम 13 और नियम 4(घ)(ii) के समान हैं। इसके अलावा नियमावली के नियम 5(2) के तहत यह प्रावधान है कि:

“(2) उप नियम (1) के संदर्भ में आवेदन इन नियमों के साथ अनुबंध फार्म में किए जाएंगे और उनमें साथ में.....।”

(ख) “आयातों के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए किए गए अथवा किए जाने हेतु नियोजित अथवा दोनों के लिए एक सकारात्मक समायोजन के लिए एक विवरण.....।”

123. समायोजन योजना के संबंध में अपेक्षा को, कोरिया-डेयरी उत्पाद पैनल द्वारा स्पष्ट किया गया है जो इस प्रकार है:

“7.108 हम इसे स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम प्राधिकारियों द्वारा एक समायोजन योजना के विचार के लिए अपेक्षित अनुच्छेद 5.1 की व्याख्या नहीं करते जैसाकि यूरोपीय समुदाय मानता है। पैनल ने कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं पाई है कि एक समायोजन योजना के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए और रक्षोपाय संबंधी करार के पाठ में विचार किया गया है। यद्यपि इसमें दो प्रावधानों में उद्योग के समायोजन के लिए संदर्भ हैं, लेकिन रक्षोपाय संबंधी करार में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि एक विशिष्ट समायोजन योजना पर विचार करना, अपनाए जाने वाले उपायों से पूर्व अपेक्षित है। इसकी बजाय, हम यह विश्वास करते हैं कि समायोजन का प्रश्न और गंभीर क्षति को रोकने अथवा दूर करने का प्रश्न प्राधिकारियों का एक भाग होना चाहिए। फिर भी, हम नोट करते हैं कि एक समायोजन योजना की, रक्षोपाय उपाय के आवेदन के संदर्भ में जांच, एक सशक्त कारण होगा, जिस पर प्राधिकारी ने यह विचार किया है कि क्या यह उपाय गंभीर क्षति को रोकने या दूर करने और समायोजन की सुविधा के उद्देश्य के अनुसार था।”

124. वर्तमान मामले में, आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि किसी भी अप्रत्याशित विकास के साथ समायोजन से आयातों में वृद्धि नहीं हुई है, यह एक एसीटोन आधारित संयंत्र की स्थापना की प्रक्रिया में है। आवेदक ने देश में एक एसीटोन आधारित प्रोपाइलिन संयंत्र की स्थापना के संबंध में संगत सूचना प्रदान की है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा की गई समायोजन योजना वर्तमान प्रयोजन के लिए उचित और पर्याप्त है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों के दावे के प्रतिकूल, आवेदक द्वारा तैयार की गई समायोजन योजना अस्पष्ट और सामान्य है। चूंकि एसीटोन आधारित आईपीए के कारण आयातों की वृद्धि होने से यह प्रोपाइलिन आधारित आईपीए से अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहा है, अतः यह तर्कसंगत है कि अब आवेदक एसीटोन आधारित संयंत्र की स्थापना करके सकारात्मक समायोजन करना चाहता है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जहां आवेदक के पास एसीटोन आधारित और प्रोपाइलिन आधारित दोनों प्रकार के संयंत्र होंगे।
125. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि समायोजन योजना की व्यवहार्यता एसीटोन पर निर्भर करती है, क्योंकि यह सस्ती कच्ची सामग्री है और यदि एसीटोन की कीमतें 4 वर्षों के अन्त में कम नहीं हैं तो समायोजन योजना पूरी नहीं होगी। तथापि, आवेदक द्वारा प्रदान की गई आईसीआईएस रिपोर्ट यह दर्शाती है कि प्रोपाइलिन की तुलना में एसीटोन अधिमानी फीडस्टॉक है और अब के नए संयंत्र एसीटोन आधारित हैं। आवेदक ने यह दर्शाने के लिए साक्ष्य प्रदान किए हैं कि लगभग सभी हाल के विस्तार, 2019 में एलजी कैम द्वारा क्षमता विस्तार को छोड़कर, एसीटोन आधारित हैं। हाल का क्षमता वर्धन जिसमें कच्ची सामग्री के लिए एसीटोन का उपयोग होता है, न्यूनतम कुल 7 लाख मी.टन है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एसीटोन आधारित आईपीए को ऐसे उत्पादों द्वारा, जो आगे क्षमताएं स्थापित कर रहे हैं, अधिक व्यवहार्य माना जा रहा है। किसी भी

मामले में, आवेदक के पास दोनों फीडस्टॉक्स के साथ पौधे होंगे, और इस प्रकार किसी भी निर्माता की तुलना में दीर्घकालिक आधार पर अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, केवल एक फीडस्टॉक आधारित संयंत्र होगा

126. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए जांच परिणामों के संबंध में, प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि समायोजन योजना की उपयुक्तता के संबंध में कोई निर्णय मामला दर मामला आधार पर निर्धारित पक्षों द्वारा भरोसा किया, वे अलग होने के कारण, उन मामलों में आपत्तियां वर्तमान मामले में लागू नहीं हैं।
127. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एक समायोजन न होने पर, घरेलू उद्योग द्वारा किए जाने वाले समायोजन के अपेक्षित स्तर के साथ, मात्रात्मक प्रतिबंधों की मात्रा में लिंक करना संभव नहीं है। यह नोट किया जाता है कि मात्रात्मक प्रतिबंधों का स्तर, विगत तीन वर्षों के दौरान आयातों की मात्रा के आधार पर होगा। इसके अलावा, आवेदक की क्षमता में, इसमें एसिटोन आधारित संयंत्र की स्थापना के बाद वृद्धि होगी, जिससे भारत में मांग को पूरा करने में इसकी क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा, रक्षोपाय उपायों को इस अवधि के दौरान आसान किया जाना अपेक्षित है।
128. अतः उपरोक्त को देखते हुए और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई समायोजन योजना को देखते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने यह पाया है कि प्रस्तुत की गई समायोजन योजना, आयातों में वृद्धि के लिए सकारात्मक समायोजन के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा, उपायों के दौरान समायोजन संयंत्र कार्यान्वयन का उचित मूल्यांकन किया जाएगा, या तो डीजीटीआर की अपनी पहल पर या इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर।

XIV. सार्वजनिक हित

129. रक्षोपाय करार के अनुच्छेद 3.1 के तहत प्रावधान इस प्रकार हैं:

"कोई सदस्य जीएटीडी 1994 के अनुच्छेद X के अनुसार पूर्व में स्थापित और सार्वजनिक की गई प्रक्रिया के अनुसरण में उस सदस्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा केवल एक जांच करके एक रक्षोपाय उपाय के लिए आवेदन कर सकता है। इस जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों और सार्वजनिक सुनवाईयों या अन्य उपयुक्त साधनों के लिए उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस शामिल होगा, जिसमें कि आयातक, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकार साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे और अपने विचार दे सकेंगे जिसमें अन्य के साथ साथ अन्य पक्षकारों के प्रतिवेदन और अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर शामिल है कि चाहे एक रक्षोपाय उपाय का आवेदन सार्वजनिक हित में हो अथवा नहीं। सक्षम प्राधिकृत अधिकारी अपने परिणामों को तय करने और तथ्य तथा कानून से संबंधित सभी मामलों के तर्कसंगत निष्कर्ष के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे।"

130. उपरोक्त को देखते हुए, यह जांच करने की जरूरत है कि क्या रक्षोपाय उपाय लागू करना सार्वजनिक हित में होगा। यद्यपि केवल अनुच्छेद 3.1 के तहत मूल्यांकन के ढंग पर कोई दिशा-निर्देश नहीं प्रदान करता, लेकिन अन्य के साथ-साथ सार्वजनिक हित का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न हितधारकों पर व्यापक रक्षोपाय के प्रभाव का मूल्यांकन करना और विभिन्न हितबद्ध पक्षों के प्रतिस्पर्धी हितों को देखते हुए, एक संतुलित दृष्टिकोण लिया जाना आवश्यक है।
131. उपायों के प्रभाव के संबंध में, आवेदक ने ऐसी सूचना प्रदान की है, जो यह स्थापित करती है कि अन्तिम उत्पाद पर किसी कीमत वृद्धि का प्रभाव अपर्याप्त होगा, जैसाकि निम्नलिखित से देखा गया है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच एक मात्रात्मक प्रतिबंध है और वर्तमान जांचों के परिणामस्वरूप कोई भी शुल्क लगाने का प्रस्ताव नहीं है। प्रस्तावित उपायों से केवल मात्रा नियंत्रित होगी। तथापि, आयात होने जारी रहेंगे और बाजार में कीमत बैंचमार्क प्रभाव होना जारी रहेगा। डीजीटीआर ने अप्रैल-2016 से जून- 2021 तक की अवधि के दौरान (63 महीने) मांग में वृद्धि दर और विकास के अतिरिक्त उपयुक्त कारक द्वारा औसत सीमा को बढ़ाकर इसे सितंबर 2021 तक ले गए और विचार करने के बाद कोटा निर्धारित किया है और प्रगतिशील उदारीकरण के लिए भी इसे बनाए रखा है।

हिस्सा	अनुमानित खपत	इकाई	औसत खुदरा कीमत	बिक्री कीमत पर शुल्क का प्रभाव	बिक्री कीमतों पर शुल्क का प्रभाव	बिक्री कीमतों पर शुल्क का प्रभाव %
	प्रति वार्षिक मी.ट.		रु. प्रति इकाई	किग्रा / इकाई		
फार्मा	73%	किग्रा.	1,000	***	***	0.42%

सेनीटाइजर	3%	एलटी	500	***	***	1.45%
अन्य	24%	केजी	500	***	***	0.22%
औसत	100%		867		***	0.41%

132. यह देखा गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध डेटा यह दर्शाते हैं कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है; जिससे कीमतों, बिक्री और परिणामी बाजार अंश, ह्रासकारी और दमन का प्रभाव है, घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में काफी गिरावट आई है जिसके चलते महत्वपूर्ण वित्तीय हानि हुई है। आवेदक द्वारा प्रदान किया गया डेटा यह दर्शाता है कि आयातों का एक महत्वपूर्ण अंश एक ऐसी कीमत पर था, जो घरेलू उद्योग की परिवर्तनीय लागत से कम थी। इस प्रकार, यदि कोई उपाय नहीं किए जाते, तो यह घरेलू उद्योग के लिए प्रचालनों को जारी रखने के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। अतः उपायों को लगाने से यह सार्वजनिक हित के खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि यह घरेलू उद्योग के प्रचालनों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
133. हैंड सेनिटाइजर्स पर प्रभाव - हैंड सेनिटाइजर्स के उत्पादन में आईपीए का उपयोग नोट किया गया है। इसलिए, हैंड सेनिटाइजर्स के उत्पादन और मूल्य पर सुरक्षा उपायों के संभावित प्रभाव की जांच की गई। इस संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक हैं
- क. भारत ने 30 जून, 2020 तक मास्क और सेनिटाइजर्स को अनिवार्य वस्तुओं के रूप में अधिसूचित किया था। हालांकि, उसके बाद से इसे अनिवार्य वस्तुओं की सूची से हटा लिया गया है।
 - ख. हैंड सेनिटाइजर्स के लिए बेचे गए आईपीए की कीमत को सरकार द्वारा विनियमित किया गया था, जो सुनिश्चित करता है कि आईपीए के आपूर्तिकर्ता इन विनियमित कीमतों पर आईपीए की बिक्री करेंगे। इसलिए, कीमत, जिस पर हैंड सेनिटाइजर्स के उत्पादन के लिए आईपीए की बिक्री की गई थी, ने हैंड सेनिटाइजर्स के उत्पादन की लागत को प्रभावित नहीं किया है।
 - ग. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि आईपीए के केवल छोटे समानुपात का हैंड सेनिटाइजर्स के उत्पादन में उपयोग किया जाता है।
 - घ. सरकार ने पहले ही सेनिटाइजर्स पर निर्यातों पर लागू प्रतिबंधों में ढील दे दी है।
 - ड. आवेदक ने निवेदन किया है कि सेनिटाइजर्स की मांग में पहले ही गिरावट आनी शुरू हो गई है।
 - च. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी दावा किया है कि आईपीए की 80 प्रतिशत खपत फार्मास्युटिकल क्षेत्र में है और इसलिए सेनिटाइजर्स में खपत निम्न है।
134. इसलिए, यह पाया गया कि संरक्षोपाय उपायों को लागू किये जाने से हैंड सेनिटाइजर्स की लागत और कीमत को प्रभावित नहीं करेगा। संरक्षोपाय उपायों को लागू किया जाना इस कारण से सार्वजनिक हित के विरुद्ध नहीं होगा।
135. फार्मास्युटिकल उद्योग पर प्रभाव - हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि संरक्षोपाय उपायों को लागू किया जाना फार्मास्युटिकल उद्योग को प्रभावित करेगा क्योंकि 80 प्रतिशत आईपीए इस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पक्षकारों ने दावा किया है कि आईपीए उत्पादन की लागत का 7 से 10 प्रतिशत का योगदान करता है। घरेलू उद्योग का दावा है कि आईपीए के कारण लागतों में बहुत कम हिस्सेदारी होती है। हालांकि, लागत के 7 से 10 प्रतिशत के हिस्से पर विचार करते हुए भी, उपायों के प्रभाव को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता, चाहे यदि उत्पाद की कीमत इन उपायों के कारण कुछ सीमा तक बढ़ जाए। तथापि, क्योंकि कोई शुल्क लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित नहीं हैं, यह विचार किया जाना उचित नहीं होगा कि उपाय उत्पाद की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे।
136. हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि मात्रात्मक प्रतिबंध लगाये जाने से आवेदक एकाधिकार की स्थिति में होंगे। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने स्वयं विचाराधीन उत्पाद का आयात कर विगत में भी एकाधिकारवादी स्थिति प्राप्त की है। हालांकि, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में अनेक मापदंडों के कारण गिरावट आई है जो ऐसा मामला नहीं हो सकता था, यदि घरेलू उद्योग एकाधिकारवादी स्थिति में होते। इसके अलावा, शुल्कों को लगाये जाने के बाद भी, आयातों, आवेदक और अन्य घरेलू उत्पादक, दीपक फिनोलिक लिमि. के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी। इस शुल्क के परिणामस्वरूप आयातों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा और क्यू आर शुल्क की आगे सिफारिश अप्रैल 2016 से जून-

2021 तक की अवधि के दौरान (63 महीने) मांग में वृद्धि दर और विकास के अतिरिक्त उपयुक्त कारक द्वारा औसत सीमा को बढ़ाकर इसे सितंबर 2021 तक ले गए।

137. इसके अलावा, शुल्कों की मात्रा का निर्धारण वर्तमान और भावी मांग को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मांग – आपूर्ति में कोई अंतर नहीं हुआ है, आवेदक और दीपक फिनोलिक लिमि. की क्षमताओं में सह-संबंध इस प्रकार की भावी मांग के साथ स्थापित किए गए हैं। इस कारण से, यह शुल्क आगे की क्षति से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करते समय इस उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
138. हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना तथा साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी का विचार है कि संरक्षोपाय उपायों को लागू किया जाना सार्वजनिक हित के विपरीत नहीं होगा। इसके अलावा, यदि उपाय लागू नहीं किया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को इसकी क्षमताओं को बढ़ाने और इसके प्रचालनों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा। अधोमुखी उद्योग पर ऐसे उपायों का प्रभाव घरेलू उद्योग और देश पर उपायों के लागू न किए जाने के प्रभाव की तुलना में काफी कम है।

XV. उचित उपाय के रूप में पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निवेदन

139. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है चूंकि घरेलू उद्योग को क्षति चीन से कम कीमत वाले आयातों में उछाल के कारण है और इसलिए वर्तमान मामले में उपयुक्त उपचार पाटनरोधी शुल्क है और न कि संरक्षोपाय कार्रवाई। उन्होंने आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों का भी आश्रय लिया है जिसमें यह कहा गया है कि यह चीन जन.गण. से उत्पाद के पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहा है। तदनुसार, हितबद्ध पक्षकारों ने मात्रात्मक प्रतिबंध नियमावली के नियम 8(ख) की शर्तों में वर्तमान जांच की समाप्ति के लिए अनुरोध किया है।
140. इस संबंध में, यह नोट किया गया कि पाटनरोधी उपायों को केवल अनुचित आयातों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, जहां निर्यातक कीमत भेदभाव में संलग्न हैं। वर्तमान मामले में, घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि आयातों की कीमत निर्यातकों द्वारा प्रयोग की जा रही सस्ती कच्ची सामग्री के कारण निम्न है। इसके अलावा, एसीटोन आधारित संयंत्र के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया लागत अनुमान यह दर्शाता है कि पाटन के कारण नहीं है बल्कि एसीटोन आधारित संयंत्र और प्रोपलीन आधारित संयंत्र के बीच लागत अंतर है जिसके कारण कीमतों में कमी और परिणामस्वरूप आयातों में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की लागत प्रोपलीन आधारित आईपीए के कारण अपनी अप्रतिस्पर्धात्मक की वजह से अधिक है। क्योंकि, आयातों की कीमत एसीटोन का प्रयोग करते हुए निम्न उत्पादन लागतों के कारण निम्न है, आयातों की निम्न कीमतें पाटन के कारण नहीं हैं।
141. विरोधी पक्षकारों का दावा है कि आवेदक द्वारा इसकी वार्षिक रिपोर्ट में किए गए अवलोकन ही मार्गदर्शक कारक होने चाहिए। तथापि, प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया कि चूंकि आवेदक यह निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है कि क्या पाटन मौजूद है न ही शब्द “पाटन” के प्रयोग द्वारा अनिवार्य रूप से सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत अंतर का संदर्भ देना चाहिए। पाटन का उल्लेख उभरती हुई आयात मात्राओं के संदर्भ में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के निवेदनों के विपरीत, आवेदक न केवल चीन जन.गण. बल्कि अन्य देशों से आयातों के द्वारा भी दुखी है। आवेदक ने चीन जन.गण. में स्थितियों का हवाला दिया है। यह इस कारण से हो सकता है कि अकेले चीन जन.गण. से आयात कुल आयातों का 63 प्रतिशत ठहरता है। तथापि, रिकॉर्ड पर उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि अन्य देशों से आयात कीमत तुलनीय है। अन्य देशों से आयात कीमतें भी चीन जन.गण. से आयात कीमत के साथ-साथ संचालित होती हैं। इस प्रकार, घरेलू बाजार को क्षति चीन से आयातों तक सीमित नहीं है।

से आयात	इकाई	2016-17	2017-18	अप्रैल-दिसं. -18	जन.-जून - 19
चीन जन.गण.	रू./मी.ट.	55,912	63,009	67,891	58,244
अन्य देश	रू./मी.ट.	54,197	62,096	68,449	58,662
कुल	रू./मी.ट.	54,328	62,275	68,196	58,399

XVI. विकासशील देश

142. विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(1) के परंतुक व्यवस्था की गई है कि किसी विकासशील देश के मूल की वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लागू किए जाएंगे जब तक कि आयातों का हिस्सा उस वस्तु के

कुल आयातों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता अथवा वस्तु एक से अधिक विकासशील देश के मूल की है, तब, जब तक सभी ऐसे विकासशील देशों से आयातों का कुल जोड़, प्रत्येक के एक साथ लिए गए 3 प्रतिशत से कम आयात शेयर के साथ, उन वस्तुओं के कुल आयातों का 9 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी. जी. एफ. टी.) ने विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के अनुभाग 9A(4)(a) के अंतर्गत फा.सं. 01/92/180/106/एएम-11/पीसी-VI/पीआरए, दिनांक 31.01.2013, वाली अधिसूचना सं. जीएसआर 59 (ई) से विकासशील देशों की सूची जारी की थी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया है कि विकासशील देशों की सूची को बाद में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 19/2016-कस्टम (एनटी), दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत संशोधित किया गया है।

143. विकासशील देशों की सूची के मध्य, चीन जन.गण. और कोरिया जन.गण. से आयात पृथक-पृथक रूप से 3 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं। अन्य विकासशील देश का हिस्सा पृथक रूप से कुल आयातों के 3 प्रतिशत से कम है और विकासशील देशों का संग्रहित हिस्सा, जो 3 प्रतिशत से कम के लिए उत्तरदायी हैं, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसलिए, चीन जन.गण. और कोरिया जन.गण. के अलावा विकासशील देशों के मूल के विचाराधीन उत्पाद के आयात विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क(1) के परंतुक की शर्तों में प्रस्तावित मात्रात्मक प्रतिबंधों के उदग्रहण के अध्यधीन नहीं होने चाहिए।

XVII. उपाय लगाने के लिए प्रचालनात्मक पहलू

144. की प्रक्रिया के दौरान व्यक्त की गई एक प्रमुख चिंता यह है कि भारत के पास मात्रात्मक प्रतिबंधों की मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक प्रचालन संबंधी प्रावधान नहीं हैं। आयातकों ने आशंका व्यक्त की है कि यदि इन वस्तुओं को भारत में कोटा प्रतिबंधों के कारण मंजूरी नहीं दी जाती है तब एकमात्र रास्ता इस प्रकार के आयातों को नष्ट करना होगा। रक्षोपाय (यू आर) नियमावली को ध्यान में रखकर, डी जी टी आर देश विशिष्ट आधार पर कोटे के आवंटन की सिफारिश कर रहे हैं। इन आयातों की अनुमति कोटे की इलेक्ट्रॉनिक/ रियल टाइम मॉनिटरिंग को आसान बनाने के लिए ही ई डी आई पोर्ट के माध्यम से दी जाएगी। यह कोटा तिमाही आधार पर मॉनिटर किया जायेगा। किसी तिमाही में अनुमति दिए गए कुल आयात उस तिमाही और अगली तिमाही के कुल योग से अधिक नहीं होंगे। एक तिमाही के लिए किसी उपयोग न किये गये कोटे को अगले तिमाही में जोड़ा जायेगा। इसके अलावा, एक तिमाही के लिए किसी अत्यधिक रूप से उपयोग किये गये कोटे की कटौती अगली तिमाही के लिए कोटे से की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातक और संबद्ध आयातक निर्बाध रूप से मात्राओं को विनियमित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, इस तरीके से कोटे का आवंटन यह सुनिश्चित करेगा आयातकों और निर्यातकों को कोई अनुचित कठिनाइयां नहीं हों। यदि विशिष्ट कोटा वाले देश अपने विशिष्ट कोटे को समाप्त कर देते हैं, तो ऐसे देश उपलब्ध अवशिष्ट कोटे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के लिए और तौर-तरीकों को अधिसूचित किया जा सकता है।

XVIII. निष्कर्ष

145. उपरोक्त जांच और विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि :-

- (i) विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र जांच की अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन के सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- (ii) जनवरी - जून, 2019 की हाल ही की अवधि के साथ अप्रैल 2016 से जून, 2019 तक की जांच की अवधि के दौरान आयातों में तेजी अभी भी, यहां तक कि जून, 2021 तक भी जारी रहने के संबंध में नोट की गई है। मांग में भी बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई है और घरेलू उद्योग के आयातों में कुल आयातों के समानुपात में और साथ ही उनके उत्पादन के समानुपात में भी गिरावट आ रही है।
- (iii) आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग की बिक्री भी मूल POI के बाद गैर घरेलू उद्योग संस्थाओं द्वारा किए गए आयात से कम कीमत का सामना कर रही है।
- (iv) घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों पर, रक्षोपाय नियमावली में बिना किसी रोक के ऐसे घरेलू उद्योग को लाभ प्रदान करने में कोई नीतिपरक कमी नहीं है, जिनका प्रमुख कारोबार और ध्यान निर्माण पर केन्द्रित हो।

- (v) घरेलू उद्योग ने गंभीर क्षति का सामना किया है, जैसा कि बाजार अंश, उत्पादन, बिक्रियों, क्षमता उपयोग, और लाभप्रदता जैसे मापदंडों के संबंध में इसके समग्र निष्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट से स्थापित होता है, जिसमें अभी हाल की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू उद्योग हाल की अवधि के दौरान अत्यधिक हानि का सामना कर रहा है। सभी हितबद्ध पक्षकारों से दिसंबर, 2019 तक के आकड़े मांग गए थे। तथापि, चूंकि करीब 18 माह का समय बीत चुका है, उसके बाद प्राधिकृत अधिकारी ने जून 2021 तक के आयातों और मांग की प्रवृत्ति की जांच भी की है।
- (vi) भारतीय उद्योग ने दो नई क्षमताएं भी देखी हैं। अतः निर्माण उद्योग द्वारा संरक्षण की मांग की जा रही है न कि निर्माता से व्यापारी बने उद्योग द्वारा।
- (vii) आयातों में तेजी से घरेलू उद्योग के निष्पादन में, आयात कीमत में गिरावट और उसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा में वृद्धि, आयातों में तेजी और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की स्थापना के माध्यम से महत्वपूर्ण समग्र क्षति हुई है।
- (viii) उत्पाद के आयातों में वृद्धि हुई है। आयातों में वृद्धि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप और जीएटीटी के तहत भारत द्वारा की गई बाध्यताओं के प्रभाव के कारण से ही तेजी अभी भी आ रही है। इसके अलावा, तेजी और भी अधिक विशिष्ट है क्योंकि घरेलू उद्योग का हिस्सा हटा लिया गया है। घरेलू उद्योग मांग और आपूर्ति के अन्तर के कारण और संबंधित उत्पाद की प्रकृति को देखते हुए तथा घरेलू उद्योग को संगठित करने के लिए प्रयोक्ताओं की जरूरत के अनुसार ऐतिहासिक आयातक रहा है। घरेलू उद्योग का पारंपरिक कारोबारी मॉडल, जो उत्पादन को कम न करके मांग और आपूर्ति की पूर्ति करता था, विदेशी उत्पादकों की आक्रामक कीमत नीति से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
- (ix) प्राधिकृत अधिकारी यह नोट करते हैं कि कलेंडर वर्ष 2020 के दौरान और कलेंडर वर्ष 2021 के प्रथम अर्ध वर्ष के दौरान आयातों में, विगत जांच की अवधि अर्थात् 2016-17 से दिनांक 30.6.2019 तक की तुलना में वृद्धि के स्तरों पर हैं, जिसमें अभी हाल की अवधि के रूप में उल्लिखित दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि में स्थापित तेजी जारी रहना दर्शाया गया है। आयातों की वृद्धि जारी रहने का यह स्तर घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों को निकालने के बाद और कुल आयातों के संबंध में, दोनों में नोट किया गया है।
- (x) लोक हित की जांच करते समय, यह नोट किया गया है कि आगामी पैरा में उल्लिखित अनपेक्षित विकास के अलावा, जो वर्ष 2020 अथवा 2021 में गायब प्रतीत नहीं हुआ था, वर्ष 2020 से और 2021 में आईपीए में आयात की निरंतर वृद्धि भी कोविड महामारी को देखते हुए हैंड सेनिटाइजर के निर्माण में इसकी जरूरत के संबंध में है। कोविड महामारी के दौरान अन्य वस्तुओं के साथ साथ आईपीए की जरूरत के मामले को मार्च, 2020 में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 के तहत जारी किए गए आदेश में भी स्वीकार किया गया था।
- (xi) कोविड महामारी की आशंका की संभावना को देखते हुए 39 महीनों (01.04.2016 से 30.06.2019) की जांच की अवधि और 24 (01.07.2019 से 30.06.2021) महीनों की जांच की अवधि के बाद की अवधि के लिए आईपीए की मांग की अलग से गणना की गई है। मांग में वृद्धि के लिए उपरोक्त दो मांगों के आधार पर गणना की गई है। दिसंबर, 2021 तक की मांग पर विचार करने के लिए दिनांक 30 सितंबर, 2021 को 24 महीनों की वार्षिक मांग का अनुमान लगाया गया है। अप्रैल, 2020 से आईपीए की घरेलू क्षमता में अन्य उत्पादक अर्थात् डीपीएल द्वारा नई क्षमता जोड़ने से 70,200 मी. टन से 1,00,200 मी. टन वार्षिक तक वृद्धि हुई है।
- (xii) आईपीए की घरेलू उपलब्धता और अनुमानित मांग के आधार पर वैश्विक आयात का कोटा निर्धारित किया गया है और नियम 9(1) के अनुसार निर्यातक देशों में वितरित किया गया है, जैसा कि आगामी पैरा में कहा गया है, मांग में वृद्धि दर के आधार पर कोटा को निरंतर आसान बनाया गया है।
- (xiii) मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में रक्षोपाय के उपाय करना लोक हित में होगा। इससे घरेलू उद्योग को क्षति रहेगी, जबकि डाउनस्ट्रीम उद्योग के संबंध में अपर्याप्त और सहनीय प्रभाव पड़ेगा क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की मांग आयातों के माध्यम से पूरी होनी जारी रहेगी।
- (xiv) यह उल्लेखनीय है कि कोविड वैश्विक महामारी की स्थिति के संबंध में अभी भी भविष्य में कोई चुनौतियां सामने आएँ और आईपीए एक अल्कोहल आधारित हैंड सेनिटाइजर को तैयार करने के लिए प्रमुख सामग्री है। लोक हित को ऐसी किसी घटना के लिए ध्यान में रखने की जरूरत है। प्राधिकृत अधिकारी, कतिपय मास्क और हैंड सेनिटाइजर को आवश्यक

वस्तुओं के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम क्रमांक 10) के तहत जारी आवश्यक वस्तुएं आदेश, 2020 (केन्द्रीय आदेश सं. का. आ. 1087 (ई), दिनांक 13 मार्च, 2020) द्वारा अनुसूची में किए गए संशोधन को नोट करते हैं। इसके साथ ही, आवश्यक वस्तुएं आदेश, 2020 (केन्द्रीय आदेश सं. का. आ. 1169 (ई), दिनांक 19 मार्च, 2020) के तहत कच्ची सामग्रियों के रूप में सामग्रियों और सामग्रियों की कीमतों को "आवश्यक वस्तु के रूप में निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को अनिवार्य वस्तु के रूप में माना जाएगा" घोषित किया है। ये आदेश 30 जून, 2020 तक लागू थे। विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का अधिनियम क्रमांक 22) की धारा 18 के तहत यह विनिर्दिष्ट है कि "इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अलावा हैं, न कि इसका प्रभाव कम करने के लिए होंगे। अतः यह अधिनियम ऐसे अन्य कानूनों के अनुप्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाता, जो तत्समय लागू हैं। अतः प्राधिकृत अधिकारी भविष्य में किसी कोविड महामारी की घटना और एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के प्रावधानों को देखते हुए, यह नोट करते हैं कि केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ किसी अन्य अधिनियम के लागू होने की स्थिति में आईपीए से संबंधित मात्रात्मक प्रतिबंध के उपाय की सिफारिश की प्रयोज्यता को देखते हुए उचित कार्रवाई करने पर विचार कर सकती है अथवा किसी आकस्मिकता की स्थिति में जन स्वास्थ्य और उत्पन्न सुरक्षा के लिए लोक हित में किसी उपाय के लिए निदेश दे सकती है।

XVIII. सिफारिशें

146. उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि;

- (i) विचाराधीन उत्पाद अर्थात् आयिसोप्रोपिल अल्कोहल को इतनी बड़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में भारत में आयात किया जा रहा है जिस से कि घरेलू उद्योग विनिर्माण जैसे या सीधे प्रतिस्पर्धी उत्पादों को गंभीर क्षति पहुँच रही है या गंभीर क्षति पहुँचने की भयसूचक है।
- (ii) मौजूदा परिस्थितियां घरेलू उद्योग को और भी गंभीर क्षति से बचाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का औचित्य सिद्ध करती हैं, जिसका अन्यथा जीर्णोद्धार करना मुश्किल हो सकता है।

147. तदनुसार, सिफारिशें इस प्रकार हैं

- (i) विचाराधीन उत्पाद के आयात उन विकासशील देशों के लिए नीचे दी गयी तालिका में उल्लिखित स्तरों से अधिक पर विनियमित न किए जाएं और उसकी अनुमति न दी जाएं, जिनके निर्यातों की मात्रा जांच की अवधि के दौरान 3 प्रतिशत से अधिक हो। यह मात्रा जांच की अवधि के दौरान तीन प्रतिनिधिक वर्षों में आयातों के औसत के आधार पर रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली के नियम 9(1) के अनुसार निकाली गई है। इसके अतिरिक्त, कोविड महामारी और अप्रैल-2016 से जून-2021 तक की अवधि के दौरान (63 महीने) मांग में वृद्धि दर और विकास के अतिरिक्त उपयुक्त कारक द्वारा औसत सीमा को बढ़ाकर इसे सितंबर 2021 तक ले गए।
- (ii) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी. जी. एफ. टी.) ने विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 के अनुभाग 9A(4)(a) के अंतर्गत फा.सं. 01/92/180/106/एम-11/पीसी-VI/पीआरए, दिनांक 31.01.2013, वाली अधिसूचना सं. जीएसआर 59 (ई) से विकासशील देशों की सूची जारी की थी। यह अधिसूचना राजस्व विभाग की अधिसूचना के आधार पर जारी की गयी थी। हालांकि, प्राधिकृत अधिकारी ने नोट किया है कि विकासशील देशों की सूची को बाद में राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 19/2016-कस्टम (एनटी), दिनांक 5 फरवरी, 2016 के तहत संशोधित किया गया है। कोटे का उल्लेख तिमाही रूप से किया जाएगा और तदनुसार, प्रयोग में न लाए गए किसी कोटे को अग्रेणीत किया जाएगा तथा बाद की तिमाही के लिए कोटे में जोड़ा जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी विशेष रूप से नीचे तालिका में न दिए गए देशों के लिए अवशिष्ट मात्रा भी निर्धारित कर रहे हैं। चूंकि अधिसूचना संख्या 19/2016-कस्टम (एनटी), दिनांक 5 फरवरी, 2016 में चीन जन.गण. को छोड़कर अन्य सूचीबद्ध विकासशील देशों से आयात, , अलग-अलग 3 प्रतिशत से अधिक और सामूहिक रूप से 9 प्रतिशत से अधिक नहीं होते, अतः इन विकासशील देशों (चीन जन.गण. को छोड़कर) के मूल के "आइसोप्रोपिल एल्कोहल" के आयातों पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1992 की धारा 9 क(1) के अनुसार मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगेंगे।
- (iii) इन आयातों की अनुमति कोटे की इलेक्ट्रॉनिक/रियल टाइम मॉनिटरिंग को आसान बनाने के लिए ही ई डी आई पोर्ट के माध्यम से दी जाएगी। यह कोटा तिमाही आधार पर मॉनिटर किया जायेगा। किसी तिमाही में अनुमति दिए गए कुल आयात उस तिमाही और अगली तिमाही के कुल योग से अधिक नहीं होंगे। एक तिमाही के लिए किसी उपयोग न किये

गये कोटे को अगले तिमाही में जोड़ा जायेगा। इसके अलावा, एक तिमाही के लिए किसी अत्यधिक रूप से उपयोग किये गये कोटे की कटौती अगली तिमाही के लिए कोटे से की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातक और संबद्ध आयातक निर्बाध रूप से मात्राओं को विनियमित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार, इस तरीके से कोटे का आवंटन यह सुनिश्चित करेगा आयातकों और निर्यातकों को कोई अनुचित कठिनाइयां नहीं हों। यदि विशिष्ट कोटा वाले देश अपने विशिष्ट कोटे को समाप्त कर देते हैं, तो ऐसे देश उपलब्ध अवशिष्ट कोटे का उपयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मात्रात्मक प्रतिबंधों को नियंत्रित करने के लिए और तौर-तरीकों को अधिसूचित किया जा सकता है।

- (iv) प्राधिकृत अधिकारी रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियमावली के नियम 9 (1)(iv) के अनुरूप सकारात्मक समायोजन पर्याप्त रूप से सुकर बनाने के लिए अगले वर्ष में मात्रात्मक प्रतिबंधों के प्रगामी उदारीकरण की सिफारिश भी करते हैं। मात्रात्मक प्रतिबंध के प्रगामी उदारीकरण की इस आवश्यकता पर विचार करते हुए यह सिफारिश की जाती है नीचे निर्धारित मात्रा (एम.टी.) में भारत में संबद्ध सामानों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया जाए।
- (v) तदनुसार, प्राधिकृत अधिकारी, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियम), अधिनियम, 1992 की धारा 9 क(1) के अनुसार एफटीडीआर अधिनियम के तहत अधिसूचना की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

देशवार कोटा

देश ↓	क्यू आर कोटा							
तिमाही →	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पाँचवी	छठी	सातवीं	आठवीं
चीन	9,176	9,176	9,176	9,176	9,445	9,445	9,721	9,721
जर्मनी	1,956	1,956	1,956	1,956	2,014	2,014	2,073	2,073
जापान	1,384	1,384	1,384	1,384	1,424	1,424	1,466	1,466
कोरिया गणराज्य	5,816	5,816	5,816	5,816	5,986	5,986	6,161	6,161
नीदरलैंड	2,239	2,239	2,239	2,239	2,304	2,304	2,372	2,372
सिंगापुर	2,467	2,467	2,467	2,467	2,539	2,539	2,613	2,613
ताइवान	3,972	3,972	3,972	3,972	4,088	4,088	4,208	4,208
यूएसए	2,047	2,047	2,047	2,047	2,107	2,107	2,168	2,168
अन्य देश	657	657	657	657	676	676	696	696
सकल योग	29,714	29,714	29,714	29,714	30,583	30,583	31,477	31,477

अनंत स्वरूप, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2021

FINAL FINDINGS**Case No. (SG) 06/2019**

Subject: Safeguard investigation concerning imports of “Isopropyl Alcohol” into India - Final Findings - Proceedings under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012- Reg.

File No. 22/6/2019-DGTR.— A. Introduction

1. An application dated 28th August 2019 was filed before the Authorized Officer under Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (hereinafter also referred to the “Act”) read with the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 (hereinafter also referred to as the “Quantitative Restrictions Rules” or the “Rules”) by Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) seeking imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions on imports of “Isopropyl Alcohol” (hereinafter also referred to as the “product under consideration” or “PUC” or “subject goods” or “IPA”) into India to protect the domestic industry of like or, directly competitive products from serious injury / threat of serious injury caused by their surge in imports. The applicant has claimed that on account of the surge in imports of the product under consideration the domestic industry has lost its market share and its production quantities and capacity utilisation have declined leading to consequent losses which have crippled the domestic industry. For this reason, the applicant had requested for imposition of Safeguard (Quantitative Restrictions) as a measure to mitigate its injury.

B. Due Procedure Followed by the Authorized Officer

2. On the basis of the aforesaid written application and having satisfied itself, relying on the prima facie evidence submitted by the applicant regarding increased imports causing serious injury to the domestic industry, a safeguard investigation against imports of the product under consideration into India under the provisions of Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and as per Rule 5 of the Safeguard Measure (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 for determining the existence of serious injury or threat of serious injury, caused by the import of subject goods in such increased quantities, absolute or relative to domestic production and therefore the need for imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions, was initiated vide Public Notice of Initiation 22/6/2019-DGTR dated 4th November 2019.
3. In accordance with sub-rules (2) and (3) of Rule 6 of the said Rules, a copy of the initiation notification dated 4th November 2019 and a copy of a non-confidential version (NCV) of the application filed by the domestic industry were forwarded to the Central Government in the Ministry of Commerce & Industry, Ministry of Finance, the Governments of major exporting countries through their Embassies in India, and the interested parties mentioned in the said application. Further, the questionnaire to be answered by the exporters / importers / domestic producers, as prescribed under Rule 6(4) of the said Rules, was forwarded to the known interested parties with a request to make their views known in writing within 30 days from the date of issue of the Public Notice of Initiation.
4. In response to the initiation notice and oral hearing, submissions and some questionnaire responses were received from the following interested parties:

1.	The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India
2.	Brazilian Embassy
3.	Embassy of Spain
4.	Embassy of Mexico
5.	European Union Delegation to India
6.	Embassy of the Republic of Indonesia

7.	Taipei Economic and Cultural Centre in India
8.	Alkyl Amines Chemicals Limited
9.	Ineos Solvents
10.	Aurobindo Pharma Limited
11.	The Government of Korea
12.	Panreac Quimica
13.	ZhuHai Long Success Chemical Industry Co., Ltd.
14.	Kellin Chemicals (Zhangjiagang) Co., Ltd,
15.	LG Chem Ltd.,
16.	ISU Chemical Co., Ltd.
17.	Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd.
18.	Dezhou Detian Chemical Co., Ltd.
19.	i. Yancheng Super Chemical Technology Co., Ltd. ii. Shandong Dadi Supu Chemical Co., Ltd.
20.	Korea Petrochemical Industry Association
21.	China Petroleum and Chemical Industry Federation
22.	Nishigandha Polymers Private Limited
23.	LCY Chemical Corporation
24.	Taiwan Fieldrich Corporation
25.	Micro Labs Limited
26.	Shree Bankey Behari Lal Board Mills
27.	Trident Chempha Limited
28.	Anupam Rasayan India Limited
29.	Chemexcil
30.	Supriya Lifescience
31.	LCY Taiwan Company
32.	Bulk Drug Manufactures Association of India
33.	Signet Chemical Corporation Private Limited
34.	Sandeep Organics Private Limited

5. The Authorized Officer published the list of interested parties on the DGTR website. As per Trade Notice 01/2020 dated 10th April 2020, to enable access of all non-confidential version (NCV) submissions by all interested parties, the Authorized Officer suggested all interested parties to exchange the non-confidential version of their submissions with each other through email in view of the practical difficulties faced by them in accessing the public file due to COVID-19 pandemic.
6. On request of the domestic industry and taking cognizance of the challenges arising out of COVID-19 pandemic, the time period available for completion of investigation was extended on five occasions, final extension being up to 30th September 2021 by the competent authority.
7. An oral hearing was held on 10th September 2020. In view of Covid-19 pandemic and consequent lockdown, the Public hearing was held through Digital Video Conferencing. Due to change of the Authorized Officer, a second oral hearing was necessitated which was held on 15th February, 2021 through Digital Video Conferencing.

8. In terms of sub rule (6) of rule 6 of the Rules, all the interested parties who participated in the oral hearing were requested to file written submission of the views presented orally. Copy of written submissions filed by an interested party was made available to all the other interested parties as was advised in the oral hearing and procedure mentioned above. Interested parties were also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of any of the interested party.
9. The submissions made by all interested parties pursuant to the oral hearing or otherwise have been appropriately examined and addressed under the relevant paras. As many issues are repetitive, they have been collectively addressed at the concerned paras.
10. Authorized Officer requested DGCI&S for providing most recent data to analyse the post-POI trend in view of global covid-19 pandemic situation.
11. The recommendation of the Authorized Officer may be imposed by the Central Government i.e. Ministry of Commerce through a notification in the official gazette, under sub section (1) of Section 9A of the FTDR Act.

C. Written Submissions and Rejoinder Submissions made by the Interested parties

I. Domestic industry

12. The submissions made by the domestic industry are as follows:

- i) The product under consideration is IPA, falling under tariff code 29051220.
- ii) The domestic industry is producing like article to the imported goods.
- iii) As the sole producer, the applicant constitutes 100% of the production.
- iv) There has been a sudden, sharp and significant surge in imports. The imports have increased by 86% over the period, even though demand has increased by 31%.
- v) Imports have also increased in relation to production and consumption.
- vi) The surge in imports is on account import of unforeseen developments, due to the following
 - (a) The demand for phenol increased, leading to increased production of phenol, and its by-product acetone. This created a supply glut for acetone, and the prices of acetone fell sharply.
 - (b) The oversupply of acetone prompted increased capacity and production of IPA using acetone as a raw material, and created over-capacity of IPA.
 - (c) As price of acetone fell, the propylene-based IPA produced by the domestic industry became uncompetitive vis-à-vis the acetone-based IPA.
 - (d) Further, the downstream plants for the product under consideration suffered a shutdown during this period.
- vii) The imports increased as a consequence of obligations incurred by India under the GATT provisions.
- viii) Further, the producers in China PR, Singapore and Taiwan have targeted the Indian market, and the exports to India have increased at a much faster pace than the exports to other countries.
- ix) India is the single largest market for exporters from China PR and Singapore and second largest for Korea RP and Taiwan.
- x) The imports are undercutting the prices of the domestic industry and are priced significantly below the cost of sales of the domestic industry.
- xi) The imports are entering the market at prices equivalent to the raw material cost of the domestic industry.
- xii) The imports have had a suppressing effect on the prices of the domestic industry.
- xiii) The imports have taken away the market share of the domestic industry and its sales have declined.
- xiv) The increased imports have adversely impacted the production and capacity utilization of the domestic industry.
- xv) The profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry have declined, and become negative.
- xvi) The imports have made it impossible for the domestic industry to break-even.

- xvii) Imports below variable cost would impact viability of the operations of the domestic industry, as the domestic industry would be forced to shut down its plant, to cut losses.
- xviii) The profitability of the domestic industry has worsened in July-December, 2019.
- xix) There is clear causal link between increased imports and injury suffered by the domestic industry.
- xx) In order to positively adjust to the increased imports, the applicant is setting up an acetone-based plant having a capacity of 100,000 MT.
- xxi) In order to set up the plant and stabilize operations, the applicant requires measures for a period of four years.
- xxii) The production of IPA through acetone route would significantly reduce the cost of production, and allow the applicant to become more competitive.
- xxiii) The imposition of safeguard measures is not against public interest, as IPA is majorly used in pharmaceuticals, where it constitutes only an extremely small share of the total consumption. Even if the applicant increases its prices to non-injurious price, in the event of imposition of measures, it would imply an average impact of 0.41% only.
- xxiv) The rate of increase in imports is more when imports made by the applicant are excluded as imports made by other parties increased faster than the imports made by the applicant.
- xxv) Market share of imports has increased whether or not imports made by the domestic industry are excluded.
- xxvi) Market share of domestic industry declined both in respect of manufacturing and trading.
- xxvii) In the recent period the import price of other importers was comparable or even lower than the import price of domestic industry. Lower price of imports has led to surge in imports.
- xxviii) Earlier, domestic industry earned lower profits in trading than manufacturing. In the recent period, the domestic industry suffered losses in both manufacturing and trading.
- xxix) The contribution margin has declined over the period. The domestic industry is not able to add the mark up on imports as other parties imported at a lower price.
- xxx) Inventories of the domestic industry for both manufactured and traded products has increased.
- xxxi) The demand for IPA increased temporarily in the COVID lockdown. Post that, the demand has come down to the level in 2018-19, thus, the demand for quota restrictions should be considered in the same region as that in 2018-19.
- xxxii) Ethanol is preferred over IPA as an ingredient for sanitizers. The price of IPA was regulated for use of sanitizers only when sanitizers were an essential commodity, that is, till July 2020.
- xxxiii) In case the Authorized Officer considers recent period, future period and outlook should also be considered. The ICIS-LOR states that the price of IPA will decline further, acetone price will become less than propylene price and propylene-based IPA will become less profitable as compared to acetone-based IPA.
- xxxiv) Deepak Phenolics Limited, being a domestic producer of like goods, has participated as an interested party and the information submitted by it cannot be disregarded.
- xxxv) The domestic industry has adhered to all timelines prescribed by the Authorized Officer and had duly circulated the non-confidential version of the domestic producers' questionnaire.
- xxxvi) Domestic industry has provided data for 6 months post period of investigation, that is, till December 2020. More recent data cannot be considered as it is impacted by the temporary effects of COVID-19.
- xxxvii) Exporters and users have not argued that the domestic product is different from the imported product. Though there has been no change in the product, the market share of the domestic industry has dropped from 45% to 32% as the imports have increased. This shows that the domestic and imported products are competing in the same market and are comparable.
- xxxviii) Contrary to claim of the interested parties, domestic industry has neither requested for selective application of safeguard measures nor is such application envisaged under the law.
- xxxix) Safeguard measures will not ban imports and thus, would not lead to monopolistic situation in India.

- xl) As the interested parties which made submission in the previous hearing have participated in the present hearing, it is unlikely that any interested party was impaired to make submissions because of the Chinese New Year holiday at the time of the second hearing.
- xli) Contrary to claims in this regard, the domestic industry has provided the information available regarding the names of all major producers.
- xlii) Sandeep Organics Private Limited has not established itself as an interested party as it has not filed importer's questionnaire response.
- xliii) Capacity already commercialized by Deepak Phenolics and capacity that is now being added are required to be considered while determining the quota that should be fixed. The company has already commercialized 30,000 MT and is now working on commercializing another 30,000 MT.

II. Deepak Phenolics Limited

13. Deepak Phenolics Limited, which started production post the investigation period, supported the petition filed by the applicant and submitted as under:
 - (i) There is a recent, sudden, sharp and significant surge in imports as a result of unforeseen developments and effect of obligations incurred under GATT.
 - (ii) DPL has commenced production through acetone-route in April 2020 and is setting up another plant, which is expected to commence commercial production in 2021.
 - (iii) Acetone-based IPA is the more cost-effective route as compared to propylene-based IPA.
 - (iv) The imposition of safeguard measures is in public interest, in as much as it is no longer the preferred input for sanitizers and is majorly used in pharmaceuticals, where the costs on account of IPA is insignificant.

III. Embassy of Spain

14. The written submissions of the Embassy of Spain are summarized below.
 - (i) Safeguard is not appropriate in the current circumstances as the injury to the petitioner is mainly from China PR, which have increased. Had imports from China PR remained same, the total imports would have declined and there would have been no legal grounds for the initiation of safeguard investigation.
 - (ii) The situation can be addressed better by using anti-dumping or anti-subsidy measures.
 - (iii) IPA exported by Spanish company ITW is not a like product to the domestic goods, as it has different physical characteristics and cannot be used interchangeably with domestic product. ITW exports only pharmaceutical grade IPA which is processed in India and re-exported to Europe and America.
 - (iv) The product produced by the petitioner is not accepted by European standards. Thus, pharmaceutical grade IPA should be excluded from the scope of the investigation.
 - (v) Other factors are injuring the domestic industry, such as increase in total costs over the injury period. Investments made by the petitioner to increase its production capacity seem to have been passed over.
 - (vi) The petitioner had identified imposition of tariffs by USA against China PR as unforeseen developments. However, no such tariffs are applicable on IPA now.
 - (vii) Due to COVID-19, the global demand for sanitizers and disinfectants will remain high and is expected to grow till 2024. Safeguard measures are not advisable at the time of shortage of disinfectants.
 - (viii) Imposition of safeguard measures are against public interest as IPA is in the list of essential commodities.
 - (ix) The petitioner has entered the sanitizer business changing its focus from supplier of IPA to supplier of sanitizers.

IV. The Embassy of Brazil

15. The Article 9.1 of the WTO Agreement on Safeguards (AS) states that "safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country Member as long as its share of imports of the product concerned in the importing Member does not exceed 3 per cent, provided that developing country

Members with less than 3 per cent import share collectively account for not more than 9 per cent of total imports of the product concerned".

16. Estimates based on Indian official trade statistics indicate that Brazilian exports of IPA were nil during the last five years. Brazilian exports represented, therefore, less than 3% of the total imports of India. If all developing countries under this condition represented, together, less than 9% of total imports of the product concerned, it will be mandatory that Brazil be excluded from any provisional or final duty that may be applied.
17. Brazil is certain that India is aware of the high standards that should be applied in a safeguard investigation and is confident that India will take forward the fulfilment of its obligation to effectively exclude Brazil from any eventual measures on isopropyl alcohol.

V. The Trade Representation of the Russian Federation in the Republic of India

18. The Russian Trade Representation stated that Russia should be excluded from the scope of proposed measures as (a) the volume of imports is low, (b) producers in Russia do not have surplus capacities, and (c) there is no threat of material injury from Russia.

VI. Taipei Economic and Cultural Centre, Taiwan

19. In the notice of initiation issued by the Authorized Officer, the Authorized Officer has considered three year and three months period from April 2016 to June 2019 as the Period of Investigation, but it has also specifically considered last six months period of the Period of Investigation from January 2019 to June 2019 as the 'most recent period.'
20. Petitioner has provided import data and information regarding economic parameters on a yearly basis starting from April 2016 till June 2019. However, the Petitioner should also provide separately the import data and the data regarding its performance on economic parameters for the most recent period of six months identified by the Authorized Officer in the notice of initiation. Without the submission of this data separately by the Petitioner, we cannot comment regarding the increase in imports and consequent serious injury to the domestic industry in the 'most recent period'.
21. Petitioner compared the 15-month period (from April 2018 to June 2019) with other 12-month period and reached the conclusion that the imports have increased very significantly. We believe this comparison is misleading because it compared the import volume by different basis. Hence, we recommend the Authorized Officer to compare the import volume by 12-month basis.
22. Majority of imports are from China PR. The primary claim of the Petitioner is also that there has been significant increase in imports from China PR because of certain unforeseen developments such as oversupply of raw material acetone and diversion of exports by China PR to India due to restrictions in the European Union and the United States. In these circumstances, the appropriate remedy for the Petitioner is not the imposition of safeguard measures against all countries but to request for initiation of an anti-dumping investigation.
23. There is no increase in volume of imports from Taiwan during the entire period of investigation. Imports from Taiwan in the year 2016-17 was 12,195 MT. Imports from Taiwan increased to 15,381 MT. However, imports from Taiwan have remained at the same level in 2018-19 and in fact slightly declined to 15,217 MT as compared to the year 2017-18.
24. The demand of Isopropyl Alcohol has increased during the period of investigation. There is no commensurate increase in the capacity of the domestic industry. Imports will be necessary because Domestic industry cannot meet the demand of Isopropyl Alcohol in India. Given the current circumstances, demand of Isopropyl Alcohol can only be expected to increase given its disinfectant properties and application in pharmaceutical industry for synthesis of Active Pharmaceutical Ingredients, drug formulation process, hand sanitizers etc.
25. Besides, petitioner has claimed that import price of Isopropyl Alcohol has not increased commensurately with increase in cost of sales of the domestic industry. Accordingly, the petition has also requested the Authorized Officer to recommend tariff restrictions based on volume of imports for the last three years. Moreover, if injury is caused to the domestic industry due to low priced imports, then imposition of specific limit on quantity pursuant to the present investigation will not be an appropriate measure for remedying for serious injury to the domestic industry and for facilitating its positive adjustment. A tariff-rate quota (TRQ) would have been the most suitable form of measure.

VII. Directorate General of Foreign Trade, Government of Indonesia

26. Likewise, the Government of Indonesia also submitted that Indonesia should be excluded from scope of proposed measures as there are no imports from it during the investigation period and it is a developing country.

VIII. EUROPEAN COMMISSION

27. The submissions made by the European Commission are as follows –

- (i) The Indian authorities need to provide more details about the nature of the increase of imports, rather than declaring “prima facie” that there has been a significant increase in imports between April-December 2018 and January-June 2019.
- (ii) The use of two different periods does not allow for an objective analysis. Furthermore, the increase of imports needs to be based on import volumes and not value
- (iii) The main actor behind the increase of imports is China, while imports from other origins remain stable or decrease. In this regard, the Commission would like to reiterate, that due to its very restrictive nature the safeguard (“SFG”) instrument is to be used exceptionally, given that safeguards affect all imports, irrespective of their origin, and especially because – contrary to anti-dumping and anti-subsidy – they target fair imports.
- (iv) It has not been demonstrated that the increase of imports was the result of an unforeseen development in terms of Article XIX of the GATT.
- (v) The Commission, therefore, requests the investigating authorities to verify thoroughly the information provided by the complainant, for example, the complainant should clarify the disproportional increase of costs during the POI.
- (vi) On the basis of the information available, it does not seem that the domestic industry is suffering from any actual or imminent serious injury, caused by increased imports.

IX. The Government of Republic of Korea

28. The Government of Korea has stated as follows in their written submissions.

- (i) The initiation is deficient as it does not contain a statement under Rule 5(2) (c) regarding whether application has been filed to Authorized Officer, Safeguards for imposition of safeguard duty and details of progressive liberalization.
- (ii) The Quantitative Restrictions Rules require the Authorized Officer to refer complain to the relevant authority, in case it finds that injury is due to dumping or subsidization.
- (iii) The petitioner has not provided details of its imports in the non-confidential version, as required under Trade Notice 10/2018.
- (iv) The principal business of the domestic industry is trading and the alleged surge in imports is self-inflicted, which has not been disclosed by it.
- (v) The petitioner disclosed that it imported IPA for the first time only in the oral hearing.
- (vi) Following the principles of *juri ex injuria non oritur* i.e. no person can claim any right arising out of his own wrong doing, and *nullus commodum capere potest de injuria sua propria* i.e. no person can take advantage of his own wrong doing, the petitioner cannot be allowed to claim remedy against increased caused by itself.
- (vii) An assessment of increase in imports should be made after excluding the imports by the petitioner as these imports cannot be the cause of injury.
- (viii) Since the volume of exports from Korea has decreased and such exports are not a substantial cause of injury, they should be excluded from scope of proposed measures pursuant to India-Korea CEPA.
- (ix) Exports from Korea RP should be seen after excluding imports made by the petitioner. It would be seen that the other imports from Korea account for a negligible share of the total imports.
- (x) Although the import prices have increased consistently over the past four years, there has been a consistent decline in the profitability of the domestic industry.
- (xi) Losses to the domestic industry resulted from an inefficient production process based on costlier input.
- (xii) Several other factors including sharp fall in the prices of solvents, inconsistent policies of USA and dumping of IPA from China have affected the performance of the domestic industry.

- (xiii) If safeguard measures are imposed, the quota should not be below the average of imports in the last three years and the same should be liberalized considering the growing demand for IPA.
- (xiv) Global surplus of acetone, declining prices of acetone, increased capacities in China PR, and limited demand in China PR do not qualify as unforeseen developments.
- (xv) The domestic industry has not adduced evidence to indicating global excess capacity of IPA.
- (xvi) As laid down by the WTO Panel in India — Iron and Steel Products, the petitioner must demonstrate unforeseen developments for Korea RP, if it considers that imports from Korea RP are a substantial cause of injury. However, in the present case, the petitioner has relied on generic global developments or developments relating to China PR.
- (xvii) The petitioner has relied upon ICIS reports for the unforeseen development. However, in the case of Dye Stuff Manufacturers Association of India V. Government of India, it was held by the CESTAT that data derived from journals questions do not constitute facts and only official publications can be accepted as a source of best information.
- (xviii) The ICIS reports cannot be treated as confidential as the petitioner cannot claim confidentiality on behalf of any other party and The Copyright Act, 1957 states reproduction of any work for the purpose of judicial proceeding does not consist infringement of copyright.
- (xix) The Authorized Officer is requested to take into consideration the current selling prices and profitability of the domestic industry to gauge whether protection is still required in the changed circumstances.
- (xx) The fact that the Petitioner's profitability in trading declined is not relevant to determination of serious injury to the domestic industry. However, it is pertinent to note that despite reduced profitability, the Petitioner decided to sell the imports at a loss and at prices which were undercutting rather than focussing on selling its own production.
- (xxi) There does not exists a proper machinery to monitor the imports and provide real time update to the stakeholders regarding the remaining level of quota. In such a situation, the goods already in transit to India would either be turned away at the port, denied clearance or destroyed as prohibited items which would cause huge losses to the exporters.
- (xxii) Rule 9(ii) of the SG (QR) Rule mandates that the quantity of imports must not be reduced below the level of a recent period which shall be the average of import in the last three representative years for which statistics are available. Therefore, since import data up to December 2020 is available, it is submitted that the same must be taken into consideration by the Authorized Officer as per Rule 9(ii) while fixing the quota if safeguard measures are considered necessary by the Authorized Officer
- (xxiii) Considering the present situation, imposition of safeguard measures on IPA would not be in public interest, as it would lead to a shortfall of IPA in the country and increase its prices. It must be considered that India had notified masks and sanitizers as essential commodities till June 30, 2020.

X. LG chem Ltd, ISU Chemical Co., Ltd through Korea Petrochemical Industry Association

29. The Association submitted as under in its preliminary submissions and post-hearing written submissions.

- (i) The applicant has not provided substantive evidence to justify initiation of the investigation.
- (ii) The applicant has exaggerated the increase in imports and deliberately invented injury.
- (iii) The causal link between increase in imports and injury has not been demonstrated.
- (iv) The applicant has tried to mislead the Authorized Officer by not disclosing the fact that it has imported the subject goods.
- (v) The applicant has claimed ICIS reports confidential, which is violation of para (iv) of Trade Notice 1/2013. They are available on ICIS website and cannot be claimed confidential on the basis of commercial restrictions.
- (vi) The applicant has provided data for the most recent period, in the paper book just before the oral hearing. However, since the applicant has not filed a revised petition, the respondents are unable to give comments.
- (vii) Since DPL has filed a response on 3rd January 2020 though it was not the part of the petition, the response filed should be rejected.

- (viii) As DPL is not yet producing the subject goods, it should not be a part of the investigation because injury suffered by it cannot be determined.
- (ix) Despite having imported significant quantities, the applicant has not filed response to Importers' Questionnaire, in terms of Trade Notice 6/2018.
- (x) Before proceeding with the examination, the Authorized Officer should examine the purpose of imports, whether imports were made regularly or due to special circumstances, whether imports were made to supplement product range or for R&D purposes and the volume of imports.
- (xi) The applicant has requested time of four years to set up a new plant, without providing an alternative to the users. The applicant cannot fulfil demand in India and the regular supply of IPA would be cut if safeguard measures are imposed.
- (xii) The adjustment plan is not viable as it assumes that acetone route is cost effective and 30% cheaper than propylene route. However, the price of acetone fluctuates significantly. If the price of acetone is not low at the end of four years, the adjustment plan will not materialise.
- (xiii) In absence of a viable adjustment plan the Authorized Officer has not imposed safeguard measures in investigations related to Phthalic Anhydride, Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 Series, Not Alloyed Ingot of Unwrought Aluminium and Flexible Slabstock Polyol.
- (xiv) The applicant has imported 70% to 90% of the total exports by LG Chem. Thus, the applicant has caused injury to itself.
- (xv) In terms of India-Korea CEPA, since imports from Korea RP are not a substantial cause of injury, they must be excluded from the proposed safeguard measure.
- (xvi) The imports from Korea RP are not causing serious injury to the domestic industry, as they have declined and thus, they should be excluded.
- (xvii) The imports from Korea RP are contributing to stable supply of the product as the applicant cannot supply the demand.
- (xviii) The applicant has imported subject goods from China as well, which have not been reported to the Authorized Officer. Thus, the injury to the domestic industry is self-inflicted.
- (xix) The demand for IPA has grown due to COVID-19 and is forecasted to increase even more, whereas the capacity of the domestic producer is constant. The imposition of safeguard measures would cut the sources of supply.
- (xx) As there is only one producer in the domestic market, there is likelihood that it would dominate the market and would create barriers for market entry.
- (xxi) The applicant is asking for protection for its own inefficiencies.
- (xxii) Acetone based IPA has become expensive whereas propylene-based IPA has become cheaper.
- (xxiii) As noted in the findings in the case of Methyl Acetoacetate, the applicant is obligated to establish that imposition of safeguard measures will be in public interest. This aspect has not been addressed in the petition and the initiation notification.
- (xxiv) If DGTR decides to recommend Quantitative Restrictions Measures, it shall be based on the average of imports in the last three years and impact of increase in demand every year in the Indian market.
- (xxv) The Capacity of the petitioner remained constant since 2016-17 i.e., 70,200 MT. And, in order to fulfil and maintain their client base, the petitioner has consistently been importing IPA from China PR and Korea RP. The petitioner is not able to meet the demand in the normal circumstances, it therefore, cannot be expected from them to fulfil the rising demand in case of such pandemic.
- (xxvi) If the quantitative restriction is imposed immediately it will hamper the industry as they will be forced to buy the product at higher prices.
- (xxvii) The imports from Korea RP has declined during the injury period. Also, the petition clearly focuses on the imports from China PR and states that imports from China PR is majorly causing injury to the domestic industry.
- (xxviii) The adjustment plan of the petitioner does not appear viable anymore, as the prices of Acetone have increased more than 2.5 times.

- (xxix) In view of the COVID pandemic, market research forecasts the global demand of IPA to reach 522,000 TPA during 2020-2024, therefore, the adjustment plan of the domestic industry cannot be relied upon and will not be in the public interest.
- (xxx) The domestic industry has imported the PUC from 100 MT during the base year to 128 MT (Indexed) between January-June 2019. If the domestic industry is importing the subject goods at a significant amount from all the producers of countries involved and selling in the domestic market at a profitable margin, how can they claim injury when they are taking maximum benefit from it.
- (xxxi) Imports from Korea RP have declined during the injury period, on the contrary, demand of subject goods has increased. Thus, injury to the domestic industry cannot be attributed to the imports from Korea RP.

XI. China Petroleum and Chemical Industry Federation

30. The China Petroleum and Chemical Industry Federation submitted as under during the course of the investigation

- (i) There is no substantive evidence to prove the existence of conditions for initiation of the safeguard investigation.
- (ii) The petitioner has exaggerated the increased imports and deliberately invented injury to domestic industry.
- (iii) The petitioner has not provided the data for the most recent period i.e. January 2019 to June 2019.
- (iv) The petitioner has not established a causal link between alleged increase in imports and alleged injury.
- (v) More than 50% imports from China PR have been made by DFPCL, which has not been disclosed in the non-confidential version of the petition or the initiation notification.
- (vi) The applicant used to be the monopoly controller of Indian IPA industry and used to set price of IPA in India, as it commanded both domestic IPA and imported IPA. During 2018-19, demand for IPA has increased and other importers have entered the market.
- (vii) DFPCL imported IPA to re-export to foreign markets, this has not been provided in the petition.
- (viii) Imports from China PR are not causing injury to the domestic industry but are filling the demand-supply gap in India.
- (ix) The petitioner is importing 100% of its production and the injury claimed is at best self-inflicted injury.
- (x) If quantitative restriction measures are imposed in respect of China PR, they should be based on average import in the last three years and the adequate impact of increase in demand of IPA every year in India.
- (xi) The petitioner has claimed excessive confidentiality with regard to ICIS reports regarding the prices of acetone, increasing viability of acetone-based IPA and excessive capacity of IPA, which is in violation of trade notices issued by the Authorized Officer.
- (xii) The petitioner has imported significant quantity from China PR, but failed to fill importer's questionnaire.
- (xiii) A plan that will come into effect after four years cannot be termed as a viable adjustment plan.
- (xiv) The adjustment plan is based on the assumption that the production of subject goods through acetone route is cost efficient, but the prices of acetone have been fluctuating significantly and thus, the said plan will not materialize.
- (xv) The petitioner imported a significant quantity of IPA from China PR any injury to the domestic industry is self-inflicted.
- (xvi) The imports from China PR are not causing injury to the domestic industry but contributing to stable supply of product under consideration to the downstream industry, as the petitioner alone is not able to fulfil the demand.
- (xvii) The petitioner was enjoying the benefit of being the sole producer and Importer. However, once other players entered the market, the petitioner has come before the Authorized Officer and requested protection which is, in turn, taking undue advantage of trade remedies available in India.

- (xviii) The petitioner has under-reported its sales to show fabricated injury and has not reported the trading sales of imports made by them.
- (xix) The purpose of imports should be examined, whether done to supplement product range or research or regular imports or imports to meet special circumstances
- (xx) The imposition of measures would not be in public interest as the petitioner, being the sole producer, would dominate the market and create barriers to market entry, which is harmful to competitive environment and healthy development of the industry in India.
- (xxi) Considering demand-supply gap, safeguard measures will further unnecessarily cut the source of regular supply of the subject goods and the end users will have to pay the extra price for the product which is now available at a low cost.
- (xxii) Any measures recommended should be based on average of imports in last three years and considering the increase in demand for IPA in the Indian market.
- (xxiii) CPCIF and its producers/exporters hereby submits that as per safeguard investigation rules applicant is required to submit questionnaire response as per the format prescribed after initiation notification issued by the DGTR. However, in the present case not only the petitioner i.e. Deepak Fertilizers and Petrochemicals Corporation Ltd but also Deepak Phenolics Limited (DPL) has submitted the questionnaire response and written submission with the DGTR as on 3rd January 2020 and 16th September 2020 respectively though it was not the part of petition. Hence, we request the Authorized Officer to reject the submissions of the DPL.
- (xxiv) The petitioner is requesting for four years long time to set up a new acetone-based plant without providing an alternative for the user industry. The petitioner is at present not able to fulfil the demand of the Indian industry and the imposition of the safeguards measures (if any) would further unnecessarily cut the source of regular supply of the subject goods for them which will cause negative impacts on the public interests of India. The end-users/ importers will have to pay the extra price for the product which was available at low cost due to the technology used by the foreign producers. Imposition of any quantitative restrictive measures will impact the public interest adversely. Thus, the adjustment plan provided by the petitioner cannot be termed as a viable adjustment plan. The adjustment plan is based on an assumption that production of subject goods by acetone route is cost effective and 30% cheaper than propylene-based model.

XII. Alkyl Amines Chemicals Limited

31. The respondent has submitted as under, in its preliminary submissions and post hearing submissions.

- (i) Since the main grievance to the petitioner is the cheap imports from China, the appropriate remedy in such a case is anti-dumping duty. The contention that the term dumping has been used in the generic sense, is merely an afterthought.
- (ii) Petitioner has alleged that there exists dumping of subject goods from China PR inasmuch as there are cheap imports at large volume from China PR. Such being the case, appropriate remedy is not safeguard but anti-dumping proceedings. For the said reason, the present investigation needs to be terminated immediately.
- (iii) Rule 5(2) i.e. contents of application to be filed by domestic industry requires it to be supported by evidence of (i) increased imports (ii) serious injury or threat of serious injury (iii) causal link between increased imports and serious injury as well as provide statement on (a) efforts being taken or planned to be taken to positively adjust; and (b) whether application for initiation has also been submitted to Authorized Officer Safeguards under S.8B of Customs Tariff Act, 1975. However, (a) the application does not contain any such statement that no application has been made to Authorized Officer Safeguard, (b) application has mere conjecture regarding adjustment plan and does not detail progressive liberalization adequate to facilitate adjustment (c) Other factors leading to increase in imports such as Petitioner itself importing significantly have not been stated in the application (d) Petitioner has also not mentioned itself in list of major importers, and (e) No data for most recent period between July'19 to Sep'19 has been presented though investigation was initiated in November, 2019. Such information is critical vis-à-vis requirement of "adequacy and accuracy" of application under Rule 5 and ought to have been observed as they are mandatory.
- (iv) The notice of initiation nowhere mentions that the Petitioner imported the subject goods. Either the Authorized Officer was not informed by the Petitioner about significant imports made by it or Authorized Officer, despite being aware, did not disclose the same in its initiation notice. In case of former, there exists material non-disclosure of essential facts, which has significantly

- impeded and impacted the investigation. In case of latter, the investigation itself is void ab-initio as prima-facie evidence makes it clear that domestic industry itself was the biggest importer and thus, could not have sought protection for its own wrong doing.
- (v) Since mandatory requirement of Rule 5 has not been satisfied, the initiation notice is bad in law. Once the initiation is rendered bad in law, any subsequent steps taken pursuant to such initiation is also bad in law as per Hon'ble Supreme Court in *Chairman-Cum-M.D., Coal India & Ors vs Ananta Saha & Ors* [(2011) 5 SCC 142].
 - (vi) Article 4.2(b) AoS provides that determination regarding whether increased imports have caused or are threatening serious injury shall be made only if investigation demonstrates existence of causal link between increased imports and serious injury. Injury due to the factors other than increased imports should not be attributed to increased imports. As explained the Appellate Body in *US – Wheat Gluten*, *US – Line Pipe* and *US – Steel Safeguard*, the first element i.e. increased imports must have induced the second element serious injury. In other words, there must be a cause-and-effect relationship between the increased imports and serious injury or threat thereof. In the present investigation injury to the domestic industry is self-inflicted.
 - (vii) While import prices have increased consistently over past four years, profitability of domestic industry has declined which suggests other causes of injury severing the causal link with that of any alleged increase in imports.
 - (viii) Information in petition indicates losses to domestic industry resulted from inefficient production process based on costlier input-propylene as opposed to Acetone (30% cost differential) resulting in ever increasing cost of sales causing injury. Exporters and other similarly placed interested parties should not be penalized due to inefficiencies of domestic industry.
 - (ix) Petitioner has suppressed additional facts causing injury such as (i) sharp fall in prices of solvents, (ii) inconsistent policies of USA, and (iii) dumping of IPA from China have affected the company's performance. Since this is an admitted position by the Petitioner, the appropriate remedy is Anti-Dumping Duty and not Safeguard (Quantitative Restriction) Rules.
 - (x) Safeguard restrictions are no fault measures proceeding on the assumption that increased imports under fair trading circumstances have resulted in serious injury and must be applied with care and circumspection. SG (QR) Rules provides an inbuilt safeguard against misdirected complaints under Rule 8(b) which obligates the Authorized Officer to ensure that injury due to dumping not be attributed to increased imports. The Authorized Officer must refer the complaint for an anti-dumping investigation as the domestic industry itself considers dumped imports from China as the principal reason for injury.
 - (xi) Though Petitioner has claimed that capacity utilization declined and it faced abnormal shutdowns due to increased imports only, corporate presentation of Petitioner for Q1 2019-20 mentions "...production volumes were also temporarily impacted as plant was shut down for non-availability of propylene; primarily driven by annual maintenance shutdown at suppliers' end. Corporate presentation for Q3, 2018-19 states that "Production volumes of IPA and Acids were impacted primarily on account of raw water supply cuts by MIDC and IPA plant shutdown." Petitioner has omitted to mention plant shutdowns and non-availability of raw materials as other factors which is hiding facts highly relevant to the investigation.
 - (xii) Upon comparing landed price of imports with Petitioner's cost and prices, it appears that imports of subject goods did not restrict Petitioner from increasing their selling price. Increase in landed value of imports has been higher than increase in selling price of the domestic industry. This implies that Petitioner could have increased its selling price proportionately. However, Petitioner failed to undertake any steps. Hence, claim that Petitioner was unable to increase prices due to cheaper imports is incorrect.
 - (xiii) In past investigations conducted by the Authorized Officer under Section 8B of the Customs Tariff Act, viz. Safeguard investigation concerning imports of Bare Elastomeric Filament Yarn (finding dated: 29th September, 2014); Safeguard investigation concerning imports of Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel of 400 series – Final Findings dated 23rd March, 2015; Safeguard investigation concerning imports of 'Not Alloyed Ingots of Unwrought Aluminium' into India-Final Findings dated 7th October, 2014, the Authorized Officer terminated the investigation as there was no injury to the domestic industry
 - (xiv) The Authorized Officer has determined POI as April 16 to June 19 and January 19 to June 19 as the most recent period. As the investigation was initiated more than 10 months ago and the more than more than 15 months elapsed between POI and current period, during the intervening

period, world economy received a major setback in COVID-19. Since IPA is an essential commodity to combat the disease, there has been an increase in demand as well as prices due to limited supply. As prices have increased, the Authorized Officer should take the most recent import data into consideration and determine whether imports are still entering India under such conditions so as to cause serious injury to the domestic industry as well as examine current selling prices and profitability of Petitioner to gauge whether protection is still required.

- (xv) The Application omits to disclose a crucial fact i.e. domestic industry itself imports the subject goods into India, contributing significantly towards the 'surge' in imports. At Question II at Section V of the Petition, the Petitioner claimed that imports are the only reason causing injury to domestic industry. Further, in statement of compliance with Trade Notice, domestic industry has not provided data vis-à-vis imports which should have been provided as a % of total imports into India in the Range of $\pm 5\%$.
- (xvi) The Petitioner admitted to this fact for the very first time during the oral hearing i.e. nearly 10 months post initiation. The Petitioner's predominant business is trading which is 63.17% of its total revenue. Thus, the Petitioner is itself responsible for the alleged surge in imports and is clearly 'self-inflicted'.
- (xvii) The principles of *juri ex injuria non oritur* i.e. no person can claim any right arising out of his own wrong doing, and *nullus commodum capere potest de injuria sua propria* i.e. no person can take advantage of his own wrong doing, must be applied.
- (xviii) Assessment of whether imports are in increased quantities should be made after exclusion of imports made by Petitioner which cannot be considered to have caused injury to it. Both quantity as well as value of imports must be segregated and excluded before examining whether (i) imports have increased as per Agreement of Safeguards; and (ii) whether increased imports have caused injury to domestic industry.
- (xix) the Petitioner itself is the single largest importer of subject goods for past 5 years. Such being the case, the Petitioner was fully aware of the fact that increase in imports of subject goods was in fact caused by it alone. This fact in itself further negates Petitioner's submission that the increase in imports was an unforeseen development. A company, which consistently imports almost 50% of total imports every year for the last 5 years cannot claim that imports are causing injury to it.
- (xx) The point of time at developments had to be unforeseen is the time at which the relevant tariff concessions were negotiated, i.e., the time at which the member concerned acceded to the WTO. There must be a "logical connection" between "unforeseen developments" and increase in imports causing serious injury. An increase in imports in itself does not constitute unforeseen developments. Examples of unforeseen developments considered by the Authorized Officer in the initiation notice at para 7, viz., global surplus of Acetone, declining prices of Acetone, increased capacities in China PR, and limited demand for the subject goods in China do not qualify as unforeseen developments.
- (xxi) Insofar as the claimed unforeseen developments are themselves concerned, the Petitioner considers the worldwide reduction in prices of acetone, which led to the propylene-based plants producing IPA becoming uncompetitive, is an unforeseen development. Since petitioner is sole domestic producer in India based on the propylene method, this led to increase in cheaper imports of subject goods based on the acetone method. In this regard, the Report of the Panel in Argentina – Definitive Safeguard Measure On Imports Of Preserved Peaches is relevant as the WTO Panel adjudicated whether events similar to those cited in the present investigation could constitute unforeseen developments and it was held that for such developments to be considered unforeseen, it must be demonstrated why it did not foresee the same at the time of incurring its obligations. Thus, domestic industry must demonstrate as a matter of fact that Acetone based method of producing the subject goods becoming cheaper than the propylene based method, which led to the latter process becoming uncompetitive, was not foreseen at the time India incurred its obligations under the GATT. To this end, domestic industry was required to lead some evidence to establish parity between cost of production based on either process at the relevant point of time India incurred its obligations under the GATT.
- (xxii) All information furnished by the Petitioner concerning (i) fall in prices of Acetone; (Annexure 3.3); (ii) increased viability of Acetone based IPA (Annexure 3.4); (iii) excess capacities of IPA (Annexure 3.5), are ICIS reports, which have been claimed as confidential. In Dye Stuff Manufacturers Association of India Versus Govt. Of India, it was held that (i) data derived from journals question do not constitute 'facts' are irrelevant and cannot be relied upon as evidence in an investigation; and (ii) only official publications can be accepted as a source of "best

information". Therefore, information contained in Annexures 3.3 – 3.5 must be rejected and not be relied upon while determining existence of unforeseen circumstances.

- (xxiii) With respect to contention that world is suffering from oversupply of Acetone, petitioner has merely relied upon a generic article by a Chinese company, whose credibility is unknown, to claim that there is increased capacities and limited demand for IPA in China. Online posts of such companies cannot be considered as credible evidence. Similarly, Annexures 3.7 and 3.8 are also to be discarded as they are in the nature of news reports.
- (xxiv) Increase or decrease in prices of key inputs cannot be termed as unforeseen development. Volatility in prices is not an unusual phenomenon in an open market, especially with respect to crude derivatives such as Acetone. The term 'unforeseen developments' would lose its relevance if decrease in prices is termed as unforeseen. Claim of decrease in Acetone prices and cheaper IPA is contradicted by data in the petition which demonstrates a sharp increase in import prices.
- (xxv) domestic industry has failed to lead any positive and direct evidence indicating excess global capacity of IPA. Alleged global surplus of Acetone does not, ipso-facto, lead to a conclusion of surplus of IPA as it cannot be assumed that surplus production of Acetone would be utilized in the production of only IPA as it is also used to manufacture other chemicals including Isophorone, Diacetone, Methyl Methacrylate, Bisphenol, etc.
- (xxvi) That un-competitiveness of propylene-based plants vis-à-vis acetone-based plants is an unforeseen event is completely baseless as companies across the world moved to a more efficient technology while Petitioner did not act in time. Even IPA production units elsewhere must have taken considerable period of time to set up and become commercially viable. If Petitioner chose to ignore changing market dynamics and study best manufacturing practices before setting up its plant, then the same is not 'unforeseen developments' but rather, lack of foresight.
- (xxvii) Unforeseen developments have been sought to be justified through evidence in the form of ICIS reports which have been claimed as confidential by the domestic industry by citing the reason that it contains "third party information which the petitioner is not authorized to disclose". Information contained in such reports cannot be treated as confidential as it would not constitute business proprietary information pertaining to the domestic industry. domestic industry also cannot claim confidentiality upon information on behalf of any other party. No authorization is required for reproduction of copyrighted work in course of judicial proceedings as per Section 52 of the Copyright Act, 1957. The confidentiality claim has circumscribed the ability of interested parties to analyze whether the reports are reliable and substantiate the claim of domestic industry. The Authorized Officer must either direct Petitioner to disclose Annexures 3.3 to 3.5 or discard the same from consideration in terms of Rule 7(3) of the SG (QR) Rules.
- (xxviii) The Authorized Officer must direct Petitioner to disclose its share in imports during POI as a whole as well as on annual basis as the basis of requesting safeguard measures is an increase in imports under conditions that cause serious injury. Therefore, interested parties must be informed about quantum of imports made by Petitioner and prices at which they were made to gauge whether Petitioner itself was responsible for increase in imports and alleged price suppression and depression. The share of the petitioners as a range in percentage terms must be provided and also indicate price undercutting by such imports.
- (xxix) Neither the SG (QR) Rules provide any machinery provision, nor any such other machinery provision exists under Indian law which can monitor imports and alert relevant stakeholders once respective quotas for any country is about to be extinguished, similar to those in EU and the US.
- (xxx) S.9A of FTDR Act only allows for imposition of quantitative restriction without any provision for clearance of imports which exceed quantity allocated to a country. In absence of a provision for allowing clearance after imposition of tariffs on imports exceeding the quota, subject goods already in transit to India would either be turned away from port, denied clearance into India or destroyed as a prohibited item as opposed to being allowed clearance after payment of safeguard duty. Quantitative restrictions must not be imposed unless machinery provision to implement the quotas are formulated.
- (xxxi) The world economy received a major setback with COVID-19 and as IPA is an essential commodity for sanitary products, there was an upward push in demand as well as prices. In safeguard investigations, thumb-rule is to consider most recent data available while examining imports and economic parameters of domestic industry. If latest trends provided by Respondent are examined, import prices have increased by 115% between end of POI and current prevailing price during July-2020. Similarly, imports prices have increased 87% between March 2020 and July 2020. Increasing trend in import prices by more than 100% during past year indicates that

most recent trends must be examined. Since import data is obtained from market sources, Authorized Officer is requested to verify said figures from DGCI&S import data.

- (xxxii) Both AoS as well as Safeguards (QR) Rules require Authorized Officer to examine whether imposition of safeguard measure would be in public interest or not. The term 'public interest' is a much wider term and covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest including that of users of subject article and not merely interests of domestic industry. Safeguard measures are not meant to provide automatic protection to domestic industry merely because it is suffering injury or is uncompetitive. Interests of industrial users and consumers are more vital and need to be taken into account.
- (xxxiii) Imposition of quantitative restrictions would adversely impact the downstream market, without any significant gain to the Petitioner. The PUC has several significant uses and is a key input in various critical pharmaceutical industries. Uses include (i) manufacturing of Glyphosate (Herbicide), (ii) Manufacturing of key intermediate like Sodium Isopropoxide and Lithium Diisopropylamide which are extensively used in synthesis of many life saving drugs like statins, anti retrovirals etc.(iii) Manufacturing of Diisopropylamine used in manufacturing of Statins like Atorvastatins which is used for lowering cholesterol in cardiac treatment. (iv) Isopropyl Alcohol swabs and wipes are used for wound cleaning due to its antiseptic properties. (v) Used as an excipient in many pharmaceutical drugs such as Amoxicillin, Montelukast, Levetiracetam, Fluoxetine Hydrochloride and Omeprazole. (vi) IPA is the most environmentally friendly solvent used for crystallization in many lifesaving drugs in pharmaceuticals and agrochemical - formulations, (vii) Used in cosmetics, electronics and mosquito repellent due to its disinfectant properties.
- (xxxiv) There isn't sufficient domestic capacity in India to meet the ever-growing demand. Quantitative restrictions would not benefit domestic industry as it is admittedly inefficient producer of subject goods and has limited capacity, while the end-users will directly get impacted. In fact, it appears to be a ploy on the part of the petitioner to curb import competition and increase their prices and margins.
- (xxxv) Any restriction on volume of imports of subject goods, coupled with absence of domestic alternatives, would be detrimental to downstream critical industries as well as ultimate consumers, including patients who require affordable and unrestricted supply of such pharmaceutical products. User industry cannot be punished for importing the subject goods in the absence of domestic alternatives.
- (xxxvi) Respondents are users of subject goods, which is used in manufacture of Mono Isopropyl Amines (MIPA). Recently, on 12th February 2018, the DGTR recommended anti- dumping duty on MIPA for a period of 5 years, which was imposed vide Customs Notification No. 14/2018-Cus (ADD), dt. 21-03-2018. If the Authorized Officer decides to recommend application of quantitative restrictions on the subject goods, then the entire purpose of ADD imposed on MIPA would be rendered futile as availability of key input of MIPA, that is, IPA would be restricted and would also result in increase in raw material prices. As a result, recommendation of Authorized Officer in present case would automatically counteract recommendation of Authorized Officer in another anti-dumping investigation relating to the downstream product and render the imposition of anti-dumping duty otiose. The entire MIPA industry would again become uneconomical and loss-making entity.
- (xxxvii) Capacity available with domestic industry is not sufficient to cater to demand in India and it has claimed that expansion will require a further 4 years. The Indian demand stood at approximately 2,16,494MT in 18-19 whereas capacity available with domestic industry currently is only 70,200MT. Demand increased exponentially pursuant to COVID 19. Therefore, quantitative restrictions would result in a severe shortfall in availability of sanitizers and disinfectants required to protect against and prevent the spread of the contagion which has major consequences on public health. Shortfall in availability of IPA would lead to increase in price which would make cost of production of downstream articles prohibitively expensive and inaccessible to the general public.
- (xxxviii) India notified order under EC Act to declare sanitizers as essential commodities till June 30, 2020 and maximum ceilings for prices at which sanitizers can be sold were prescribed.
- (xxxix) Petitioner claimed that there is a sudden, sharp, and significant increase in imports, both in absolute as well as in relative terms and which establishes a need for quantitative measures to curtail the surge. Petitioner stated in its written submissions that the domestic industry struggled to retain its customers and the domestic industry was forced to curtail its own production and

import the product itself for trading. This was necessary to ensure that the domestic industry did not lose its customers, with whom it had built long-lasting relationships. Furthermore, the domestic industry was forced to sell its own production at loss, to retain its market. It is, therefore, evident that the imports are being imported under such conditions as to cause serious injury to the domestic industry. Therefore, the domestic industry has admitted to the fact that it has imported the subject goods. Question II at Section V of application format is not restricted to a disclosure that imports have been made but also places a substantive obligation on the Petitioner to provide data of such imports made by it as a percentage (%) within the Range of $\pm 5\%$ of total imports in to India. The Petitioner also failed to provide such data in written submissions. Non-compliance a substantive requirement is immediate grounds for termination as it circumscribes parties from offer its comments on information which is significant.

- (xl) Petitioners have claimed that as it struggled to retain customers, it was forced to curtail its own production and import the product itself for trading to ensure that it not lose its customers and that it was forced to sell its own production at loss, to retain its market and as such, imports are being imported under such conditions as to cause serious injury to the domestic industry.
- (xli) As Petitioner has itself admitted that it has imported the goods in high quantities, injury purportedly suffered is self-inflicted. Petitioner cannot complain of price suppression and depression by imports at undercutting prices when such cheap prices imports have been made by Petitioner itself and sold to user industry at lower prices. Though Petitioner may have not made profits on its own production, it must have made profits while trading imports made by it. Consequently, alleged market share lost to imports was actually lost to its own import sales in domestic market. Any loss in market share of Petitioner must be examined after including import sales made by it in the domestic market. Similarly, loss in profits of Petitioner must be determined only after adding profits from sales of imports by Petitioner in domestic market. Petitioner cannot claim injury due to self-perpetuated circumstances.
- (xlii) Claim of Petitioner that it would be unviable for domestic industry to survive and is likely to lead to a situation where there is no domestic production as Petitioner is sole producer is incorrect as DPL has commenced production of IPA in April. The domestic industry in India will continue to survive as DPL is producing using Acetone method which has been admitted by both Petitioner as well as DPL of being the cheaper and more competitive route of production. On the other hand, since Petitioner is already engaged in imports to hold on to market share, Petitioner can cease production and continue import sales to hold on to its customer base.
- (xliii) Any injury caused to the Petitioner has to be examined after including the imports made by the Petitioner itself. Therefore, loss in market share of the Petitioner must be examined after including the import sales made by the Petitioner in the domestic market. Any loss in profits share by the Petitioner must be determined only after adding the profits made from sales of imports by the Petitioner in the domestic market. If Petitioner does not show serious injury after inclusion of such import sales to its economic parameters, then neither determination of serious injury to domestic industry of like article, nor a causal link between serious injury as a consequence of increase in imports can be established.
- (xliv) The Petitioner itself considers dumped imports from one specific country to be the principal reason for injury. Accordingly, remedy claimed should be restricted to imports from that country alone and the proper remedy against injury due to dumping is the imposition of anti-dumping duties. However, as Petitioner is aware that it would be disqualified as domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules 1995, it has not resorted to an anti-dumping investigation and approached the Authorized Officer Safeguard.
- (xlv) The Petitioner stated in its written submissions that “While the domestic industry had been earning adequate returns during the earlier periods, the return on investment of the domestic industry has become negative in the period, January to June 2019” which demonstrates that (i) that the domestic industry was profitable prior to 2019 as it was earning adequate returns during the earlier periods, and (ii) that it has suffered from serious injury only in the period between January – June 2019 as its return on investment became negative. This is the period during which it faced the abnormal plant shutdowns due to non-availability of propylene and raw water supply cuts by MIDC. The Authorized Officer must examine whether a causal nexus still exists between serious injury and imports in view of the changed circumstances during the present investigation due to the COVID-19 pandemic as well as due to plant shutdowns.
- (xlvi) The Authorized Officer should call for the most recent data available from Petitioner to examine whether it is now performing better and has ceased to suffer injury on its own production of the like article. The Authorized Officer may also call for data from DPL which has also participated

in the present investigation. If the combined economic parameters of both DPL and the Petitioner do not show any injury in the most recent period, the Authorized Officer must terminate the investigation.

- (xlvi) A mere board resolution to setup an Acetone based IPA plant cannot amount to a concrete adjustment plan. Since more than 10 months have passed since the initiation of the investigation and the Petitioner had submitted the said adjustment plan back in November itself, the Authorized Officer must require the Petitioner to demonstrate steps taken by it towards its adjustment plan during the period between November 2019 and September 2020.
- (xlviii) The Petitioner has claimed that actual impact of any price increase on the downstream product is going to be negligible even if it sells at its non-injurious price. In this regard, the data provided by the Petitioner deserve to be rejected as firstly, neither any evidence which would substantiate the said data has been provided, nor the source of the data been mentioned. In the absence of verifiable evidence or the source thereof, they cannot be considered within the realm of judicially cognizable facts. Petitioner has also not mentioned period to which said data pertains to and has simply claimed it as the 'most recent period'. Therefore, it cannot be ascertained whether the abovesaid data relates to 2019 or 2020.
- (xlix) Unless the Petitioner provides credible evidence in support of the claim regarding the proportion of consumption of IPA for post March 2020, the same must be rejected.
- (l) Considering that it is an admitted position by Petitioner that bulk consumption is in the pharmaceutical sector, imposing quantitative restrictions which have the potential of curtailing production of essential life-saving drugs would have an adverse impact on not only India but other countries which are dependent on exports of medicines from India during the present pandemic where the world is facing a health crisis.
- (li) Curtailing supply will allow Petitioner to increase its prices beyond the NIP. If quantitative restrictions are imposed, users would be compelled to source IPA from the Petitioner notwithstanding unreasonably high prices charged by it in view of the increased Indian demand due to the present pandemic.
- (lii) Considering that the Petitioner has stated that it needed four years to commence production, any measure should not be levied beyond a period of 3 years as more than 10 months have lapsed since initiation of investigation which Petitioner ought to have utilised to implement its adjustment plan.
- (liii) DPL has not stated that it is suffering from serious injury due to imports of IPA, nor claimed a threat thereof. This is because DPL has set up Acetone based plant. It is implicit that they are competitive and therefore, not suffering from serious injury. It seems DPL and Petitioner intend to profiteer by imposing quantitative restrictions in order to leverage the surge in demand due to COVID-19.
- (liv) Regarding unforeseen circumstances, DPL has not provided any material whatsoever in support of such claims and neither has it informed the interested parties of the source of information on the basis of which it has claimed the existence of such circumstances. Therefore, the claims made by DPL are merely in the realm of surmises and conjectures and not based on any evidence.
- (lv) The allegations of increase in production of Acetone which led to oversupply and consequent reduction of prices in IPA relate to the period after 2016-17. As the commissioning of an IPA plant takes 4 years as claimed by the Petitioner, the factum that propylene-based method was costlier was clearly foreseen by DPL before occurrence of unforeseen circumstances complained of which happened at a much later date.
- (lvi) As DPL has itself claimed that it will expand its capacity further by April 2021 and in the absence of any serious injury or threat thereof, DPL is not entitled to seek protection of safeguard measures.
- (lvii) Claim of DPL that IPA is no longer a preferred input for hand sanitiser is not borne out from any facts or evidence on record and is in the realm of conjecture. Insofar as the allegation of DPL that IPA has been taken out from the list of essential commodities is concerned, as availability of hand sanitisers went down and prices became exorbitant, they were included into the list of essential commodities to 'smoothen the sale and availability of these items' and to 'carry out operations against orders speculators etc. and those involved in over pricing, blackmarketing etc.' which would 'enhance the availability of both the items to the general people at reasonable prices or under MRP' as per the statement issued by the Ministry of Consumer Affairs regarding

their inclusion as an essential commodity. Govt. of India was compelled to include IPA into the list of essential commodities since 'prices of the alcohol used in manufacturing the hand sanitizers have been exorbitantly increased by the producers of such alcohol' so that it would 'help the manufacturers of hand sanitizers to keep prices of their and product at reasonable and within the reach of the common people'. Govt. of India had itself observed that prices of IPA were exorbitantly increased by the producers of such alcohol which compelled it to declare the same as an essential commodity.

- (lviii) Fact that the order declaring IPA had the same cut-off date as that for hand sanitizers alongwith statement that this would empower Govt to ensure its availability at reasonable prices indicates that Govt. of India sought to regulate the same till supply caught up with demand.
- (lix) Since quantitative restrictions on IPA would be imposed on basis of average of import in the last three representative years, it would create shortage in supply against increased demand due to COVID-19. As Petitioner is also largest importer of PUC into India and therefore controls majority of supply of IPA in India, limiting availability of IPA would allow Petitioner to dictate prices and increase them to exorbitant levels again as it did in March, 2020 since IPA is no longer in the list of Essential Commodities. Consequently, this would raise the cost of sanitation products manufactured from IPA.
- (lx) Petitioner has claimed that it is the sole producer of the subject goods. However, Deepak Phenolics Ltd. has commenced production of the like article in April 2020.
- (lxi) The petitioner is one of the largest importers of IPA in India and the injury suffered by the petitioner is self-inflicted.
- (lxii) The petitioner has admitted that it imports IPA to maintain its leadership position, to ensure a higher market share in the domestic market.
- (lxiii) The petitioner has claimed that the imports were made because it had to retain the customers. However, the petitioner has been importing significant quantities since last five years.
- (lxiv) The initiation notification does not mention that the petitioner imported IPA, which implies either that the petitioner did not disclose this fact to the Authorized Officer, or that the Authorized Officer failed to disclose it in the initiation notification.
- (lxv) Imposition of quantitative restrictions would further bolster the real intent of the petitioner to control the market.
- (lxvi) As per the annual report of the petitioner, it has suffered injury due to other factors such as (a) fall in prices of solvents, (b) inconsistent policies of USA, (c) dumping of IPA from China and (d) overall slow-down in fertilizer industry. As noted by the Appellate Body, there must be a nexus between increased imports and injury suffered.
- (lxvii) The petitioner has not submitted meaningful summary of the shutdowns claimed. However, the quarterly report of the petitioner reveals that it suffered a shutdown due to non-availability of raw material and water, which shows that the claims made by the petitioner are false.
- (lxviii) The petitioner has not demonstrated existence of unforeseen developments inasmuch as:
 - a) It has not indicated what circumstances or developments existed at the time of negotiations, which led to increase in imports of subject article, as required by Panel Report in Dominican Republic – Safeguard Measures, and Appellate Body Reports in Argentina – Footwear (EC), Korea – Dairy and US – Fur Felt Hats, adopted 22 October 1951
 - b) The petitioner has relied upon a generic article by a Chinese company, whose credibility is unknown. Further, the petitioner has relied upon news articles.
 - c) Change in prices of key input cannot be termed as unforeseen development.
 - d) Global surplus of acetone does not mean global surplus of IPA. As acetone is used in various chemicals, it cannot be said that the entire excess of acetone will be used to manufacture IPA and then this IPA will be exported to India.
 - e) It is not an unforeseeable event that the world moved to a more efficient technology. Thus, the in-competitiveness of propylene-based plant cannot be termed as unforeseen development.
 - f) As noted by the Panel in **Argentina – Definitive Safeguard Measures on Imports of Preserved Peaches**, the petitioner must demonstrate that acetone-based method becoming

cheaper than propylene-based method was not foreseen at the time India incurred its obligations under GATT.

- (lxix) The petitioner has not shown that the increase in imports is an effect of obligations incurred under GATT.
- (lxx) The initiation is bad in law because the petitioner has not provided basic evidences i.e. the Existence of unforeseen developments or effect of obligations which resulted in increased imports, proper adjustment plan, details of progressive liberalization statement mentioning whether an application has also been submitted to Authorized Officer of Safeguards, information for factors that may attributing to increase in imports, such as imports by the petitioner himself, import segregation methodology, data for most recent period – July '19 to September '19, and petitioner has not mentioned itself in the list of importers.
- (lxxi) As held in Chairman-cum-M.D., Coal India & Ors V. Ananta Saha & Ors., if initiation is not in consonance with the law subsequent proceedings would not sanctify the same.
- (lxxii) Although the import prices have increased over the last 4 years, there has been a consistent decline in the profitability of the domestic industry, which highlights the absence of causal link.
- (lxxiii) Import prices did not restrict the petitioner from increasing its price as the increase in landed price is more than increase in selling price.
- (lxxiv) The increase in cost of sales of the petitioner is due to inefficient technology based on production on IPA through propylene route.
- (lxxv) In safeguard investigation regarding imports of bare elastomeric filament yarn, cold rolled flat products of stainless steel of 400 series, not alloyed ingots of unwrought aluminium, the measures were not recommended due to lack of injury and causal link.
- (lxxvi) Imposition of quantitative measures would adversely impact the downstream market, without any significant gain to the petitioner, which is admittedly inefficient. IPA has several uses and is a key input in various pharmaceutical products which will suffer as the capacity in India is not sufficient to fulfil the demand. It is only a trick to curb import competition and enable the petitioner to increase its prices and margins while having a buffer period to undertake expansion.
- (lxxvii) As there is a demand supply gap in the country, quantitative restrictions with absence of domestic alternatives would be detrimental to the consumers of IPA.
- (lxxviii) If quantitative restrictions are applied on IPA, the anti-dumping duty recently imposed against imports of Mono Isopropyl Amines would be rendered futile, as the key raw material would be restricted and would be available at increased prices.
- (lxxix) Despite being an inefficient producer, the petitioner has not provided a proper adjustment plan, and only made vague and generic statements. In the Safeguard investigation into imports of High Density Fibre Board, the Authorized Officer terminated the investigation due to absence of suitable adjustment plan.
- (lxxx) In the absence of an adjustment plan, it is impossible to link the quantity of quantitative restriction with the intended level of adjustment to be made by the domestic industry.
- (lxxxi) There is no proper machinery to monitor the imports and provide real time update to the importer regarding the remaining level of restrictions. In such a situation, if the goods are not cleared due to quota restrictions in India, the only recourse would be to destroy those. In this regard, reference may be had to the import monitoring systems established by the European Commission in EU and the Customs and Border Patrol in the US for the purpose of tracking the allocated quotas.
- (lxxxii) The Authorized Officer should consider the most recent data for examination of trends. Since initiation, the situation has changed due to COVID-19 and the demand for IPA and its prices have increased.
- (lxxxiii) The petitioner has claimed excessive confidentiality with regard to (a) the projected timeline for setting up the plant, (b) government approval for setting up the plant, (c) details of plant shutdown, (d) DGCI&S import data, (e) adjustment plan, (f) actual figures of total sales, even when the same is available in the annual report, (g) actual capital employed, demand, inventory levels and capacity utilisation.
- (lxxxiv) The domestic industry has alleged that reduction in customs duty rate pursuant to WTO obligations was the reason behind increase in imports under such conditions so as to cause

serious injury to the domestic industry. However, despite the said statement, the domestic industry has failed to demonstrate that the reduction in customs duty from 10% as mentioned in Schedule I to an effective duty rate of 7.5% vide Notification No.12/2012 Customs dated 17th March, 2012 and subsequently by Notification No. 50/2017 – Customs dated 30th June, 2017 was as a result of obligations undertaken by India under the GATT.

XIII. Submissions by Trident Group (Tamim)

32. The submissions made by Trident Group (Tamim) are as follows:

- (i) The applicant themselves are the major importer and had imported to cater the increased demand since local capacity inadequate. Domestic Production had been stagnant for last 7 years at above 100% and imports is the only way to augment availability of IPA
- (ii) Applicant is driving down the imported prices and working with his co manufacturers to control prices. Applicant had worked closely with a Korean Manufacturer and a Singapore manufacturer to closely control the market dynamics. In-fact applicant was also having a contract for import of Chinese IPA to west Coast. Price of imports are determined more on a floating basis, based mostly on the deals done by the applicant and domestic prices fixed by the applicant and any lower price is only a reflection of applicant's deal and domestic pricing being declared by the applicant in a continuous growing market.
- (iii) Applicant is the Dominant player and a major importer. Inability to add capacities had been the cause of declining market share in the increasing market. Applicant had reached 100% capacity utilisation in 2012 and till now fresh capacity additions have not happened. Hence loss of market share cannot be blamed on anyone else.
- (iv) Applicant is the Dominant player and hence is the cause of such a Scenario. Production is lower owing to Issues other than imports as declared by applicants. Quantity imported by applicant had gone up significantly and hence increase in the total imports is only to meet the growing demand.
- (v) Factors impacting production as declared by applicant, were "Water issues, one- time technical issue, raw water supply cut by MIDC.
- (vi) Feedstock pricing is the reason for applicant's difficulties. However, the cyclical nature of the commodities is playing out in the marketplace. As we speak Propylene route is cheaper than Acetone route and hence applicant's appeal for quantity restriction is unwarranted.
- (vii) Globally New Capacities for IPA had been based on Acetone since 2011 and Applicant seems oblivious to the threat and had planned Propylene based capacities in 2017. Now after the application for QR, applicant seems to have announced capacity addition by Acetone route. However already capacity additions through Acetone route already planned and implemented in India by Deepak Nitrite. Applicant had not been serious about the capacity additions for the last so many years since reaching 100% capacity utilization
- (viii) ***Applicant's loss is on account of the technological changes and use of costly feedstock and not due to any other factor related to increased imports. Increase in imports only to service increased demand and the applicant themselves had been a major importer and should not have any reason to complain. As a matter of academic interest, Indian Acetone producer had exported Acetone to China and the Acetone prices in China are higher than Acetone prices in India. This only indicates that feedstock Acetone price in India is cheaper than in China.***

XIV. Aurobindo Pharma Limited represented by ELP

33. Aurobindo Pharma Limited, as an importer of the product under consideration, submitted as under in its preliminary submissions and post hearing arguments.

- (i) The petitioner is the largest importer of IPA and has not disclosed this fact to the Authorized Officer. The fact has been concealed by writing "not applicable" at clause 35 of the confidentiality statement and by not providing its own name in list of known importers.
- (ii) The Investigation has been initiated without verification by the Authorized Officer of the accuracy and adequacy of claims and evidence as required by Rule 5 (3) of the Safeguard Quantitative Restrictions Rules ("Safeguard QR Rules").
- (iii) The Domestic Producer-cum-Importer is the largest importer of the PUC in India. The Authorized Officer has failed to raise any questions to the Domestic Producer-cum-Importer regarding such imports and therefore the initiation violates Rule 5(3) of the Safeguard QR Rules and must be terminated.

- (iv) The Domestic Producer-cum-Importer has deliberately concealed information regarding its own imports of the PUC in the Petition.
- (v) A domestic producer who itself is the largest importer of a product cannot be allowed to bring a safeguard action. Such imports break the causal link between increase in imports and injury. Allowing this would permit domestic industry to abuse the system.
- (vi) The present investigation, which is based on the misrepresentation and concealment of facts by the Domestic Producer-cum-Importer, must hence be terminated forthwith.
- (vii) The Domestic Producer-cum-Importer's explanation of its own imports is a complete fabrication and cannot be accepted. As per market intelligence, the Domestic Producer-cum-Importer has been importing the product since 2012 for trading purposes and the same is not a result of a dire situation as the Domestic Producer-cum-Importer has sought to portray.
- (viii) By the Domestic Producer-cum-Importer's own admission, in its annual reports, its trading business in IPA is an entirely strategic initiative, with an aim to control the supply of IPA.
- (ix) Domestic Producer-cum-Importer has exclusive import arrangements with at least two major foreign suppliers. Domestic Producer-cum-Importer is seeking further quantitative restrictions on imports, such that it may effectively control the supply of IPA in the Indian market and kill competition.
- (x) The Petitioner has failed to follow the format prescribed in the Form appended to the Safeguard QR Rules.
- (xi) The Authorized Officer has selected January 2019 to June 2019 as the most recent period, however the Domestic Producer-cum-Importer has not submitted any updated data for such period.
- (xii) The import data for January 2019 to March 2019 is equal to the import data for FY 2018-19. Clearly this is erroneous, and the entire injury table may be impacted by this error.
- (xiii) The Domestic Producer-cum-Importer has claimed as confidential all the reports relied upon to claim the existence of "unforeseen circumstances".
- (xiv) Domestic Producer-cum-Importer has misrepresented the situation of an alleged "surge in imports" having made no efforts to make any adjustments accounting for the share of its own imports in such alleged "surge in imports".
- (xv) Any assessment of the quantum of imports of IPA into India must necessarily account for imports made by the Domestic Producer-cum-Importer in order to assess the true picture of imports into the country which are in the range of 35% to upwards of 50% in different parts of the injury period.
- (xvi) After taking these into account, it is clear there is no such sharp, sudden and significant increase in imports.
- (xvii) Fluctuation in raw material prices is cyclical in nature and cannot be termed and unforeseen event. Moreover, present prices of Propylene are much lower than Acetone, therefore the circumstances alleged by the Domestic Producer-cum-Importer no longer exist.
- (xviii) A safeguard measure cannot be imposed based on possible import substitution due to plant shutdowns in one single country (China). If the Domestic Producer-cum-Importer is aggrieved by imports from China, it would be more appropriate to refer their complaint for anti-dumping or countervailing duties against China and not an application for safeguard measures.
- (xix) Argument by Deepak Phenolics that it is having higher costs due to setting up a new plant cannot be accepted as this has no bearing on a safeguard measure which is an emergency action and not a tool for protection.
- (xx) The Domestic Producer-cum-Importer cannot claim to have suffered a serious injury from increased imports, as it itself has been importing the PUC for trading purposes. Any alleged injury is therefore, self-inflicted.
- (xxi) Should the Authorized Officer find it necessary to conduct an analysis into injury parameters further, it must consider the impact of imports made by the Domestic Producer-cum-Importer itself on the present situation and as exclude such imports from the volume of imports that are finally considered in its analysis and also exclude the effects of such imports while assessing price injury.

- (xxii) Performance of the Domestic Producer-cum-Importer has been impacted by factors other than imports, including, hike in raw material prices, non-availability of propylene driven by annual maintenance shutdown at suppliers' end, IPA plant shutdowns, raw water supply cuts by MIDC, etc. all of which are detailed in its annual reports.
- (xxiii) Raw material price fluctuations are a common occurrence and not an unforeseen circumstance.
- (xxiv) The applicant's adjustment plan is hence based on a false premise that Acetone based manufacturing is 30 percent cheaper than the propylene route and cannot hence be considered viable.
- (xxv) The Domestic Producer-cum-Importer has been talking of capacity expansion since 2017 but this has been to no avail till date. Therefore, the ability of the Domestic Producer-cum-Importer to raise capacity to a level that is in line with the demand of IPA in the country is questionable.
- (xxvi) Any imposition of quantitative restrictions will be contrary to public interest and the interests of the user industry as well as the general public in India.
- (xxvii) Imports have been necessitated due to an acute gap in demand and supply of 70,000 MT capacity as against over 200,000 MT demand in the current year. The Domestic Producer-cum-Importer itself on a number of occasions has acknowledged the need for imports.
- (xxviii) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for promotion of domestic manufacturing of critical Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediates (DIs) and Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) In India" has been approved by the Government of India on 20 March, 2020. As a result of such scheme, there is a rise in investment and new companies in the pharmaceutical sector is expected. Accordingly, the demand of IPA will also substantially increase. In such circumstances the imposition of a quantitative restriction, will be a major hindrance for such projects and existing users.
- (xxix) IPA constitutes a key ingredient in the production of hand sanitizers. As a result of the COVID-19 pandemic, Indian demand for IPA for use in hand sanitizer is expected to grow anywhere between 40,000-60,000 MT per year in addition to existing demand of IPA at approximately 200,000 MT per year. This increase in demand cannot be met by existing capacities in India, the same requires imports.
- (xxx) 80 percent of IPA in India is used by the Pharmaceutical Industry largely for producing generic drugs which are highly price sensitive. IPA contributes around 7-10 percent of the cost of producing such drugs. In light of the present increases in prices of IPA, this contribution is going to rise exponentially. If on top of such price increases, quantitative restrictions are imposed, it will make procurement of IPA difficult as well as expensive thereby impacting cost effectiveness of the domestic generic drug producers, and their competitiveness and share in the global market. Quantitative restrictions would not only affect price but also cause shortages.
- (xxxi) Claim of the Domestic Producer-cum-Importer that the Pharmaceutical industry uses only 0.34 percent of IPA per kg of pharmaceutical product is entirely baseless and not substantiated with any valid source. Consumption of IPA or any solvent in the production of a pharmaceutical product is entirely dependent on the production "process" and the "recipe", which varies from one product to another. This can range anywhere from 1% to 25% (or more) consumption of IPA per product and it cannot be generalized.
- (xxxii) The Pharmaceutical industry is a key export and forex earning industry. Bulk drugs and drug formulations together, accounted for INR 62,245 crores of exports in FY 2019-20. In contrast, Domestic Producer-cum-Importer's revenue from IPA sales account for less than 1% (i.e. 0.65%) of total export sales that will be impacted if the quantitative restriction is imposed.
- (xxxiii) Pharmaceutical sector has given employment to approximately 2.86 million people whose livelihoods will be affected.
- (xxxiv) Access to affordable drugs is imperative in the general public interest and specifically in the present pandemic. Therefore, quantitative restrictions would be against public interest.
- (xxxv) The Domestic Producer-cum-Importers have identified excess capacity and supply in China, as a result of the US-China Trade War and domestic Chinese regulations, as one of the unforeseen developments. The Importer would highlight that the Domestic Producer-cum-Importer has only provided evidence of alleged excess capacities in China and no other countries. A safeguard measure cannot be imposed based on possible import substitution due to excess capacities in one single country.

- (xxxvi) Should the Authorized Officer still find it necessary to conduct an investigation further, it is submitted that it must consider the impact of imports made by the Domestic Producer-cum-Importer itself on the present situation of the domestic industry, as a contributing factor to any alleged injury it is suffering, as well as exclude such imports from the volume of imports that are finally considered in its analysis and also exclude the effects of such imports while assessing price injury.
- (xxxvii) With respect to cost of production of the Domestic Producer-cum-Importer, while the Domestic Producer-cum-Importer has presented information demonstrating a steady increase in their cost of production for the POI. The Importer submits that the same cannot be attributed to increase in imports. As stated earlier, the Domestic Producer-cum-Importer employs an admittedly less cost-effective method of production using a raw material for which it has not only faced shortages in supply but whose price has admittedly remained volatile.
- (xxxviii) The Importer submits that the Domestic Producer-cum-Importer has misrepresented the situation of an alleged “surge in imports” having made no efforts to make any adjustments accounting for the share of its own imports in such alleged “surge in imports”.
- (xxxix) The Domestic Producer-cum-Importer has averred that it is the sole producer of the subject goods accounting for 100 percent of the production of the PUC in India. However, since the commercialization of the IPA plant commissioned by Deepak Phenolics, such averment is no longer correct.
- (xl) The Domestic Producer-cum-Importer has alleged that the market share of imports has increased whether or not imports made by domestic industry are excluded. As stated previously, imports have been necessitated due to increasing demand and the inability of the Domestic Producer-cum-Importer to meet this demand and increase its capacity

XV. Ineos Solvents

34. While Ineos Solvents filed preliminary submissions, it did not participate in the oral hearing or file any submissions thereafter. The submissions filed are summarized below.
- (i) Imports are necessary to meet the demand-supply gap.
 - (ii) If quantitative restrictions are applied, they should not be blanket restriction, but it should be applied depending on country of origin.
 - (iii) There should be no quantitative restrictions for imports from Germany as they do not possess a threat of injury to the domestic industry.

XVI. Sandeep Organics Private Limited

35. The aforesaid importer submitted as under with regard to the scope of product under consideration and surge in imports.
- (i) The price and usage of IPA depends on purity and packaging and the imported goods have different purity and packaging.
 - (ii) The petitioner manufactures only Benzene free IPA and hence, only imports of benzene free IPA should be considered.
 - (iii) Imported IPA also includes recovered, recycled and distilled, which is cheaper.
 - (iv) The petitioner has not shared non-confidential data.
 - (v) CIF prices of IPA have doubled, and the local prices have increased by 2.5 times. The demand for IPA has increased.
 - (vi) There is no surge in imports of phenol or acetone even though their prices fell. Thus, there is no reason for surge in import of IPA.
 - (vii) The petitioner initially imported IPA as there was demand-supply gap and the price was increasing due to COVID-19, and later applied for safeguard measures.

D. EXAMINATION & FINDINGS OF THE DIRECTOR GENERAL

36. Based on the submissions made and evidence presented by all the interested parties, I have examined concerns on all aspects and record my final findings as under:

I. Applicable Legal Provisions

37. Section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 provides for the imposition of safeguard measures in the form of quantitative restrictions if goods are imported into India in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry.
38. The Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012 have been notified under powers conferred by Section 9A(3) to provide for the manner in which goods, the import of which shall be subject to quantitative restrictions, may be identified and the manner in which serious injury or threat of serious injury due to surge in imports in relation to such goods may be determined.
39. The investigation has been conducted in accordance with the said provisions of the Act and the Rules and the final findings are recorded through this notification.

II. Product Under Consideration (PUC)

40. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as under.

"The product concerned is "Isopropyl Alcohol" (IPA), which is also known as Isopropanol. IPA is a compound with the chemical formula CH₃CHOHCH₃ and can be produced using Acetone or Propylene. It is a colorless, flammable liquid and is used in production of a variety of industrial and household chemicals, bulk drugs and drug formulations, antiseptics, disinfectants, and detergents etc. The product under consideration consists of 99.8% of IPA, 0.1% of water and 0.1% impurities. The subject products are classifiable under the tariff heading 2905, under code 2905 12 20, in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. It is clarified that the said HS code is indicative only and the product description shall prevail in all circumstances."

41. One of the importers, namely Sandeep Organics Limited, has submitted that there is a need for modification of the product scope as there is a difference in the purity and packaging of the imported goods and the domestic goods and the price and usage of IPA depends on such purity and packaging. It has also been contended that the domestic industry manufactures only benzene free IPA. Further, the importer submitted that the imported goods include recovered, recycled and distilled IPA which is cheaper. However, the interested party has not demonstrated any material difference in the specifications, purity or packaging of the imported and the domestic product. The domestic industry has claimed that both the imported and the domestic IPA are available in standard bulk packing and in drums and there exists no difference on account of packaging. The domestic industry has also clarified that IPA manufactured using propylene is benzene free, whereas the IPA manufactured using acetone is not benzene free. Since acetone-based IPA is identical to propylene-based IPA, barring the raw material used, the imported and domestic product cannot be treated as different products on this account. It is also noted that the exporters or consumers of the product have not claimed any difference between the imported goods and the domestic goods. Thus, it is noted that the need for modification of product scope has not been substantiated.
42. It has also been claimed that the Spanish producer ITW has exported pharmaceutical grade IPA, which is processed and re-exported to Europe. It has been stated that the product produced by the domestic industry is not acceptable under the European Standards, and thus, there is a need for exclusion of such pharmaceutical grade. However, the domestic industry has furnished sales invoices showing exports of pharmaceutical grades to Europe and their REACH certificate showing that the IPA produced by it is accepted under the REACH regulations. Therefore, no modification is warranted to the scope of the product under consideration on this account.
43. In view of the aforesaid, the Authorized Officer finds that there is no need for modification to the scope of the product, as defined in the initiation notification.
44. Further, on the basis of the information on record, the Authorized Officer holds that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the imported goods. They are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The goods produced by the domestic industry are also technically and commercially identical to the product being imported. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authorized Officer holds that the product manufactured by the applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject country in terms of Rule 2(e) of the Rules.

III. Scope and Standing of domestic industry

45. Clause (b) of sub-section (4) of Section 9A of the Act defines domestic industry, as follows:

"(b) domestic industry means the producers of goods (including producers of agricultural goods)—

(i) as a whole of the like goods or directly competitive goods in India; or

(ii) *whose collective output of the like goods or directly competitive goods in India constitutes a major share of the total production of the said goods in India;*"

46. The present application has been filed by *M/s Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL)*, as the sole producer of the product under consideration in India during the period of investigation having a propylene-based IPA's existing capacity of 70,200 MT. Another producer, *M/s Deepak Phenolics Limited (DPL)* which has set up a plant for production of the subject goods post the period of investigation has supported the application. DPL has commenced production in April, 2020 with an acetone-based IPA production capacity of 30,000 MT which has been extended by another acetone-based firm capacity addition of 30,000 MT during 2021 (as per ICIS-LOR report), thereby making the total capacity of DPL to be 60,000 MT. The relevant extract of the said ICIS-LOR report had been shared by the domestic industry with all the interested parties. Further, the Authorized Officer has duly verified the capacity addition of more than 30,000 MT from the evidence provided in respect of DPL in this regard. Hence, such existing capacities of DFPCL and DPL have been duly considered for adequately addressing the possibility of any demand-supply gap.
47. A number of interested parties have submitted that the applicant has imported significant quantities of the product under consideration and thus, cannot maintain an application for imposition of safeguard measures. The interested parties have also submitted that the initiation is bad in law, as the applicant has imported the subject goods and this fact has not been noted in the Initiation Notification. The interested parties have also asked the Authorized Officer to examine the reasons for imports. The applicant has submitted that it had provided all relevant information, as prescribed by the Authorized Officer. The application proforma does not require this information in the application. However, a domestic producer is required to provide relevant information upon initiation of investigation. The applicant has filed this information through the prescribed questionnaire. The applicant submitted that the definition of the domestic industry under the safeguard law does not prevent a domestic producer from filing application if such domestic producer has imported the product.
48. The Authorized Officer notes that there is no exclusion of a domestic producer who has imported the product under the law. As per Section 9A sub-section 4(b) of the FTDR Act, which defines the term '*domestic industry*', no distinction has been made for a producer who indulges in the imports of subject goods. Further, the format prescribed for filing application for safeguard measures does not require the applicant to provide information with regard to imports made by it. The Director-General has instead prescribed this requirement for the submission of Information on imports in the Questionnaire for Domestic Producers that is issued post the initiation of an investigation. The applicant has filed the said questionnaire response and has provided the relevant information. The Authorized Officer thus considers that all requirements in this regard have been duly complied by the applicant. Though the imports made by the domestic industry shall be considered while examining the surge in imports of the subject goods, so as to remove any self-inflicted injury caused to the domestic industry.
49. The applicant has explained that it had imported the product to continue to cater to its customers, beyond its own capacity. However, as the price of imports declined, it became unviable for the applicant to sell its own production. The Authorized Officer notes that, there was a demand-supply gap in the country and thus the imports were inevitable. The volume of imports in the past was only to the extent of the existing demand-supply gap which has now surpassed this gap.
50. In view of the arguments of the interested parties, the Authorized Officer examined the volume and price of imports by the applicant and other importers over the relevant period. The domestic industry has submitted that (a) there has been demand-supply gap in the product for past some time, (b) since the product is in the nature of a solvent for the consumers, the consumers prefer to source the entire requirement from a single source. Therefore, the domestic industry has been historically importing the product largely from non-Chinese sources in bulk, storing the same and then selling the same to the consumers, along with its own production. Further, the domestic industry has been selling this imported product after recovering its overhead costs and a marginal profit thereon. This activity was being undertaken by the domestic industry for past several years.
51. The applicant submitted that the capacity and production of phenol increased over the period due to a strong demand for phenol. As production of phenol increased, the production of acetone also increased, as acetone is a co-product of phenol. This created an oversupply of acetone in the market and led to significant decline in the prices of acetone. The decline in prices of the acetone led to significant decline in the prices of IPA leading to surge in imports over the period. Further, the domestic industry has contended that the influx in imports of Phenol based IPA has made it commercially unviable for them to compete with the imported products.
52. This overall surge in and the lower price of imports forced the domestic industry to sell the imported material at a lower price so much so that the domestic industry was not able to recover even its cost of production. It

is thus seen that (a) in the beginning, the price at which the domestic industry imported the product was lower than the price at which other importers were importing. However, in the recent period, the price at which the domestic industry imported the product was higher than the price at which other importers imported, (b) the share of imports by the domestic industry in total imports has declined over the period of investigation, (c) the volume of imports by the domestic industry was in similar region over the entire period, (d) volume of imports, excluding imports made by the domestic industry, have increased significantly.

53. Thus, the imports made by the domestic industry were to meet special circumstances of demand-supply gap. However, when this gap was surpassed due to glut of acetone-based IPA and with propylene-based IPA costlier than the former, the domestic industry was forced to import the acetone-based IPA also (in addition to propylene-based IPA), as it became unviable for the applicant to sell its own production.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 Annual	Jan-Jun -19 Annual	July-Dec 19 Annual
Import volumes	MT	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
Trend		100	114	142	186	151
Imports by domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend		100	105	116	128	99
Imports by Others	MT	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
Trend		100	130	187	285	240
<u>Share in imports:</u>						
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend		100	92	82	69	66
Other Importers	%	37%	42%	48%	57%	59%
Trend		100	114	131	153	159
<u>Profit/Loss Earned by domestic industry:</u>						
Trading	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	(55)	(35)	(410)	(66)
Manufacturing	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend		100	58	(12)	(74)	(129)

54. The Authorized Officer also considers the fact that imports by the domestic producer does not disentitle such domestic producer from seeking Quantitative Restrictions. In fact, any such Quantitative Restrictions would equally apply and impact even the applicant domestic producer. The Quantitative Restrictions shall get applied on non-discriminatory basis on all suppliers and would impact all imports equally.

55. Considering the information on record, facts of the case and legal position, the Authorized Officer holds that *Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited* constitutes domestic industry in terms of the provisions of Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 referred hereinabove.

IV. Period of Investigation

56. The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 and the said Rules as well as the WTO Agreement on Safeguards and Article XIX of GATT neither define nor provide any guidance regarding the period of investigation. However, it is evident that the investigation period should be adequately long and sufficiently recent in time to allow reasonable conclusions to be drawn on the basis of various relevant factors such as domestic market conditions, performance of domestic industry etc., as to whether or not the increased imports are indeed causing serious injury or threatening to cause serious injury to the domestic industry and therefore justify the need for imposition of Safeguard measures. On this basis, in the present case, it was considered reasonable to consider the period for present investigation as April 2016 to June

2019. Further, the surge in imports and the most recent period for the purpose has been considered as January 2019 – June 2019.

57. It has been the practice of the Directorate to consider the period subsequent to the investigation period considered in the initiation for the final determination. The Authorized Officer has therefore considered the period up to Dec., 2019 for the purpose of final determination. The Period thereafter has been impacted by the Covid Pandemic. The interested parties have also drawn the attention of the Authorized Officer to the high price of the product in the recent period, and particularly after onset of the current COVID pandemic. While the Authorized Officer notes that the period after December 2019 is an abnormal period and it would not be appropriate to consider it for the present determination, in view of the arguments of the interested parties, the Authorized Officer has called information for the most recent period and examined the same separately in order to ascertain whether there is any development/change in the situation which no longer justifies invoking safeguard measure.

V. Source of Information

58. At the time of initiation, the domestic industry submitted transaction-wise import data for the product under consideration, which has been sourced from Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics (DGCI&S), for the period from 2016-17 till June, 2019. The domestic industry has provided its injury data for the period from 2016-17 and up to June 2019. Thereafter, domestic industry provided its own data as well as import data procured from DGCI&S for the subsequent period up to Dec., 2019. The Authorized Officer has obtained relevant DGCI&S data and has considered the same for the present determination.

VI. Confidentiality of Information Submitted

59. The interested parties have provided some information on confidential basis and have requested that it be treated as confidential. The interested parties have provided a non-confidential version (NCV) of the information provided on confidential basis, as required under Rule 7 of the Rules. Further, the interested parties have submitted reasons justifying their claim of confidentiality of this information.
60. Under Rule 7 of the Rules, an interested party may provide information on confidential basis and may choose not to disclose such information to other interested parties participating in the investigations. A party may claim such information confidential which is by nature confidential, or disclosure of which may cause prejudice to the party disclosing such information and give undue advantage to the competitors. An interested party filing an information on confidential basis is however required to provide a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.
61. The domestic industry submitted information on confidential basis and has submitted reasons for claiming confidentiality. Further, the domestic industry has furnished a non-confidential summary of the information filed on confidential basis.
62. Some interested parties have claimed that the applicant has claimed excessive confidentiality by not providing copies of the ICIS report. The applicant justified the same and contended that such reports are proprietary documents of ICIS, and accordingly, the applicant is not authorized to disclose the same. The interested parties have also questioned the confidentiality claims of the applicant with regard to capital employed, inventory, government approvals, and imports. However, such information is business proprietary information of the applicant. Further, the applicant has provided a non-confidential summary of the relevant injury information. The Authorized Officer considers that the confidentiality claimed by the interested parties is appropriate.

VII. Nature and Quantum of Import

63. Under the provisions of Section 9A of the Act, safeguard measures may be imposed where a product is being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic industry. As per Rule 2(c) of the Quantitative Restrictions Rules, “increased quantity” includes increase in import whether in absolute terms or relative to domestic production.

a. Increase in absolute terms

64. The volume of imports over the period is as under.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 Annual	Jan-Jun - 19 Annual	July-Dec 19 Annual
Import volumes including	MT	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165

domestic industry						
Trend	Indexed	100	114	142	186	151
Imports by domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	116	128	99
Imports by Others	MT	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
Trend	Indexed	100	130	187	285	240
Demand in India	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	117	135	122

65. The product is being imported into India from various countries, with major quantities being imported from China PR, Korea RP, Singapore and Taiwan. It is noted that the total volume of imports of the product under consideration have increased from 85,348 MT in 2016-17 to 1,58,736 MT in Jan-Jun, 19 (Annl.), implying an increase of 86% over the period, while the demand for the product increased by 35%. After excluding the domestic industry-imports, the volume of imports of the product under consideration have increased from 31,529 MT in 2016-17 to 89,875 MT in Jan-Jun, 19 (Annl.), implying an increase of 185% over the period. Further, the imports have also increased at an increasing rate, when compared on a year-on-year basis. Thus, there has clearly been a surge in imports during the present investigation period.

66. In view of the arguments of the interested parties with regard to imports by domestic industry, the Authorized Officer examined imports after excluding imports by the domestic industry. It is seen that if imports by the domestic industry are excluded, the imports have increased at a much faster pace.

67. The interested parties have claimed that the imports have increased only on account of existence of demand-supply gap in the country. The Authorized Officer therefore examined the volume of imports and demand in the country. However, had the increase in imports been only to the extent of the excess demand, the domestic industry would have been able to maintain its capacity utilization. In the present case, the capacity utilization of the domestic industry has declined, which demonstrates that the increased imports surpass the demand-supply gap in the country.

68. The domestic industry has been a historical importer due to demand-supply gap and keeping in view the nature of the product concerned and the requirement of the users to have certainty in regular supply at reasonable prices from the domestic industry. The traditional business model of the domestic industry, which was to supplement demand-supply gap by not reducing the production, got adversely impacted by the aggressive pricing policy of foreign producers.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 Annual	Jan-Jun - 19 Annual	July-Dec -19 Annual
Total Imports	MT	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
Trend	Indexed	100	114	142	186	151
Non-domestic industry Imports	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	130	187	285	240
Total Demand	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	117	135	122
Capacity of domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100
Gap (demand-capacity)	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	131	164	140
Imports in excess of Demand-capacity	MT	***	***	***	***	***

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 Annual	Jan-Jun - 19 Annual	July-Dec -19 Annual
gap						
Trend	Indexed	100	(249)	1,538	2,970	1,595

b. Relative terms

69. The Authorized Officer examined the volume of imports in relation to Indian production over the period. It is seen that the imports have increased significantly in relation to domestic production and consumption.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 Annual	Jan-Jun - 19 Annual	July-Dec 19 Annual
Import volumes	MT	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
Trend	Indexed	100	114	142	186	151
Imports by domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	116	128	99
Imports by Others	MT	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
Trend	Indexed	100	130	187	285	240
Demand in India	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	117	135	122
Indian production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	86	74	85
<u>Imports in relation to production:</u>						
Production	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	165	250	179
Consumption	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	121	138	124

VIII. Unforeseen Developments

70. Article XIX of GATT obligates the investigating authorities to examine “unforeseen developments” that led to the increase in imports and the consequent serious injury to the domestic industry. In view of this requirement, this Directorate has consistently been examining the issue of “unforeseen developments” in its investigations. Further, Rule 9(1) Quantitative Restrictions Rules also provides that increased imports must be as a result of unforeseen developments as under:

“The Authorised Officer shall, within eight months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, as a result of unforeseen developments the increased imports of the goods under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry, and a causal link exists between the increased imports and serious injury or threat of serious injury”

71. The Authorized Officer examined the unforeseen developments or circumstances that have led to the sharp increase in the imports of the product under consideration during the period of investigation.

72. The Appellate Body of WTO in Argentina–Footwear (EC) defined “unforeseen developments” as relating to developments that are “unexpected”. The Appellate Body also distinguished the term from “unforeseeable”, that is, “unpredictable” or “incapable of being foreseen, foretold or anticipated”. Further, the Appellate Body examined the requirement relating to “effect of obligations incurred” and concluded that the phrase simply

means that it must be demonstrated that the importing member incurred obligations under the GATT. The relevant portion of the findings of the Appellate Body are reproduced below.

“91. To determine the meaning of the clause – “as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions ... ” – in sub-paragraph (a) of Article XIX:1, we must examine these words in their ordinary meaning, in their context and in light of the object and purpose of Article XIX. We look first to the ordinary meaning of these words. As to the meaning of “unforeseen developments”, we note that the dictionary definition of “unforeseen”, particularly as it relates to the word “developments”, is synonymous with “unexpected”. “Unforeseeable”, on the other hand, is defined in the dictionaries as meaning “unpredictable” or “incapable of being foreseen, foretold or anticipated”. Thus, it seems to us that the ordinary meaning of the phrase “as a result of unforeseen developments” requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been “unexpected”. With respect to the phrase “of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions ... ”, we believe that this phrase simply means that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions. Here, we note that the Schedules annexed to the GATT 1994 are made an integral part of Part I of that Agreement, pursuant to paragraph 7 of Article II of the GATT 1994. Therefore, any concession or commitment in a Member's Schedule is subject to the obligations contained in Article II of the GATT 1994.”

73. Similarly, the Appellate Body of WTO in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments, not foreseen or expected when member incurred that obligation. The Appellate Body also recognized that unforeseen developments are circumstances, which must be demonstrated as a matter of fact. Further, the Panel in US-Steel Safeguards concluded that the confluence of several events can unite to form the basis of an unforeseen development. The Appellate Body, in the same case, also noted that increased imports must be an outcome of unforeseen developments that is, it is the unforeseen developments that resulted in increased imports. The relevant extract of the findings of the Appellate Body are given below.

“315. Turning to the term “as a result of” that is also found in Article XIX:1(a), we note that the ordinary meaning of “result” is, as defined in the dictionary, “an effect, issue, or outcome from some action, process or design”. The increased imports to which this provision refers must therefore be an “effect, or outcome” of the “unforeseen developments”. Put differently, the “unforeseen developments” must “result” in increased imports of the product (“such product”) that is subject to a safeguard measure.”

74. It is thus evident that the increase in imports must be on account of developments that were unforeseen or unexpected. Further, the development must have been unforeseen at the time of incurring the obligations that is, accession to WTO, resolving to abide by the commitments under various WTO Agreements, and providing tariff concessions.
75. The domestic industry submitted that the unforeseen development leading to increase in imports was the non-competitiveness of propylene-based IPA versus acetone-based IPA, resulting in the latter becoming cheaper. The applicant has also relied upon the decline in domestic demand in China PR due to shut down of downstream plants and imposition of tariffs by USA against the downstream products. The following is noted considered with regard to unforeseen developments:

Obligations incurred under WTO

76. Article XIX of GATT requires that the increased imports must be an effect of obligations incurred under the GATT. The Appellate Body has, in Argentina – Footwear, clarified the requirement that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT, including tariff concessions. It is noted that the present duty on the product under consideration is only 7.5% while the bound rate of customs duty on the product is 40%. It is thus clear that India incurred obligations under GATT in the form of tariff concessions.

Decline in prices of acetone leading to decline in IPA prices

77. The information provided by the domestic industry shows that the demand for Bisphenol-A and Polycarbonates increased significantly. As a result, the demand for phenol increased. This led to an increase in the phenol production and phenol prices. Since acetone is generated as a co-product in production of phenol, the increased production of phenol created a supply glut for acetone. In the absence of a commensurate increase in the demand for acetone, the prices for acetone crashed. Resultantly, some new

acetone-based IPA plants were started by foreign producers. Further, the applicant submitted that capacity and production of phenol increased over the period due to a strong demand for phenol leading to a sharp, sudden, and significant rise in global consumption of phenol by about 14,45,000 MT from 2016 to 2019.

78. IPA can be produced through two routes – acetone and propylene. The domestic industry produces IPA using propylene as a raw material. The domestic industry submitted that the foreign producers are now producing IPA using acetone route. It is seen that during the POI, the prices of acetone started declining from 2017 whereas the prices of propylene increased in 2018 and 2019 vis-à-vis 2017. As production of phenol increased, the production of acetone also increased, as acetone is a co-product of phenol. This created an oversupply of acetone in the market and led to significant decline in the prices of acetone. The decline in prices of the acetone led to significant decline in the prices of IPA leading to surge in imports over the period. However, since propylene prices were increasing when acetone prices were declining, cost of production of acetone-based IPA (imported product) declined, whereas cost of production of propylene-based IPA (like product) increased. It is seen that IPA import prices declined sharply, leading to surge in imports over the period. This forced the producers manufacturing propylene-based IPA to reduce their prices, even when their costs were not declining. Thus, the domestic industry has contended that the influx in imports of acetone-based IPA has made its product (propylene-based IPA) commercially unviable to compete with the imported products.

Surplus and increased capacities with foreign producers

79. The domestic industry submitted that the foreign producers have invested and built-up fresh capacities of IPA. Further, share of acetone-based IPA has increased from 9% in 2010 to 27% in 2018. However, since global demand did not increase proportionately, this has resulted in surplus capacities for IPA. The domestic industry submitted that the global capacity utilizations for the product declined to 62% in 2018, with certain producers in North-East Asia recording even lower capacity utilizations at 52%.

Increased supply of acetone-based IPA at lower prices

80. The domestic industry submitted that acetone-based IPA was available at significantly lower prices. The domestic industry further submitted that with the decline in prices of acetone, increased share of imports was made at a price even below the variable cost of the domestic industry, resulting in increase in imports.
81. Interested parties submitted that the domestic industry is claiming protection due to its own inefficiencies. The Authorized Officer however notes that safeguard measures are imposed to protect the domestic industry and to facilitate positive adjustment. The domestic industry submitted that propylene-based IPA costs became unviable with the decline in the IPA price due to decline in acetone prices.
82. The interested parties have submitted that fluctuations in prices of raw materials cannot be considered as unforeseen developments. The Authorized Officer however notes that the Appellate Body distinguished the phrase “unforeseen” from “unforeseeable” and noted that the term “unforeseen developments” means that the developments which led to a product being imported in increased quantities must have been “unexpected”. As against this, the term “unforeseeable” implies “incapable of being foreseen, foretold or anticipated”. In the present case, while the fluctuations of prices are not unforeseeable, the sudden non-competitiveness of production using one raw material, versus the other raw material, was certainly unexpected and thus unforeseen.

Reduced demand for the product under consideration in China PR

83. The applicant has submitted that the demand for the product has declined in China as a result of shutdown of downstream plants due to environmental concerns and as an impact of the tariff escalations by USA against imports from China.
84. Having analyzed the above, the Authorized Officer notes that the increase in imports is as a result of the oversupply of acetone, and resultant decline in prices leading to decline in the IPA prices. The decline in IPA prices led to surge in imports of the product. The developments were clearly unforeseen and led to surge in imports. The Authorized Officer holds that the increase in imports was on account of unforeseen developments. It is concluded that the increase in imports during the recent period is an outcome of the unforeseen developments and of the effect of obligations incurred by India under the GATT, in terms of Article XIX thereof.

IX. Serious Injury and/or Threat of Serious Injury

85. The Authorized Officer is required to examine whether the increased imports of the product have caused or are threatening to cause serious injury to the domestic industry of like or directly competitive products. As per Section 9A(3) of the Act, serious injury means an injury causing significant overall impairment in the situation of a domestic industry, while threat of serious injury means a clear and imminent danger of serious

injury. Rule 8(a) of the Quantitative Restrictions Rules provides as under with regard to determination of injury

“The Authorised Officer shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely:-

(a) in the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Authorised Officer shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the goods concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment;”

86. In this regard, the Appellate Body, in the case of Argentina - Footwear (EC), discussed the relationship between the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) and the requirement of an evaluation of "all relevant factors" in Article 4.2(a)

“139. In our view, it is only when the overall position of the domestic industry is evaluated, in light of all the relevant factors having a bearing on a situation of that industry, that it can be determined whether there is "a significant overall impairment" in the position of that industry. Although Article 4.2(a) technically requires that certain listed factors must be evaluated, and that all other relevant factors must be evaluated, that provision does not specify what such an evaluation must demonstrate. Obviously, any such evaluation will be different for different industries in different cases, depending on the facts of the particular case and the situation of the industry concerned. An evaluation of each listed factor will not necessarily have to show that each such factor is "declining". In one case, for example, there may be significant declines in sales, employment and productivity that will show "significant overall impairment" in the position of the industry, and therefore will justify a finding of serious injury. In another case, a certain factor may not be declining, but the overall picture may nevertheless demonstrate "significant overall impairment" of the industry. Thus, in addition to a technical examination of whether the competent authorities in a particular case have evaluated all the listed factors and any other relevant factors, we believe that it is essential for a panel to take the definition of "serious injury" in Article 4.1(a) of the Agreement on Safeguards into account in its review of any determination of "serious injury".”

87. Further the Panel in US – Wheat Gluten, in a finding upheld by the Appellate Body, elaborated on the meaning of the term “serious injury”:

“We do not consider that a negative trend in every single factor examined is necessary in order for an industry to be in a position of significant overall impairment. Rather, it is the totality of the trends, and their interaction, which must be taken into account in a serious injury determination. Thus, such upturns in a number of factors would not necessarily preclude a determination of serious injury. It is for the investigating authorities to assess and weigh the evidence before them, and to give an adequate, reasoned and reasonable explanation of how the facts support the determination made.”

88. In view of the aforesaid legal principles, the parameters relating to injury have been analyzed hereinbelow.

i) Assessment of demand/consumption

89. The Authorized Officer has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of Indian Producers and imports from all sources. It is seen that the demand for the product under consideration has shown significant increase over the period. Further, imports of the product increased at a pace faster than the increase in demand.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 Annual	Jan-Jun - 19 Annual	July-Dec 19 Annual
Import volumes	MT	85,348	97,533	1,21,422	1,58,736	1,29,165
Trend	Indexed	100	114	142	186	151

Imports by domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	105	116	128	99
Imports by Others	MT	31,529	40,967	58,883	89,875	75,802
Trend	Indexed	100	130	187	285	240
Sales by domestic industry	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	86	73	86
Demand in India	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	117	135	122

ii) Share of domestic industry

90. The share of the imports and domestic industry were as below. It is seen that the market share of the imports have increased significantly. As a result, market share of the domestic industry fell sharply.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 annual	Jan-Jun - 19 annual	July-Dec 19 annual
		Annual	Annual	Annual	Annual	Annual
<u>Market share excluding domestic industry imports:</u>						
Imports	%	31%	36%	50%	64%	56%
Trend	Indexed	100	116	159	205	179
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	93	73	52	64
Total	%	100%	100%	100%	100%	100%
<u>Market share including domestic industry imports:</u>						
Imports	%	55%	58%	67%	76%	68%
Trend	Indexed	100	105	121	138	124
Domestic industry's trading	%	***	***	***	***	***
Other importers	%	20%	24%	32%	43%	40%
Trend	Indexed	100	119	159	211	197
Total imports	%	55%	58%	67%	76%	68%
Trend	Indexed	100	105	121	138	124
Domestic industry	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	74	54	70
Total for all	%	100%	100%	100%	100%	100%

91. The market share of the domestic industry has been determined by considering both manufacturing and trading. It is seen that the market share of the domestic industry shows a decline whether or not trading is included.

iii) Domestic Sales

92. The domestic sales of the domestic industry were as follows. It is seen that domestic sales of the domestic industry declined significantly over the period. The decline in sales is despite increase in demand and unutilised capacities with the domestic industry.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 Annual	Jan-Jun - 19 Annual	July-Dec 19 Annual
Domestic sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	86	73	86
Export sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	143	121	39	48

iv) Production

93. The level of production over the period changed as under. It is seen that the production of the domestic industry declined significantly in the recent period. The decline in production is despite increase in demand for the product.

94. The production by the domestic industry reduced and ratio of imports to production by the domestic industry also increase indicating the change in business model under the distress of surge.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec -18 Annual	Jan-Jun - 19 Annual	July-Dec 19 Annual
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	86	74	85

v) Capacity utilisation

95. It is seen that the capacity utilisation of the domestic industry declined significantly in the recent period with the increase in imports in the Country.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 Annual	Jan-Jun-19 Annual	Jul-Dec-19 Annual
Installed capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	86	74	85
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	86	74	85

vi) Employment

96. It is seen that the employment with the domestic industry has not got materially impacted.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 Annual	Jan-Jun-19 Annual	July-Dec-19 Annual
No. of employees	Nos	***	***	***	***	***
Wages	Rs in Lacs	999	1,243	1,289	1,240	1,084

vii) Productivity

97. The productivity per employee and per day declined over the injury period, following the decline in production of the domestic industry.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 Annual	Jan-Jun-19 Annual	July-Dec-19 Annual
No. of employees	Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	98	109	109	109
Wages	Rs in Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	124	129	124	109

viii) Profit / loss

98. The profit / loss of the domestic industry over the period was as under. It is seen that the profits of the domestic industry declined sharply over the injury period. Further, the domestic industry started suffering financial losses in the recent period with the surge in imports.

99. The injury on amount of trading is noted to be significantly lower than form the injury on account of manufacturing and the shift towards import is one to control the injury to be maximum possible extent therefore the imports by domestic industry can't be construed as self-inflicted.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 Annual	Jan-Jun-19 Annual	Jul-Dec-19 Annual
Profit/loss	Rs/MT					
Own Production	Rs/MT	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	58	(12)	(74)	(129)
Trading	Rs/MT	***	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	(55)	(35)	(410)	(66)
Total profit/loss	Rs in Lacs					
Own Production	Rs in Lacs	***	***	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	60	(10)	(54)	(87)
Trading	Rs in Lacs	***	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	100	(57)	(43)	(514)	(82)

ix) Inventory

100. The inventory position of the domestic industry over the period was as below. It is seen that the inventories with the domestic industry declined in 2017-18. The inventories have however increased significantly in the recent period with the surge in imports.

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 Annual	Jan-Jun-19 Annual	Jul-Dec-19 Annual
Own production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	41	95	154
Opening	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	262	57	92	254
Closing	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	22	35	97	116
Trading	MT	***	***	***	***	***

Particulars	Units	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 Annual	Jan-Jun-19 Annual	Jul-Dec-19 Annual
Trend	Indexed	100	224	341	473	506
Opening	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	327	630	825	1,193
Closing	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	193	252	365	296

x) Price undercutting

101. The level of price undercutting has been noted as below. It is seen that the imports have been undercutting the domestic price throughout the injury period. However, the price undercutting has increased significantly in the recent period.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr-Dec, 18 Annual	Jan-Jun, 19 Annual	July-Dec 19 Annual
Landed value	₹/MT	58,499	67,088	73,803	63,220	52,361
Trend	Indexed	100	115	126	108	90
Net sales realisation	₹/MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	111	120	111	94
Price undercutting	₹/MT	***	***	***	***	***
Price undercutting	Indexed	100	66	38	157	151
Price undercutting	%	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range	1-10%	1-10%	1-10%	5-15%	10-15%

102. It is thus seen that the performance of the domestic industry has deteriorated in both volume and price parameters i.e. in respect of production, capacity utilisation, domestic sales, inventories, market share and profits. The domestic industry has suffered serious injury.

X. Recent performance post investigation period

103. It has been the practice of the Directorate to consider the period subsequent to the investigation period considered in the initiation for the final determination. The Authorized Officer has therefore considered the period up to Dec.2019 for the purpose of final determination. The Period thereafter has been impacted by the COVID pandemic. The interested parties have also drawn the attention of the Authorized Officer to the high price of the product in the recent period, and particularly after onset of the current COVID pandemic. While the Authorized Officer notes that the period after December 2019 is an abnormal period and it would not be appropriate to consider it for the present determination, in view of the arguments of the interested parties, the Authorized Officer has called information for the most recent period and examined the same separately in order to ascertain whether there is any development/change in the situation which no longer justifies invoking safeguard measure.

104. An examination of the performance of the domestic industry post investigation period shows as under:

- An analysis of the imports into India (excluding imports by domestic industry), demand and market share of various parties shows that the imports have declined in subsequent period, barring July, 2021. However, the volume of imports continues to remain at increased levels as compared to the earlier periods of 2016-17 and 2017-18. The trend is the same both in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Further, share of domestic industry continued to decline in respect of both manufacturing and trading.

	Period	Imports into India (MT)			Demand (MT)	Market share (%)			
		By domestic industry.	By others	Total		Imports		Indian Industry	
						Excluding domestic industry.	Domestic industry	DFPCL	DPL
1	2016-17	***	31,529	85,348	***	20%	***	***	***
2	2017-18	***	40,967	97,533	***	24%	***	***	***
3	Apr'18-Dec'18	***	44,162	91,066	***	32%	***	***	***
4	Jan'19-Jun'19	***	44,937	79,368	***	43%	***	***	***
5	Jul'19-Dec'19	***	37,901	64,583	***	40%	***	***	***
6	Jan'20-Jun'20	***	31,876	56,194	***	33%	***	***	***
7	Jul'20-Dec'20	***	78,709	1,05,176	***	54%	***	***	***
8	Jan'21-Mar'21	***	28,236	33,232	***	56%	***	***	***
9	Apr'21-June'21	***	22,175	28,255	***	49%	***	***	***
10	Jul'-21	***	14,539	17,840	***	54%	***	***	***

- b. The production, capacity utilization and sales of the domestic industry have continued to remain at lower level as compared to 2016-17, and 2017-18. Profitability of the domestic industry improved significantly after March, 2020, and the domestic industry earned significant profits in April-June, 2020. Profitability however declined significantly thereafter and the domestic industry has once again started suffering financial losses in the most recent period from July, 2021 onwards. The domestic industry has submitted that the acetone prices have once again declined very significantly, which has led to decline in the prices of IPA. The domestic industry provided forecasts for the next few years, as drawn by ICIS, which shows that the prices of acetone and IPA are likely to remain low, whereas the prices of propylene are going to remain firm, thus leading to adverse profitability of propylene-based IPA.
- c. As regards high profits in some period, the domestic industry has submitted that as far as use of IPA for making hand sanitizers is concerned, (a) its prices were regulated by Govt. and therefore remained low as per Govt. directive, (b) use of IPA as hand sanitizers is already significantly eliminated, (c) demand for IPA has already declined to the past levels, after remaining high just for one quarter (July-Sept., 2020). The current demand is already at the levels of 2019, (d) the price increase of IPA was more in pharma sector where IPA is used as a solvent (and not as a raw material), and forms a very insignificant proportion in the total costs of a pharma producer.

SN	Period	Production MT (Index)	Production	Capacity Utilisation % Index	Capacity Utilisation %	Sales (MT) Index	Sales	Profit/Loss Rs. Lakhs Indexed	Profit/Loss (₹/Lacs)	Profit/Loss (₹/MT) Indexed	Profit/Loss (₹/MT)
1	2016-17	100	***	100	***	100	***	100	***	100	***
2	2017-18	100	***	100	***	103	***	60	***	58	***
3	Apr'18-Dec'18	86	***	86	***	86	***	-11	(***)	-16	(***)
4	Jan'19-Jun'19	74	***	74	***	73	***	-54	(***)	-147	(***)
5	Jul'19-Dec'19	85	***	85	***	86	***	-86	(***)	-201	(***)
6	Jan'20-Jun'20	113	***	113	***	118	***	155	***	303	***
7	Jul'20-	116	***	82	***	115	***	151	***	380	***

	Dec'20										
8	Jan'21- Mar'21	89	***	62	***	98	***	34	***	214	***
9	Apr'21- June 21	102	***	72	***	97	***	87	***	427	***
10	Jul-21	138	***	97	***	160	***	-53	(***)	-542	(***)

105. The Authorized Officer considers that the Panel, in US — Steel Safeguards, referring to the earlier findings in US – Line Pipes noted that it is not necessary that imports are increasing up to the end of the period of investigation or immediately preceding the determination. Where there is a decrease in imports at the end of the period of investigation, the Panel observed that the finding would depend on whether a previous increase nevertheless results in the product still ‘being imported in such increased quantities.’

“10.162 As regards the question of how recently the imports must have increased, the Panel notes, as the Panel in US – Line Pipe did, that Article 2.1 of the Agreement on Safeguards speaks of a product that “is being imported ... in such increased quantities”. Thus, imports need not be increasing at the time of the determination; what is necessary is that imports have increased, if the products continue “being imported” in (such) increased quantities. The Panel, therefore, agrees with the US – Line Pipe Panel’s view that the fact that the increase in imports must be “recent” does not mean that it must continue up to the period immediately preceding the investigating authority’s determination, nor up to the very end of the period of investigation. As pointed out by the Panel in US – Line Pipe, the most recent data must be the focus, but should not be considered in isolation from the data pertaining to the less recent portion of the period of investigation. However, as indicated by the present continuous “are being”, there is an implication that imports, in the present, remain at higher (i.e. increased) levels.

10.163 Whether a decrease in imports at the end of the period of investigation, in the individual case, prevents a finding of increased imports in the sense of Article 2.1 of the Agreement on Safeguards will, therefore, depend on whether, despite the later decrease, a previous increase nevertheless results in the product (still) “being imported in (such) increased quantities”. In this evaluation, factors that must be taken into account are the duration and the degree of the decrease at the end of the relevant period of investigation, as well as the nature, for instance the sharpness and the extent, of the increase that intervened beforehand.

10.164 To give an extreme example, a short and very recent slight decrease would not detract from an overall increase if imports have increased tenfold over the several years beforehand. Conversely, to give an opposite extreme example, one could no longer talk about a product that “is being imported in (such) increased quantities”, or in fact in any increased quantities at all, if, at the time of the determination, import numbers have plummeted nearly to zero or to a level below any past point in the period of investigation.

10.165 The Panel believes that, in their investigation whether imports have increased in the recent period, and whether increased imports are causing serious injury to the domestic producers of like or directly competitive domestic products, competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation, as suggested by Article 4.2(a). While Article 4.2(a) requires the evaluation of the “rate and amount of the increase in imports ... in absolute and relative terms”, the Panel sees no basis for the argument that this rate must always accelerate or that the rate must always be positive at each point in time during the period of investigation.”

106. The findings of the Panel were upheld by the Appellate Body, which noted as below.

“367. We agree with the United States that Article 2.1 does not require that imports need to be increasing at the time of the determination. Rather, the plain meaning of the phrase ‘is being imported in such increased quantities’ suggests merely that imports must have increased, and that the relevant products continue ‘being imported’ in (such) increased quantities. We also do not believe that a decrease in imports at the end of the period of investigation would necessarily prevent an investigating authority from finding that, nevertheless, products continue to be imported ‘in such increased quantities.’”

107. In the present case, the imports have been imported in increased quantities at the end of the period of investigation. Subsequently, while the volume of imports dipped compared to the immediately preceding six-months, the product continued to be imported in “increased quantities”.

XI. Causal Link

108. The WTO Panel stated as follows in Korea-Dairy for determining “causation” :

“In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the domestic industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports. To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its domestic industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the domestic industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the domestic industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors.”

109. In the case of US – Wheat Gluten, the Appellate Body noted as below with regard to the requirement of causal link

“67. We begin our reasoning with the first sentence of Article 4.2(b). That sentence provides that a determination “shall not be made unless [the] investigation demonstrates ... the existence of the causal link between increased imports ... and serious injury or threat thereof.” (emphasis added) Thus, the requirement for a determination, under Article 4.2(a), is that “the causal link” exists. The word “causal” means “relating to a cause or causes”, while the word “cause”, in turn, denotes a relationship between, at least, two elements, whereby the first element has, in some way, “brought about”, “produced” or “induced” the existence of the second element. The word “link” indicates simply that increased imports have played a part in, or contributed to, bringing about serious injury so that there is a causal “connection” or “nexus” between these two elements. Taking these words together, the term “the causal link” denotes, in our view, a relationship of cause and effect such that increased imports contribute to “bringing about”, “producing” or “inducing” the serious injury. Although that contribution must be sufficiently clear as to establish the existence of “the causal link” required, the language in the first sentence of Article 4.2(b) does not suggest that increased imports be the sole cause of the serious injury, or that “other factors” causing injury must be excluded from the determination of serious injury. To the contrary, the language of Article 4.2(b), as a whole, suggests that “the causal link” between increased imports and serious injury may exist, even though other factors are also contributing, “at the same time”, to the situation of the domestic industry.”

110. Keeping in account the aforesaid jurisprudence, the Authorized Officer has examined whether there is a causal link between imports and serious injury or threat of serious injury being faced by the domestic industry. The Authorized Officer notes as follows in this regard.
- (i) There has been a significant increase in imports during the investigation period. Resultantly, whereas the market share of imports has increased, market share of the domestic industry has declined.
 - (ii) The market share of the domestic industry declined. At the same time, sales of the domestic industry. The decline in the sales of the domestic industry was a result of increase in imports.
 - (iii) The production and capacity utilisation of the domestic industry declined as a result of decline in the sales volumes of the domestic industry.
 - (iv) Imports were undercutting the domestic industry prices. Resultantly, the performance of the domestic industry deteriorated in respect of profits to such an extent that the domestic industry suffered significant financial losses.
111. Some interested parties have submitted that there is no causal link as the landed price has increased over the period, while the profitability of the domestic industry has declined. It is however, seen the imports were undercutting the domestic prices and the domestic industry was facing price suppression. As a result, the domestic industry has also not been able to increase its prices, in keeping with the trends of cost, leading to a decline in profitability.
112. The interested parties submitted that the injury to the domestic industry is self-inflicted, as the applicant has itself imported the goods. It is however seen that if the imports made by the applicant are excluded, the imports have shown a higher degree of increase. Further, the domestic industry has imported the product at a price higher than others. It is also clarified that the Authorized Officer has considered profits of the domestic industry only out of manufacturing operations. The Authorized Officer has not

considered trading operations. It is however seen that the domestic industry has suffered losses even in trading operations.

113. Interested parties has submitted that the plant of the domestic industry was shut down during the investigation period due to shortage of raw material and water scarcity. It is however seen that the domestic industry has suffered shutdowns in every period, due to various reasons. Of these, a significant portion of the plant shut down during the most recent period was attributable to the imports. Further, it is seen that if the production lost due to shutdown is added to the production, it is seen that trends of production and capacity utilization of the domestic industry still shows the same trend. It is thus seen that decline in production and capacity utilization is not attributable to the shutdowns.

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18	Jan-Jun-19	Jul-Dec-19
Shutdown due to market	Days	***	***	***	***	***
Other shutdowns	Days	***	***	***	***	***
Total	Days	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	57	114	148	162

Particulars	Unit	2016-17	2017-18	Apr-Dec, 18 (Annl.)	Jan-Jun, 19 (Annl.)	July-Dec 19 annual
Installed capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100	100
Production (adjusted)	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	89	75	88
Capacity utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	89	75	88

114. The interested parties have relied upon various observation in the annual report of the applicant regarding unprecedented raw material price hike across all sectors, major supplier constraints, acute water shortages, severe financial debt market crisis, fall in prices of solvents, inconsistent policies of USA against Iran, dumping of IPA from China and overall slow-down in fertilizer industry. It is noted that some of these observations, pertaining to debt market, fertilizer market, price of other solvents, policies of USA, etc. are not related to the product under consideration, and, thus, are not relevant to the present investigation. The effect of shortage of raw material and water shortages and consequent shutdowns has already been considered hereinabove. As far as dumping of the product from China is considered, the same has been examined under the relevant section of this finding. It is therefore noted that, injury suffered is on account of increased imports and no material has been placed by the other interested parties to controvert such finding.

115. The DGTR concludes as follows

- The imports increased significantly, both in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- The surge in imports resulted in domestic industry losing its sales volumes and market to imports, resulting in a decline in the market share of the domestic industry, while the market share of the imports increased.
- As the domestic industry faced a decline in sales and market share, it was also forced to curtail its production.
- The decline in production impacted the capacity utilization of the domestic industry.
- The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The imports are priced significantly below the cost of sales of the domestic industry.

- (vi) The influx of low-priced imports forced the domestic industry to compromise on its profitability, as it was not able to increase its prices in line with its cost.
- (vii) The profitability of the domestic industry deteriorated over the injury period. The domestic industry suffered significant losses since Apr-Dec. 2018, extent of which increased in the most recent period.

116. Thus, an evaluation of all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on determining the causal link between serious injury to the domestic industry and surge in imports shows that the increased imports have caused serious injury to the domestic industry.

XII. Imports from Individual Countries

117. Interested parties have claimed that Korea should be excluded from the scope of measures as the imports from Korea are not a substantial cause of injury and imports from Korea have declined. It is noted that imports from Korea, a developed country constitute 17% of total imports and thus constitute a significant share of the imports. Further, the price of imports from Korea is comparable to the price of imports from other countries, including China as depicted in the Table below. The safeguard investigations are in respect of imports into India from all sources and are required to be invoked in respect of all imports on non-discriminatory basis, barring the exemptions granted under the law for the developing countries.
118. It has been submitted that if the imports made by the applicant are excluded, the remaining imports from Korea would be negligible. The DGTR has examined the same and found as under.

Imports from	Unit	2016-17	2017-18	Apr-Dec-18 (Annl.)	Jan-Jun-19 (Annl.)	Jul-Dec-19 Annual
China PR	Rs./MT	55,912	63,009	67,891	58,244	47,642
Trend	Indexed	100	113	121	104	85
Korea RP	Rs./MT	53,372	62,688	68,983	58,687	49,312
Trend	Indexed	100	117	129	110	92
Other countries	Rs./MT	54,454	61,875	68,137	58,660	51,089
Trend	Indexed	100	114	125	108	94

119. It is thus seen that if the imports by the applicant are excluded, the remaining imports from Korea RP have shown an increase not only in relation to imports into India, but also in relation to imports from Korea. The share of such imports in the total imports is quite significant. Further, while imports from Korea by other parties were quite low earlier, the same increased significantly in Apr-Dec. 2018 and constituted majority in most recent period. Therefore, it is seen that the imports from Korea RP are not primarily by the applicant and constitute a significant portion of imports into India.
120. The interested parties have submitted that the applicant has not demonstrated that the unforeseen developments leading to increased imports relates to Korea. In this regard, it is noted that the safeguard law does not provide that examination of unforeseen developments should be determined individual with each country. Rather, the unforeseen developments are required to be seen with regard to the totality of imports into India. In any case, the Korean producers/exporters have not established that their pricing behaviour was insulted by the unforeseen developments identified in the present case.

XIII. Adjustment Plan

121. The WTO Agreement on Safeguards requires an adjustment plan by the domestic industry. In this regard, the Agreement on Safeguards provides as follows:

“Recognizing the importance of structural adjustment and the need to enhance rather than limit competition in international markets”

122. Article 5.1 of the Agreement on Safeguards provides that a Member shall apply safeguard measures only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.1 of the Agreement on Safeguards mandates a WTO member country to apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment. Article 7.4 mandates that in order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of

application. The provisions are *pari materia* with Rule 9(1), Rule 10, Rule 13 and Rule 4(d)(ii) of the Quantitative Restrictions Rules. In addition, Rule 5(2) of the Rules provides as under:

“(2) The application referred to in sub-rule (1) shall be made in Form appended to these rules and be supported with-

...

(b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to increase in competition due to imports”

123. The requirement with regard to adjustment plan has been explained by the Panel in Korea– Dairy Products as under.

“7.108 We wish to make it clear that we do not interpret Article 5.1 as requiring the consideration of an adjustment plan by the authorities, as the European Communities asserts. The Panel finds no specific requirement that an adjustment plan as such must be requested and considered in the text of the Agreement on Safeguards. Although there are references to industry adjustment in two of its provisions, nothing in the text of the Agreement on Safeguards suggests that consideration of a specific adjustment plan is required before a measure can be adopted. Rather, we believe that the question of adjustment, along with the question of preventing or remedying serious injury, must be a part of the authorities' reasoned explanation of the measure it has chosen to apply. Nonetheless, we note that examination of an adjustment plan, within the context of the application of a safeguard measure, would be strong evidence that the authorities considered whether the measure was commensurate with the objective of preventing or remedying serious injury and facilitating adjustment.”

124. In the present case, the applicant has submitted that, to adjust with the unforeseen developments resulting in increased imports, it is in the process of setting up an acetone-based plant. The applicant has provided relevant information with regard to setting up an acetone-based propylene plant in the country. It is noted that the adjustment plan undertaken by the applicant is appropriate and sufficient for the present purposes. Further, contrary to the claims of the interested parties, the adjustment plan drawn by the applicant is not vague and generic. Since the imports increased due to acetone-based IPA becoming more competitive than propylene-based IPA, and the applicant already has a propylene-based IPA plant, it is reasonable that the applicant now seeks to adjust positively by setting up an acetone-based plant, which would result in a situation where the applicant would be having both acetone-based and propylene-based plant.
125. The interested parties have submitted that the viability of the adjustment plan depends on acetone being cheaper raw material and if the prices of acetone are not low at the end of 4 years, the adjustment plan will not materialize. However, the ICIS reports provided by the applicant shows acetone is preferred feedstock vis-à-vis propylene and the recent new plants are acetone based. The applicant has provided evidence showing that almost all recent expansions, barring capacity expansion by LG Chem in 2019, are acetone-based. The recent capacity additions, which use acetone as a raw material, total to at least 7 lakh MT. This suggests that acetone-based IPA is being considered more viable, vis-à-vis, propylene-based IPA by those producers who are setting up further capacities. In any case, the applicant would have plants with both the feedstocks, and would thus likely be more competitive on long term basis, as compared to any producer having only one feedstock-based plant.
126. With regard to the findings relied upon by the applicant and other interested parties, the Authorized Officer notes that any decision with regard to appropriateness of adjustment plan has to be determined on a case-to-case basis. The facts of the cases relied upon by various parties being different, the observations in those cases are not applicable to the present case.
127. The interested parties have argued that in the absence of an adjustment plan, it is impossible to link the quantity of quantitative restrictions with the intended level of adjustment to be made by the domestic industry. It is noted that the level of quantitative restrictions would be based on the volume of imports during past three representative years. Further, while the capacity of the applicant would increase pursuant to its setting up an acetone-based plant with a proposed firm capacity addition of 1,00,000 MT by year 2024 (based on ICIS-LOR report), thereby increasing its capability to service the demand in India. Further, the safeguard measures are required to be liberalized over the period.
128. Therefore, in view of the aforesaid and the adjustment plan submitted by the domestic industry, the adjustment plan submitted is appropriate to facilitate positive adjustment to the increased imports. Further, the adjustment plant implementation during the course of the measures would be suitably evaluated, either on DGTR's own initiative or on receipt of an application in this regard.

XIV. Public Interest

129. Article 3.1 of the Agreement on Safeguards states as follows:

“A Member may apply a safeguard measure only following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT 1994. This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their views, inter alia, as to whether or not the application of a safeguard measure would be in the public interest. The competent authorities shall publish a report setting forth their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law.”

130. In view of the aforesaid, there is a need to examine whether imposition of safeguard measures shall be in public interest. Though Article 3.1 also does not provide any guidance on the manner of evaluation, the public interest evaluation, *inter alia*, requires evaluating impact of a safeguard measures comprehensively on various stakeholders, and taking a balanced view keeping in view competing interests of different interested parties.

131. With regard to the impact of the measures, the applicant has provided information that establishes that the impact of any price increase on the final product will be insignificant as is seen from the following. It is however noted that the present investigation is a quantitative restriction and no duty is proposed to be imposed as a result of the present investigations. The proposed measure would only regulate the volumes. However, imports would continue to be made and would continue to have price benchmarking effect in the market. The DGTR has fixed the Quota after considering the growth rate in demand during the period from Apr-2016 to June-2021 (63 months) and taking it up to September 2021 by enhancing the average threshold by an additional appropriate factor of growth and has also maintained the same for progressive liberalisation.

Segment	Estimated Consumption	Unit	Average Retail Price	Consumption of IPA	Impact of Duty on sale price	Impact of Duty on sale price %
	MT per annum		Rs. Per unit	Kg / unit		
Pharma	73%	kg	1,000	***	***	0.42%
Sanitizer	3%	Lt	500	***	***	1.45%
Others	24%	kg	500	***	***	0.22%
Average	100%		867		***	0.41%

132. It is seen that the data on record shows that imports are undercutting the prices of the domestic industry, have suppressed and depressed the domestic prices, sales, and consequently market share, production & capacity utilisation of the domestic industry have declined significantly, leading to significant financial losses. The data provided by the applicant shows that a significant portion of imports were at a price below the variable cost of the domestic industry. Thus, if no measures are imposed, it may not be viable for the domestic industry to continue operations. Therefore, the imposition of measures would not be against public interest, as they are necessary to ensure viability of the operations of the domestic industry.

133. Impact on hand sanitisers – Use of IPA in production of hand sanitisers has been noted. Therefore, possible impact of safeguard measures on production and price of hand sanitisers was examined. Following are relevant in this regard

- (i) India had notified masks and sanitizers as essential commodities till June 30, 2020. However, it has been removed from the list of essential commodities since then.
- (ii) The price of IPA sold for hand sanitisers was regulated by the Govt., which ensured that the suppliers of IPA sell IPA at these regulated prices. Therefore, price at which IPA was sold for production of hand sanitisers has not impacted cost of production of hand sanitisers.
- (iii) The domestic industry submitted that only a small proportion of IPA is consumed in production of hand sanitisers.
- (iv) The Government has already relaxed the restrictions imposed on exports on sanitizers.

- (v) The applicant has submitted that demand for sanitizers has already started declining.
 - (vi) The interested parties have also claimed that 80% of the consumption of IPA is in the pharmaceutical sector, and thus, the consumption in sanitizers is low.
134. Therefore, it is found that imposition of safeguard measures would not impact the cost and price of hand sanitisers. Imposition of safeguard measures would not be against public interest on this account.
 135. Impact on pharmaceutical industry – The interested parties have contended that imposition of safeguard measures will impact the pharmaceutical industry, as 80% IPA is used in this industry. The parties have claimed that IPA contributes 7 to 10% of cost of production. The domestic industry contended that costs on account of IPA constitutes much lesser share. However, even considering a share of 7 to 10% of cost, the impact of the measures cannot be considered as significant, even if the price of product increase to some extent due to these measures. However, since no duty is proposed to be imposed, it would not be appropriate to consider that the measure would increase the prices of the product significantly.
 136. Interested parties have submitted that the imposition of quantitative restrictions would put the applicant in a monopoly position. It has also been contended that the applicant has enjoyed a monopolistic position in the past as well, by itself importing the product under consideration. However, it is seen that the performance of the domestic industry has deteriorated on account of a number of parameters, which could not have been a case, had the domestic industry been in a monopolistic position. Further, even post imposition of measures, the competition between imports, the applicant and other domestic producer, Deepak Phenolics Limited shall remain. The measure would not result in any additional duty on imports and the QR measure has been further recommended by evaluating the Quota with the growth rate of demand during the period from Apr-2016 to June-2021 (63 months) and taking it up to September 2021 by enhancing the average threshold by an additional appropriate factor of growth.
 137. Moreover, quantum of measures has been determined having regard to the present and future demand. Further, to ensure that no demand-supply gap is created, the capacities of the applicant and Deepak Phenolics Limited have been correlated with such future demand. Therefore, the measure would ensure continued availability of the product, while protecting the domestic industry from further injury.
 138. Considering the submissions of the interested parties and information & evidence on record, the Authorized Officer considers that imposition of safeguard measure shall not be against public interest. Further, if the measures is not invoked, it will not allow the domestic industry to enhance its capacities and continue its operations. The impact of such measures on the downstream industry is much less than the impact of non-imposition of measures on the domestic industry and the Country.

XV. Submissions Regarding Anti-Dumping Duty Being the Appropriate Remedy

139. Some interested parties have claimed that as the injury to domestic industry is on account of surge in low priced imports from China and, therefore suitable remedy in the present case would have been anti-dumping duty and not safeguard action. They have also relied upon the observations in the annual report of the applicant, wherein it has stated that it suffered due to dumping of the product from China PR. Accordingly, the interested parties have requested for termination of the present investigation in terms of Rule 8(b) of the Quantitative Restrictions Rules.
140. In this regard, it is noted that anti-dumping measures can only be invoked against unfair imports, where the exporter engages in price discrimination. In the present case, the domestic industry has itself conceded that the price of imports is low due to cheaper raw material being used by the exporters. The cost estimates provided by the domestic industry for an acetone-based plant further show that it is not dumping but cost difference between acetone based and propylene-based plant that has led to reduction in the prices and consequently increase in imports. The cost of the domestic industry is higher due to its own non-competitiveness because of propylene-based IPA. Since the price of imports is low due to lower production costs using acetone, low prices of imports cannot be attributed to dumping.
141. The contention of the opposing parties that the observations by the applicant in its annual report should be the guiding factor. It is noted that as the applicant is not the competent authority to determine whether there is dumping, nor the use of the word “dumping” should necessarily imply reference to price difference between normal value and export price. Reference to dumping can be in the context of surging import volumes as well. Further, contrary to the submissions of the interested parties, the applicant is aggrieved not only by imports from China PR, but also other countries. The applicant has referred to the conditions in China PR. The same could be on account of the fact that imports from China PR alone account for 63% of the total imports. However, the data on record shows the import price from other countries is also comparable. The import price from other countries have also moved in tandem with the

import price from China PR. Thus, injury to the domestic industry is not limited to imports from China only.

Imports from	Unit	2016-17	2017-18	Apr-Dec, 18	Jan-Jun, 19
China PR	Rs./MT	55,912	63,009	67,891	58,244
Other countries	Rs./MT	54,197	62,096	68,449	58,662
Total	Rs./MT	54,328	62,275	68,196	58,399

XVI. Developing Nations

142. Proviso to Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 provides that quantitative restrictions shall not be imposed on goods originating from a developing country so long as its share of imports does not exceed 3% of the total imports of that goods or, where the article is originating from more than one developing country, then, so long as the aggregate of the imports from all such developing countries, each with less than 3% import share taken together, does not exceed 9% of the total imports of those goods. Further, Notification No. GSR 59 (E) bearing File No. 01/92/180/106/AM-11/PC-VI/PRA dated 31.01.2013 specified the developing countries for the purposes of Section 9A of the FTDR Act. This notification was based on the Notification issued by Department of Revenue. However, the Authorized Officer has noted that the list of developing countries has been subsequently revised by the Department of Revenue vide Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016.
143. Amongst the list of developing countries, imports from China PR account for more than 3%. The share of other developing country is individually less than 3% of the total imports, and the collective share of the developing countries which account for less than 3%, does not exceed 9% of the total imports of the product under consideration into India. Therefore, the import of the product under consideration originating from developing countries except from China PR, should not be subjected to levy of proposed Quantitative Restrictions in terms of proviso to Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

XVII. Operational Aspects for Imposition of Measures

144. A major concern raised during the course of the investigation is that India does not have the necessary operational provisions for monitoring of quantitative restrictions. The importers have expressed apprehensions that if the goods are not cleared due to quota restrictions in India, the only recourse would be to destroy such imports. Keeping in view the Safeguard (QR) rules, the DGTR is recommending quota allocation on a country specific basis. The imports would be permitted through the EDI ports only to facilitate electronic/real-time monitoring of quota. The quota would be monitored on quarterly basis. The total imports allowed in any quarter shall not exceed the total of that quarter and the next quarter. Any unutilised quota for a quarter shall be added to next quarter. Further, any excessively utilised quota for a quarter shall be deducted from the quota for the next quarter. This would ensure that the exporters and the associated importers would be able to regulate the volumes smoothly. Thus, allocation of quota in such a manner would ensure that importers and exporters do not suffer any undue hardships. In case, the countries with specific quota exhaust their specific quotas, such countries may use the available residual quota. If necessary, further modalities for governing such Quantitative Restrictions may be notified, in accordance with relevant legal provisions.

XVIII. Conclusion

145. On the basis of the above examination and analysis, it is concluded that:
- There has been a significant increase in imports of the product under consideration in absolute terms as well as in relation to Indian production over the entire period of investigation.
 - The surge during the POI of April 2016 to June 2019 with most recent period of January 2019 to June 2019 is still noted to be continuing even till June 2021. The demand has also seen an upward trend and the imports of the domestic industry. coming down as proportion of total imports and also as proportion of their production.
 - The imports are undercutting the domestic prices. The domestic industry's sales even post original POI continues to face price undercutting by the imports made by non-domestic industry entities.

- (iv) With no ban in safeguard rules on imports by domestic industry, there is no policy infirmity in providing the benefit to the domestic industry whose core business and focus remains as manufacturing.
- (v) The domestic industry has suffered serious injury, as established by significant deterioration in its overall performance, in respect of parameters such as market share, production, sales, capacity utilisation, and profitability, which have sharply declined in the most recent period. The domestic industry is suffering significant losses during the recent period. The data till December 2019 was called from all the interested parties, however since almost 18 months have elapsed there after the Authorized Officer has also examined the imports till June 2021 and the demand trend.
- (vi) The Indian Industry has seen addition of two new capacities. Therefore, the protection being sought is by manufacturing industry and not by manufacturer turned trader.
- (vii) The surge in imports has caused significant overall impairment in the performance of the domestic industry by way of decline in import price and consequent increase in import volumes during the investigation period, establishing causal link between surge in imports and serious injury to the domestic industry.
- (viii) The imports of the product increased. The increased imports are a result of unforeseen developments and of the effect of obligations incurred by India under the GATT. Surge is continuing even now. Further, surge is more conspicuous as domestic industry's share is removed from the total imports. The domestic industry has been historical importer due to demand and supply gap and keeping in view the nature of the product concerned and as per the requirement of the users to consolidate the domestic industry. The traditional business model of the domestic industry which was to supplement demand and supply by not reducing the production got adversely impacted by the aggressive pricing policy of the foreign producers.
- (ix) The Authorized Officer notes that imports even during the calendar years 2020 and first half of calendar year 2021 are at increased levels as compared to the earlier POI i.e. 2016-17 to 30/06/2019, thereby indicating the continuance of the established surge in the period 01/01/2019 to 30/6/2019 mentioned as the 'most recent period'. This continued increased level of imports is noticed both in respect of total imports and even after excluding imports by domestic industry.
- (x) While undertaking the public interest examination, it is noted that continued increase of import in IPA since 2020 and 2021 is also on account of its requirements in manufacture of hand sanitiser, in view COVID pandemic, besides the unforeseen development as elucidated in the foregoing paras, which have not disappeared in 2020 or 2021. The issue of necessity of IPA *inter-alia* alcohols used for manufacturing of hand sanitizer during the COVID pandemic was also appreciated in the order issued under Essential Commodities Act, 1955 in March 2020.
- (xi) Keeping in view the likely threat of COVID pandemic, the demand of IPA have been computed separately for the POI period of 39 months (from 01.04.2016 to 30.06.2019) and post POI period of 24 months (from 01.07.2019 to 30.06.2021). The growth of demand has been computed on the basis of the above two demands. For considering the demand till September 2021, the annual demand of 24 months has been projected on 30th September 2021. The domestic capacity of IPA since April 2020 has increased from 70,200 MT to 1,00,200 MT annually by addition of new capacity by another producer i.e. DPL.
- (xii) Based on the domestic availability of IPA and projected demand, global import quota has been determined and apportioned amongst the exporting countries in accordance with Rule 9(1) of the Safeguard Measures (Quantitative Restriction) Rules. The quota has been progressively liberalised on the basis of the growth rate in demand as stated in the foregoing para.
- (xiii) Imposition of safeguard measures, in the form of quantitative restrictions, would be in public interest. It will prevent serious injury to the domestic industry, while having an insignificant and bearable impact on the downstream industry as the demand of the subject goods would continue to be met by way of imports.
- (xiv) The Authorized Officer also notes that the global pandemic situation of COVID may still pose a challenge in future and IPA being one of the key ingredients for the preparation of an alcohol-based hand sanitizer. The Public interest needs to be kept in mind for such an eventuality. The Authorized Officer notes the amendment in schedule made by the Essential Commodities Order, 2020 (Central Order No. S.O. 1087(E), dated 13th March 2020), issued under the Essential Commodities Act, 1955 (Act No.10 of 1955) to include certain masks and hand sanitizers as essential commodities. Furthermore, the Ingredients and Prices of the Ingredients as Raw Materials of Essential Commodities Order, 2020 (Central Order No. S.O. 1169(E) dated 19th March 2020), declared "the raw material used

in manufacturing as essential commodity shall be treated as essential commodity". These Orders were in force up to 30th June 2020. Section 18A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (Act. No. 22 of 1992) stipulates that "*the provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.*" Therefore, this Act does not bar the application of other laws which are in force for the time being. The Authorized Officer, therefore, keeping in view the eventuality of a future COVID pandemic and provisions of the FTDR Act, 1992, notes that the Central Government could consider taking appropriate action inter-alia keeping the applicability of the recommended Quantitative Restriction measure concerning IPA on hold in the event of any other Act imposing or directing a measure in public interest to secure public health and safety arising out of any contingency.

XIX. Recommendations

146. In view of the aforementioned analysis, it is concluded that;
- (i) The product under consideration viz. "Isopropyl Alcohol" is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry manufacturing like or directly competitive products.
 - (ii) The existing circumstances justify the imposition of a Quantitative Restrictions in order to protect the domestic industry from further serious injury, which otherwise may be difficult to repair.
147. Accordingly, the recommendations are as follows:
- (i) The imports of the product under consideration are regulated and permitted not beyond the levels mentioned below for the developing countries whose quantum of exports is more than 3% during the most recent period or for the developed countries as mentioned in the Table below. This quantum has been derived in terms of Rule 9(1) of the Safeguard Measures (Quantitative Restriction) Rules, based on an average of imports in the three representative years during the POI. The Authorized Officer is also prescribing a residual quantity for countries not specifically tabulated below. Further, keeping in view the Covid Pandemic and the demand growth during the period from Apr-2016 to June-2021 (63 months) and taking it up to September 2021 by enhancing the average threshold by an additional appropriate factor of growth.
 - (ii) The Directorate General of Foreign Trade (DGFT) had issued a Notification no. GSR 59(E) bearing file no. 01/92/180/106/AM-11/PC-VI/PRA dated 31st January 2013 wherein it had notified a list of developing countries under Section 9A(4)(a) of the FTDR Act, 1992. This notification was based on the Notification issued by Department of Revenue. However, the Authorized Officer has noted that the list of developing countries has been subsequently revised by the Department of Revenue vide Notification No.19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016. As the imports from the developing countries listed in the said Notification No. 19/2016-Custom (NT), dated 5th February, 2016, other than China PR do not exceed 3% individually and 9% collectively, the imports of "Isopropyl Alcohol" originating from such developing countries (other than China PR) will not attract Quantitative Restrictions in terms of Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
 - (iii) The imports would be permitted through the EDI ports only to facilitate electronic/ real-time monitoring of Quota. The quota would be monitored on quarterly basis. The total imports allowed in any quarter shall not exceed the total of that quarter and the next quarter. Any unutilised quota for a quarter shall be added to next quarter. Further, any excessively utilised quota for a quarter shall be deducted from the quota for the next quarter. This would ensure that the exporters and the associated importers would be able to regulate the volumes smoothly. Thus, allocation of quota in such a manner would ensure that users, importers and exporters do not suffer any undue hardships. In case, the countries with specific quota exhaust their allocated quotas, such countries may use the available residual quota. If necessary, further modalities for governing such Quantitative Restrictions may be notified, in accordance with relevant legal provisions.
 - (iv) The Authorized Officer in consonance with Rule 9(1)(iv) of the Safeguard Measures (Quantitative Restriction) Rules, also recommends progressive liberalization of the Quantitative Restrictions in the next year to adequately facilitate positive adjustment. Accordingly, it is recommended that the quantitative restriction be imposed on the imports of the subject goods into India in quantity (MT) as specified in the Table below.
 - (v) Accordingly, the Authorized Officer, in accordance with Section 9A(1) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, recommends imposition of quantitative restrictions on the imports of the subject goods for a period of two years from the date of the notification under the FTDR Act.

Country-wise quotas (in MT)

Country ↓	QR Quota							
Quarter →	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th
CHINA PR	9,356	9,356	9,356	9,356	9,924	9,924	10,526	10,526
GERMANY	1,995	1,995	1,995	1,995	2,116	2,116	2,244	2,244
JAPAN	1,411	1,411	1,411	1,411	1,496	1,496	1,587	1,587
KOREA RP	5,929	5,929	5,929	5,929	6,290	6,290	6,672	6,672
NETHERLAND	2,283	2,283	2,283	2,283	2,421	2,421	2,568	2,568
SINGAPORE	2,515	2,515	2,515	2,515	2,668	2,668	2,830	2,830
TAIWAN	4,050	4,050	4,050	4,050	4,296	4,296	4,557	4,557
U S A	2,087	2,087	2,087	2,087	2,214	2,214	2,348	2,348
Other Countries	669	669	669	669	710	710	753	753
Grand Total	30,294	30,294	30,294	30,294	32,134	32,134	34,085	34,085

ANANT SWARUP, Authorized Officer